जिला आपदा प्रबंधन योजना

2025

विषय – वस्तु

क्र.स.	कार्य का विवरण	पृष्ठ
अध्याय–1	**परिचयः जिला आपदा प्रबंधन योजना**	01–08
1.1	परिचय, लक्ष्य व उद्देश्य	
1.2	DDMP अधिनियम 2005	
1.3	संक्षिप्त मूल्यांकन	
1.4	प्रभारी व दायित्त्व	
1.5	DDMP उपयोग प्रक्रिया	
1.6	DDMP योजना स्वीकृति	
1.7	DDMP मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण	
अध्याय–2	**आपदा सुभेद्यता, जोखिम विश्लेषण व क्षमता मूल्यांकन**	08–30
2.1	जिले की प्रमुख आपदाएँ	
2.2	जिले की प्रमुख आपदाएँ	
2.3	जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्यता विश्लेषण	
2.4	जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन	
2.5	जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन	
अध्याय–3	**आपदा प्रबंधन :संस्थागत व्यवस्थाऐं**	31–39
3.1	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध : संस्थागत ढांचा	
3.2	राज्य आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा	
3.3	जिला आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा	
3.4	अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाएं	
3.5	पूर्वानुमान व चेतावनी तंत्र	
अध्याय–4	**रोकथाम एवं शमन**	40–57
4.1	रोकथामः आवश्यकता व प्रक्रिया	
4.2	जिला चित्तौड़गढ़ः आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम	
4.3	शमन की आवश्यकता एवं उपाय	
4.4	जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय	
4.5	रोकथाम व शमन में नवाचार	

अध्याय–5	तैयारी मूल्यांकन	58–87
5.1	आवश्यकता व महत्व	
5.2	विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग	
5.3	विभिन्न टीमों का गठन	
5.4	इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम	
5.5	सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल	
5.6	विभिन्न समन्वित तंत्रो की जॉच चेतावनी प्रणाली EOC उपलब्ध संसाधन	
5.7	विभिन्न NGO's एव अन्य एजेंसियों से सहायता	
5.8	ज्ञान प्रबंधन	
5.9	SOP विश्लेषण	
5.10	संचार प्रबंधन	
5.11	जनसामान्य स्तर पर तैयारी	
5.12	विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना	
5.13	सारांश	
अध्याय–6	क्षमता संवर्धन	88–96
6.1	तात्पर्य व आवश्यकता	
6.2	विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास	
6.3	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप–रेखा	
6.4	सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन	
6.5	सारांश	
अध्याय–7	राहत एवं प्रत्याक्रमण	97–108
7.1	अभिप्राय व आवश्यकता	
7.2	राहत एवं प्रत्याक्रमण के चरण	
7.3	सारांश	
अध्याय–8	समुत्थान, पुनर्निमाण, पुनर्वास के चरण	109–116
8.1	अभिप्राय व महत्व	
8.2	नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण	
8.3	पुनर्गठन (समुत्थान)	

8.4	पुनर्निमाण तथा मरम्मत कार्य	
8.5	पुनर्वास के चरण	
8.6	सारांश	
अध्याय–9	**जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन**	**117–122**
9.1	आवश्यकता	
9.2	केन्द्र एवं राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	
9.3	जिले के वित्तीय संसाधन	
9.4	जिला स्तर पर अन्य वितीय स्त्रोत	
9.5	वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियाँ	
9.6	साराशं	
अध्याय–10	**जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण,मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण**	**123–130**
10.1	आवश्यकता महत्व व निरीक्षण मूल्यांकन	
10.2	योजना निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व	
10.3	आपदोत्तर मूल्यांकन	
10.4	योजना निरीक्षण की समय सारणी	
10.5	क्क्डच का ऑन लाईन अपडेट	
10.6	मॉक ड्रिल हेतु उत्तर दायी संस्थाये व संसाधन	
10.7	सांराश	
अध्याय–11	**DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र**	**131–138**
11.1	आवश्यकता व महत्त्व	
11.2	राज्य व केन्द्र के साथ समन्वय	
11.3	जिला स्तर पर समन्वय	
11.4	स्थानीय स्तर पर समन्वय	
11.5	समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय	
11.6	पडोसी जिलों से समन्वय	
11.7	राज्य SDMP से समन्वय	
11.8	सारांश	

अध्याय–12	मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट	139–146
12.1	आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण	
12.2	आपदा की चेतावनी पर संक्रिया	
12.3	वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना	
12.4	विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व	
12.5	सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन	
12.6	विभिन्न संचार माध्यमों का प्रबंधन	
12.7	राज्य/केन्द्र सरकार से सहायता	
12.8	राहत व पुनर्वास के मापदंड	
12.9	मानवीय राहत व सहायता	
12.10	सारांश	

चित्तौड़गढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र

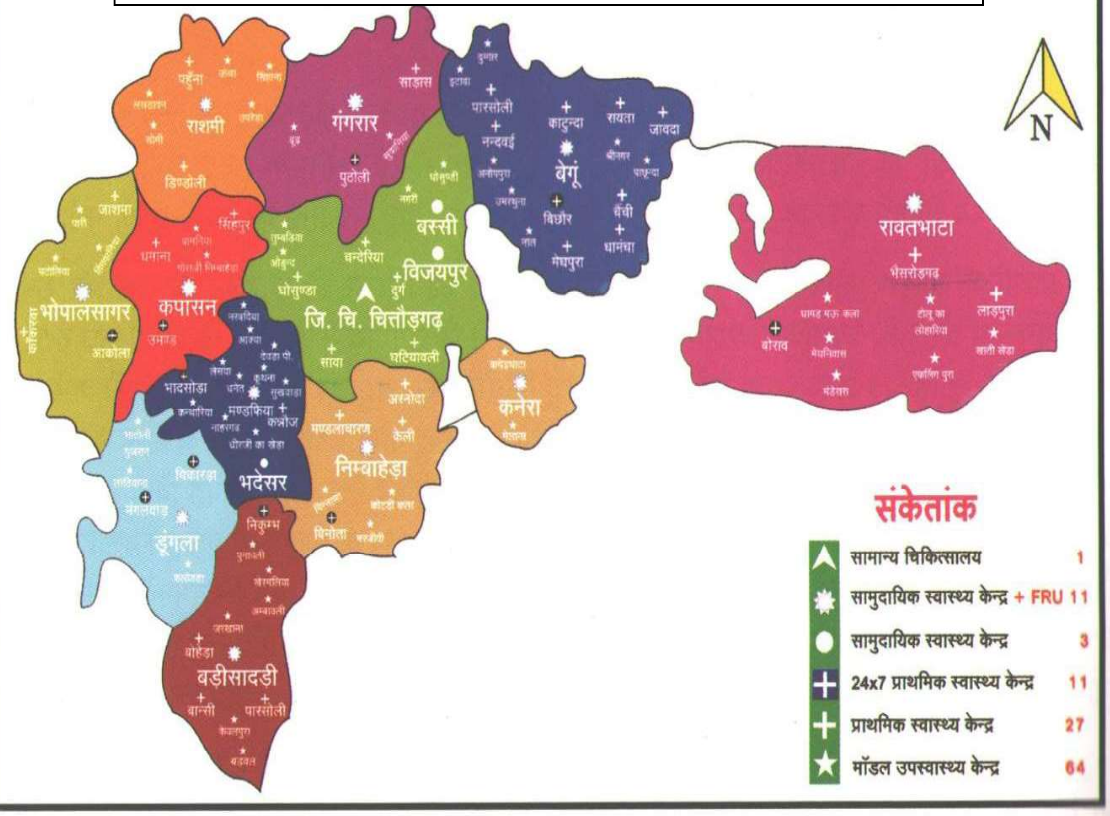

चित्तौड़गढ़ परिवहन मार्ग

चित्तौड़गढ़ शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

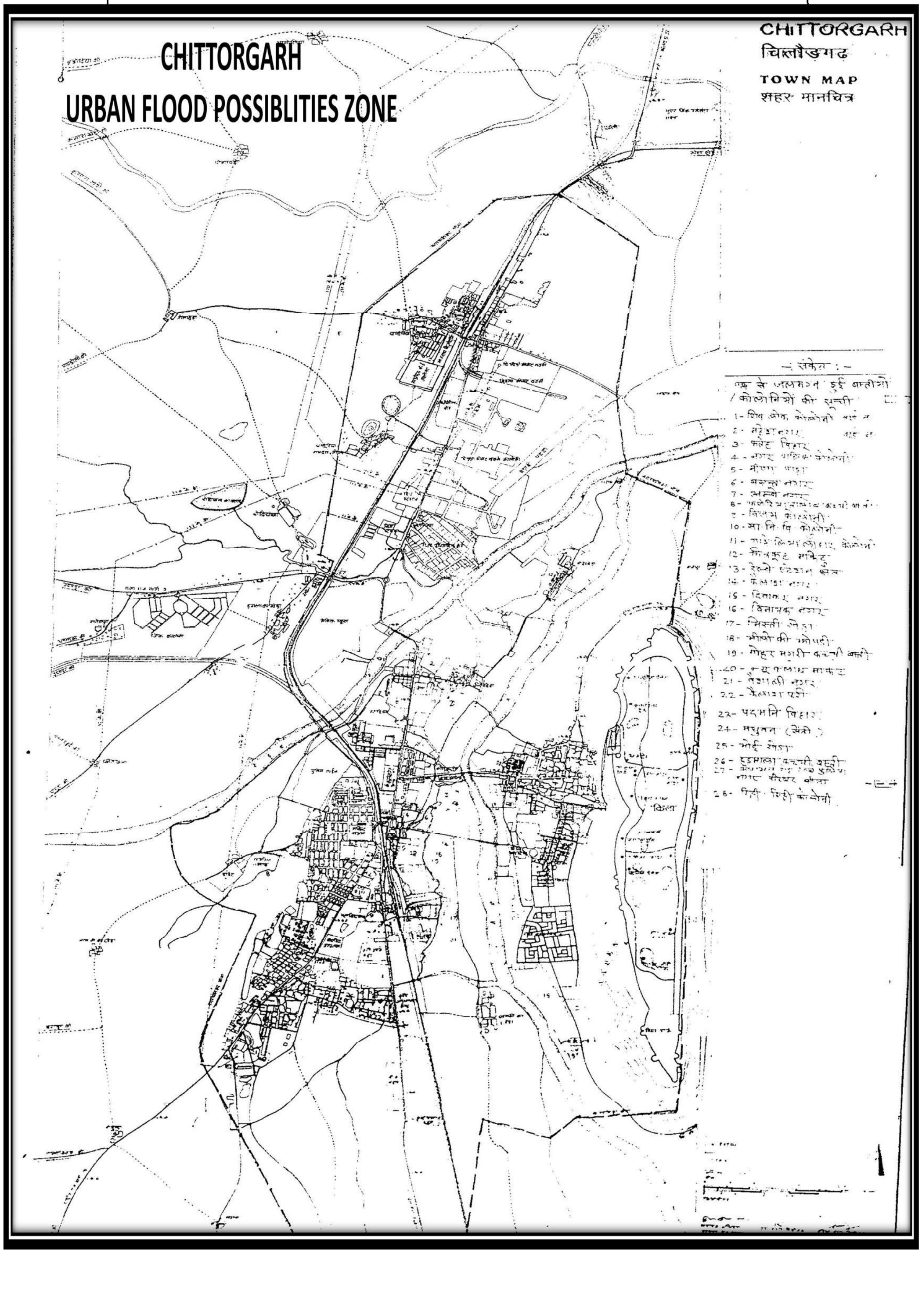

अध्याय–1

Introduction:

District Disaster Management Programme

परिचयः

जिला आपदा प्रबंधन योजना

'

विषय वस्तु–

1.1परिचय,लक्ष्य व उद्देश्य

1.2 डी.डी.एम.पी. अधिनियम 2005

1.3 संक्षिप्त मूल्यांकन

1.4 प्रभारी व दायित्त्व

1.5 डी.डी.एम.पी. उपयोग प्रक्रिया

1.6 डी.डी.एम.पी.योजना स्वीकृति

1.7 डी.डी.एम.पी. मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण

1.1.1परिचय–

जिले के आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु जिला प्रशासन एवं जन साधारण की क्षमतायों में वृद्धि करना तथा इससे निपटने की तैयारियों और साधनों का विकास करना है। ताकि आपदाओं के दौरान कम से कम जन धन की हानि हो अथवा उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके या बचा जा सकें।

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदायें उसके पूर्ण नियत्रंण में नहीं है, वरन् प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिये नये द्वार खोल दिये है, जो दिन प्रतिदिन बढते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदा का विनाशकारी प्रभाव पडता है। जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है। आपदा प्रबन्धन योजना जिले मे होने वाली सम्भावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनायें, आगजनी, सड़क दुर्घटनायें, रेल व वायुयान दुर्घटनायें इत्यादि से निपटने के लिये सहायक दस्तावेज है। राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। पिछले 60 वर्षो में (1950 से 2010) में मात्र 12 वर्ष ही सूखा रहित रहे है, जबकि 48 वर्षो में राज्य का कोई न कोई जिले भाग अकाल ग्रस्त रहा है।

राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था, वह अब स्थाई आपदा बन गया है। वर्ष 2002–2003 में सभी जिले, वर्ष 2005 में राज्य के 32 में से 25 जिले सूखे से प्रभावित रहें है। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नही वरन मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों का चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है।
बाढ़ एवं भूकम्प भी ऐसी आपदायें है जो विस्तृत क्षेत्र में जन धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करती है। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिये यह संस्थागत ढाँचें की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.1.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्‌देश्य–

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्‌देश्य निम्न है :–

- जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न मूलभूत आपदा नियंत्रण सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण ;डपदपउप्रंजपवदद्ध के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

- जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा ;च्वसपबल च्वंदद्ध के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

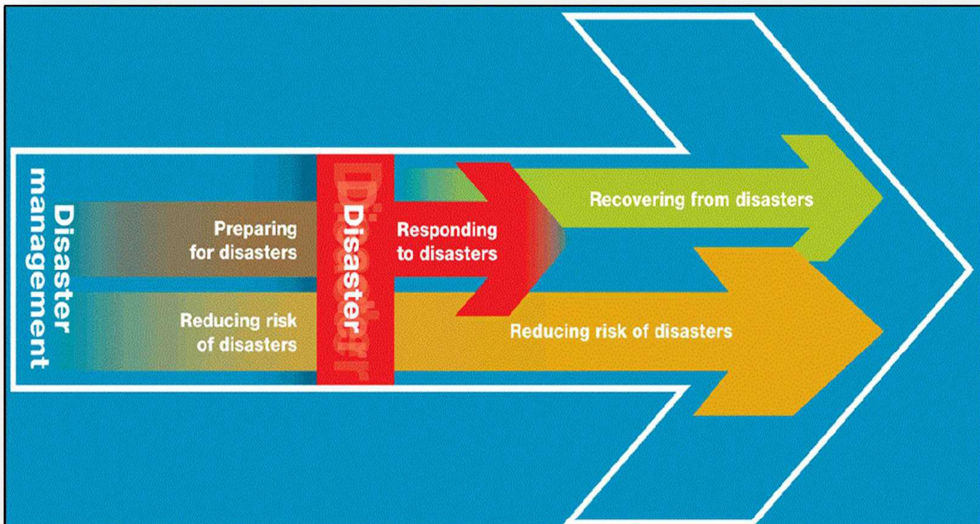

चित्र 1.1 आपदा प्रबन्ध योजना के उद्देश्य

1.1.3 DDMP के लक्ष्य –

जिला चित्तौड़गढ़ DDMP के निम्नलिखित लक्ष्य हैं–

- आपदा की समझ व जागरूकता विकसित करना।
- चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख आपदाओं का रेखांकन।
- आपदाओं के सन्दर्भ में जिले की संसाधन क्षमताओं का मूल्यांकन।
- जिला प्रशासन व जन सामान्य में आपदा प्रभावों को न्यूनतम बनाने की क्षमता विकसित करना।
- जिले के सर्वांगीण विकास हेतु आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी व उत्तम प्रलेख तैयार करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसके कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

(क) प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रातों की सूची तैयार करना।

(ड) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यो का पारम्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियत्रंण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

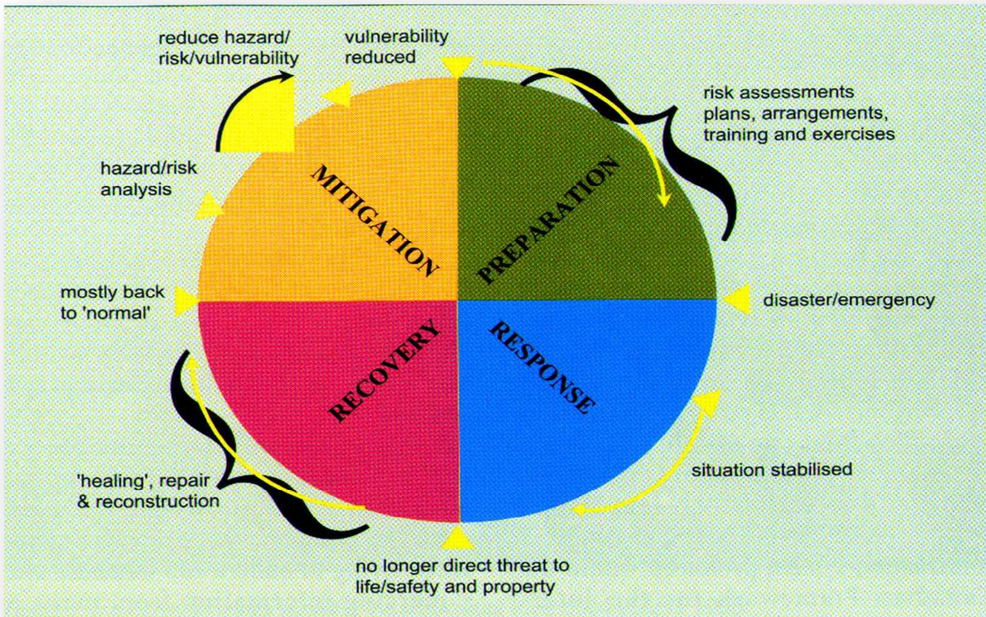

चित्र 1.2 जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना

1.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया है। यह आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निर्मित किया गया है। उक्त अधिनियम में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्‌भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सम्पूर्ण हानि या मानवीय पीड़ाऐं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हैं।

मुख्य बिन्दु :

1. राष्ट्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण का कार्य करेगा।
2. आपदा राहत व बचाव हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) तथा राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन।
3. प्रत्येक राज्य व जिले की एक आपदा प्रबंधन योजना होगी जिसमें त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकीकरण होगा।
4. आपदा से निपटने हेतु राष्ट्र–राज्य–जिला के मध्य प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित किया जायेगा।
5. आपदा से निपटने हेतु क्षमतावर्धन प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व तैयारी पर विशेष जोर होगा।

1.3 नीतिगत कथन व संक्षिप्त परिचय–

गुजरात के भुज क्षेत्र में दिनांक 26.01.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जुझना पड़ा था। इसी परिपेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। पिछले सालों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर एवं बीकानेर के बिरधवाल हेड के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लूणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले सालों के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी में आया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक दक्षता में कमी होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है।

सामान्यतः शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में बढ़ते हुये औद्योगिक इकाइयों, ऑयल डिपो, गैस गोदाम/डिपो, कच्चे केलूपोस मकान एवं झोपड़ियों में बिजली के शॉट सर्किट हो जाना एवं पहाड़ी– सघन वन क्षेत्रों में बाँस आदि की रगड़ से आग लग जाना एवं कई बार राहगीरों द्वारा बिड़ी, सिगरेट पीकर उसको अर्ध जली हालात में फेकने के कारण आग लगने की सम्भावनायें अधिक रहती है। आग लगने से अत्यधिक ताप का बढना, धुऐं का एकीकृत होना घटना स्थल पर विस्फोट होना, भवनों का गिर जाना/क्षति होना, आव यक सेवाओं, पानी, बिजली, आदि में व्यवधान जानमाल की हानि तथा वनस्पति का नष्ट होना आदि दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं। कई बार रसोई घर में भी रसोई गैस चलाकर इधर–उधर चले जाना एवं पुराने पाईप से गैस लीक होना, गैस चलाने के लिये माचिस का उपयोग, बिजली के बटन से भी आग लगने की सम्भावनायें, यंत्रों के अधिक गर्म होने पर भी चिंगारियां छोड़ना आदि क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील होते हैं। आज–कल शादी के पाण्डाल बनाये जाते है वहीं पर गैस भट्टियाँ एवं तन्दूर आदि, बिजली फिटिंग में लापरवाही, उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल का अलग ना होना, ज्वलनशील पदार्थ के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से, वर्षा ऋतु में बिजली गिरने, पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सियों एव छविगृहों में आग लगने की अधिक सम्भवनाऐं रहती है। औद्योगिक ईकाइयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण, एवं असावधानिक पूर्वक प्रयोग, साथ ही ज्वलनशील घोल में अन्य प्रदार्थ के मिश्रण से भी आग लग सकती है। देश में हुये कुछ उदाहरण जैसे शादियों के कारण डबवाली अग्निकांड, भरतपुर में आयुध डिपो में आग आदि कई परिस्थितियाँ से बाहरी क्षेत्र में भयंकर आग लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे मकान, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, बिस्तर में लेटे–लेटे बीड़ी–सिगरेट पीना, आतिशबाजी, खेत खलिहानों में अवशिष्ट एवं काँटों को जलाते वक्त हवा चलने से चारों ओर आग फैल कर भयावह रूप धारण कर लेती है।

इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने एवं बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख हो। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

जिला DDMP योजना के चरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं –

- जिले की विभिन्न आपदाओं का जोखिम, संवेदनशीलता व क्षमता विश्लेषण
- क्क्ड्च हेतु जिला संस्थागत व्यवस्था
- जिले में आपदा शमन व रोकथाम के प्रयास
- जिला आपदा व राहत प्रत्याक्रमण
- जिले में वित्तीय संसाधन

- आपदा रोकथाम हेतु तैयारी
- मूल्यांकन

इन विभिन्न चरणों में चित्तौड़गढ़ जिले का विस्तृत अध्ययन कर जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

1.4 प्रभारी व दायित्व –

जिले में क्क्डच से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों हेतु प्रभार व दायित्त्व निम्न प्रकार हैं –

क्र. सं.	विभाग / अधिकारी	प्रभार / दायित्व
1.	जिला कलेक्टर	आपदा–राहत व प्रत्याक्रमण कमांडर, आपदा के समय जिले का उत्तरदायी अधिकारी
2.	प्रभारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा राहत व प्रत्याक्रमण सचिव, कार्यकारी प्रभारी
3.	जिला कार्यकारी समिति	क्क्डच निर्माण, मूल्यांकन, आधुनिकीकरण
4.	कोषागार	आपदा राहत–प्रत्याक्रमण हेतु वित्त व्यवस्था
5.	चिकित्सा, पुलिस, विद्युत, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, सिंचाई	आपदा के समय उत्तरदायित्व व प्रभार अनुसार त्वरित कार्यवाही

तालिका 1.1 DDMP प्रभार व दायित्त्व

1.5 DDMP उपयोग प्रक्रिया –

DDMP जिला चित्तौड़गढ़, जिले के लिए एक आदर्श रूप रेखा है जो संभावित आपदाओं, उनके प्रभावों तथा आपदा शमन व रोकथाम के उपाय सुझाती हैं। क्क्डच का क्रियान्वयन तथा उपयोग एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यह ***Top to Bottom to Top*** प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

1.6 DDMP योजना स्वीकृति –

DDMP चित्तौड़गढ़ की स्वीकृति दो स्तर पर ली जानी प्रस्तावित है।

- जिला स्तर पर प्रथम – जिला कार्यकारी समिति – जिसमें जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी तथा विभिन्न प्रशासनिक व अग्रणी विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे।
- राज्य स्तर पर – राज्य कार्यकारी समिति – इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया तथा राज्य स्तर के विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी सम्मिलित होगें।

उक्त दोनो स्तरों पर DDMP

के अनुमोदन के पश्चात् क्क्डच का क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिले में किया जायेगा।

1.7 DDMP मूल्यांकन व आधुनिकीकरण–

जिला क्क्डच एक गत्तिक व परिवर्तनशील अभिलेख है। समय व आवश्यकतानुसार DDMP का मूल्यांकन व आधुनिकीकरण सतत् व निरंतर चलने वाल प्रक्रिया होगी। DDMP में त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकीकरण प्रस्तावित होगा। DDMP अधिनियम – 2005 के अनुसार DDMP में आंशिक रूप से वार्षिक तथा प्रत्येक 5 वर्ष में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। जिला DDMP में मूल्यांकन व आधुनिकीकरण में इसी पद्धति का अनुसरण किया जायेगा।

अध्याय–2

Hazard Vulnerability, Risk and capacity Assessment

आपदा सुभेद्यता, जोखिम विश्लेषण व क्षमता मूल्यांकन

विषय वस्तु –

2.1 जिले की प्रमुख आपदाएँ

2.2 जिले का प्रशासनिक, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप

2.3 जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्यता विश्लेषण

2.4 जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन (भ्टब्।द्व

2.5 जिले की प्रमुख आपदाओं के सन्दर्भ में क्षमता मूल्यांकन

2.1 जिले की प्रमुख आपदा

किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली आपदा की सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण उस आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुर्जुगों, महिलाओं, निशक्त जनों से किया जाता है। आपदा की विभिन्न सामाजिक–आर्थिक–जैविक पक्षों को प्रभावित करने की क्षमता उसकी सुभेद्यता कहलाती है, जबकि आपदा से होने वाले संभावित नुकसान का आंकलन जोखिम माना जाता है।

आपदा प्रबंधन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है–

- जलवायु सम्बन्धी – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना,गर्म व ठंडी हवाऐं, तूफान व बिजली गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धी– भूकम्प, भूस्खलन, बांध का टूटना, खान में आग।
- रासायनिक,औद्योगिक व परमाणु सम्बन्धित–रासायनिक, औद्योगिक विपदा, परमाणु विपदा
- दुर्घटना सम्बन्धित– आग, बम, वायु, सड़क, रेल, दुर्घटना, भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाऐं–महामारी, टिड्डी दल का आक्रमण, जानवरों की महामारी

चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2014 के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की विपदा व जोखिम संवेदनशीलता के आकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के समूह द्वारा जिले में घटित पूर्व आपदाऐं तथा संभावित जोखिम के आधार पर जिले का भ्टब्। किया गया तथा निम्न मुख्य 10 आपदाऐं चिन्हित की गई। मुख्य 5 आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना तथा अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना की अनुशंषा की गई।

जिले की मुख्य आपदाऐं–

- बाढ़
- सूखा
- दुर्घटनाऐं
- आग
- भूकम्प

अन्य आपदाऐं–

- साम्प्रदायिक दंगे
- ओलावृष्टि
- बांध टूटना
- रासायनिक व औद्योगिक आपदाऐं
- ताप व शीतघात

2.2 जिले का प्रशासनिक, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप–

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्वी भाग में $24^{0}.13^{।}$ से $25^{0}.13^{।}$ उतरी अक्षांश और $74^{0}.04^{।}$ से $75^{0}.53^{।}$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला और मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर एवं राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बून्दी जिले स्थित हैं।

यह जिला समुद्री तल से एक हजार छः सौ फीट औसत ऊँचाई पर स्थित है। इसका अधिकांश भू–भाग दक्षिण तटवर्ती और अरावली उपत्यकाओं से आच्छादित है। जिले का न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां 83.00 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा होती है और उत्तर–पश्चिम तक जाते जाते वर्षा कम हो जाती है।

बनास, बेड़च, गंभीरी, चम्बल, कदमाली एवं वागन आदि जिले की प्रमुख नदियां है। चित्तौड़गढ़ जिले का भौगोलिक धरातल पूर्णतया समतल नहीं है। जिले के पूर्ण क्षेत्र में अरावली पर्वतमालाऐं फैली हुई है। इस जिले का ढ़लान दक्षिण से उत्तर की ओर है।

प्रशासनिक संरचना –

जिले में 11 उपखण्ड, 12 तहसील, एक जिला परिषद, 11 पंचायत समितियां 290 ग्राम पंचायतें एवं 7 शहरी स्थानीय निकाय है। जिनमें चित्तौड़गढ़ में नगरपरिषद् एवं निम्बाहेड़ा, कपासन, बड़ीसादड़ी, बेगूं, आकोला तथा रावतभाटा नगर पालिकाऐं हैं। जिला परिषद का मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जिला परिषद में 25 सदस्य एवं श्रीमती गब्बर सिंह प्रमुख, जिला परिषद् हैं।

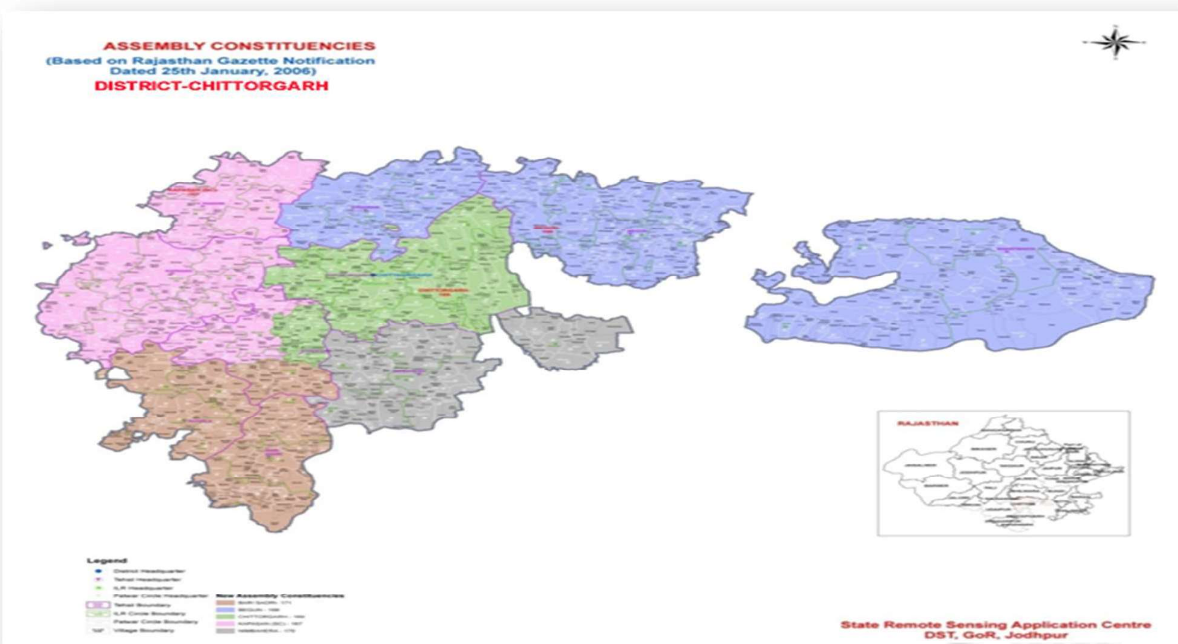

चित्र 2.1 जिला चित्तौड़गढ़ मानचित्र

जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़, बेगूं, कपासन, निम्बाहेड़ा, बड़ीसादड़ी है। जिला चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य) में आता है जिसमें जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त राजसमन्द जिले का मावली एवं उदयपुर जिले का वल्लभनगर क्षेत्र भी सम्मिलित है।

भौतिक स्वरूप–

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7822 वर्ग किमी है। इसकी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 1544338 है तथा घनत्व 197 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

भूमि उपयोग 2015–16

जिले का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 750773 हेक्टेयर है। जिले में भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार रहा :–

क्र.सं.	भूमि उपयोग वर्गीकरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	वन	121752
2.	गैर कृषि उपयोग में भूमि व पहाडियां	56351
3.	उसर तथा कृषि अयोग्य	60751
4.	अन्य पड़त (2 वर्ष से 5 की पडत)	20758
5.	स्थायी चारागाह	73930
6.	कृषि योग्य खाली भूमि	81803
7.	वृक्ष एवं कुंज	395
8.	चालू पड़त	13149
9.	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	321884
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल		**750773**

तालिका 2.4 जिला चित्तौड़गढ़ भू–उपयोग (2015–16)

जलवायु–

देश में अन्य भागों की भांति चित्तौड़गढ़ में भी वर्षा वर्षाऋतु में ही होती हे। वर्षा जून माह के अंतिम सप्ताह में आरम्भ होकर माह अगस्त के अन्त तक चलती है तथा यहां की नदियां बेड़च व गम्भीरी तीव्र गति से बहने लगती है। इन नदियों में कभी–कभी बाढ़ भी आ जाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात् शीत ऋतु प्रारम्भ होती है। सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर के महीने बड़े सुहावने रहते हैं तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने के लिये यह समय उपयुक्त है। दिसम्बर व जनवरी के महीने बड़े ठण्डे होते है। सर्दी की ऋतु तक यहां का औसत अधिकतम तापमान 28.3^0 तथा न्यूनतम तापमान 11.3^0 तक रहता है। फरवरी से अप्रैल का समय फिर सामान्य हो जाता है। मई व जून के महीने बहुत गर्म हो जाते हैं तथा यहां गर्म हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहां अधिकतम औसत तापमान 48.8^0 रहता है।

वर्षा–

जिले में औसत वर्षा 761.00 मि.मी. से 1077 मि.मी. के बीच होती है किन्तु यह सामान्यतः दक्षिण–पूर्व की ओर कम होती जाती है। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते हैं। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा–कदा वर्षा होती है।

नदियाँ, बाँध, तालाब–

- नदियाँ : चम्बल, बनास, बेड़च, जाखम एवं वागन मुख्य नदियाँ एवं गम्भीरी, ब्राह्मणी एवं गुजराती इनकी सहायक नदियाँ है।
- बाँध : गम्भीरी, वागन, बस्सी, ओराई, बड़गांव, भोपालसागर, घोसुण्डा, राणाप्रताप सागर आदि। परिशिष्ट संख्या 22 में संलग्न है।
- झीलें व तालाब : जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है फिर भी मुख्य नदियों की शाखाओं के संग्रहण द्वारा अनेक तालाब बना लिये गये हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति –

प्रमुख फसलें–

जिले में खरीफ की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में सिंचाई जल की उपलब्धता पर रबी एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती है।

- **रबी** – गेंहू, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी आदि।
- **खरीफ** – कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग आदि।

इनके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से तम्बाकू, अफीम, फल और सब्जियों की खेती भी की जाती है। अमरूद, पपीता, निम्बू और आम के पेड भी आम तौर पर पाये जाते है। नदियों के पेटों मे भी विशेषतः बनास नदी के पेटे में जिसे जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि कहा जा सकता है फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी खूब पैदा की जाती है। नदियों के पेटे आलू, बैगन, प्याज, लहसून आदि की खेती के उपयोग में भी लिये जाते हैं। फल व सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते है। गत वर्षों से वर्षा में निरन्तर हो रही गिरावट के कारण निरन्तर बहने वाली बनास नदी में पानी की कमी के चलते फल सब्जियों की पैदावार में कमी होती जा रही हैं।

प्रमुख फसलों का उत्पादन वर्ष

क्र.सं.	फसलों का नाम	(मैट्रिक टन)
1	गेंहू	492734
2	ज्वार	13866
3	मक्का	222658
4	जौ	30261
5	मूंगफली	13742
6	सोयाबीन	174041
7	चना	5584
8	तिल	1318
9	सरसों / राई	81144

तालिका 2.5 फसल उत्पादन

प्रमुख उद्योग –

इस क्षेत्र में चूने के पत्थर की बाहुल्यता होने के कारण बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया सीमेन्ट वर्क्स, आदित्य सीमेन्ट–1, आदित्य सीमेन्ट–2,जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा, मांगरोल, लाफार्ज सीमेन्ट, वर्ण्डर सीमेन्ट एवं लेड जिंक स्मेल्टर (हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर लिमिटेड), खेतान केमिकल्स लिमिटेड (सिंगल सुपर फॉस्फेट) जैसे बड़े कारखाने इस जिले मे स्थित हैं। वर्ष 2015–16 तक फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखानों की संख्या 212 एवं सुक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की संख्या 353 हैं। पत्थर की पट्टियां निकालना, पत्थर पर पॉलिश करना व चिप्स, सीमेन्ट की जालियाँ व पाईप, सीमेन्ट के बिजली के खम्भे बनाना यहां के प्रमुख लघु उद्योग हैं। गृह उद्योग में कपड़े पर छपाई व रंगाई, जूती बनाना, चाकू तथा केचियां बनाना आदि उल्लेखनीय हैं। राणा प्रताप सागर बांध से उपलब्ध जल विद्युत एवं कच्चे माल की विशेष रूप से पत्थर की बाहुल्यता होने से यहां मार्बल उद्योगों का विकास विशेष रूप से हुआ हैं।

इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरी, सुनारगिरी, चमड़े का काम, बढ़ईगिरी, बुनने और कातने के कार्य होते हैं।

संचार एवं यातायात–

जिले में सड़क मार्ग सुदृढ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एवं 79 जिले से गुजरते है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूरब– पश्चिम कॉरिडोर का संगम चित्तौड़गढ़ के समीप होता हैं। चित्तौड़गढ़–अजमेर–रतलाम ब्राडगेज रेल्वे लाईन पर पश्चिम रेल्वे का जंक्शन हैं। यह स्थान अजमेर, रतलाम, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, कोटा, बूंदी व उदयपुर आदि स्थानों से रेल मार्ग से जुड़ा हैं।

जिले मे वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ भीलवाडा के लिये हमीरगढ़ के समीप अतिविशिष्ठ व्यक्तियों के वायुयान उतरने का अस्थाई स्थल अवश्य हैं। जिला मुख्यालय से 90 किमी की दूरी पर डबोक हवाई अड्डा जो कि उदयपुर जिले में आता हैं। वहाँ से देश– विदेश की हवाई यात्रा की जा सकती हैं। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि कोटा, इन्दौर, अहमदाबाद, दिल्ली इत्यादि को जोडते हैं।

सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों एवं प्रमुख दर्शनीय स्थल–

यहाँ वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते है। जिसमें मुख्यतः मीरा महोत्सव, जौहर मेला, राज्य स्तरीय उद्योग मेला, हरियाली अमावस्या, जलझूलनी एकादशी के मेले भरते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर होली का पर्व मनाया जाता हैं। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से 32 किमी की दूरी पर स्थित निम्बाहेडा तहसील मुख्यालय पर 10 दिवसीय दशहरा मेला भरता है जो कि राजस्थान में कोटा के बाद दूसरे नम्बर पर आता हैं।

क्र.सं.	नाम स्थल	तहसील	जिला मुख्यालय से दूरी
1	चित्तौड़गढ़ दुर्ग	चित्तौड़गढ़	08
2	सांवरियाजी (मंडफिया)	भदेसर	40
3	असावरा माता	भदेसर	35
4	झातला माता	चित्तौड़गढ़	08
5	जोगणिया माता	बेगूं	85
6	शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ	निम्बाहेड़ा	30
7	दीवान साहब दरगाह	कपासन	40

8	जे.के. मंदिर (राधा कृष्ण)	निम्बाहेड़ा	30
9	मेनाल	बेगूं	110
10	करेड़ा पार्श्वनाथ	भूपालसागर	55
11	मातृकुण्डिया	राशमी	45
12	शनि महाराज	कपासन	42

तालिका 2.6 प्रमुख दर्शनीय स्थल

चित्तौड़गढ़ वीरता एवं शौर्य की भूमि के नाम से सुप्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय पर स्थित दुर्ग ऐतिहासिक शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक विश्व विख्यात है। जिसके अवलोकनार्थ प्रतिवर्ष देश–विदेश से काफी पर्यटक आते हैं। इसी दुर्ग पर कालिका माता का मन्दिर भी है जिसके दर्शन हेतु प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है एवं वर्ष में दो बार नवरात्रि के पर्व पर मेला लगता है। जिसमें विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु कालिका माता के दर्शनार्थ आते है। चित्तौड़गढ़ से मात्र 40 किमी की दूरी पर श्री सांवलिया जी का मन्दिर है जहां पर प्रति माह अमावस्या पर मेला लगता है। मुख्यालय से 8 किमी की दूरी पर झातला माता का मन्दिर है जहां पोलियों ग्रस्त रोगी बडी मात्रा में आते हैं एवं वर्ष में दो बार नवरात्रि पर मेला लगता है। इसके अतिरिक्त आवरी माता(भदेसर), जोगणियां माता मन्दिर(बेगूं) की भी मान्यता हैं जो कि चित्तौड़गढ मुख्यालय से क्रमशः 35 किमी, 60 किमी की दूरी पर स्थित है। मुख्यालय से 52 किमी की दूरी पर भोपालसागर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित पार्श्वनाथ जैन मन्दिर है जहां वर्ष में 1 बार पोष दशम पर मेला लगता है।

2.3 जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्यता विश्लेषण –

- **बाढ़** – यद्यपि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कम है फिर भी बाढ़ व जल भराव की समस्या होती रहती है। इसका प्रमुख कारण अव्यवस्थित शहरीकरण, नदियों के मार्ग अवरूद्ध होना, तथा बांधो से अचानक पानी छोड़ा जाना, अतिवर्षा आदि है।

पिछले कुछ समय से ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ आई है जिनमें बाढ़ोन्मुख होने की कभी संभावना नहीं रही। उदाहरण के लिए 2006 में बालोतरा (बाड़मेर) में बाढ़ आई। इस प्रकार के उदाहरणों ने नीति–निर्धारकों को नये सिरे से सोचने हेतु बाध्य कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ के जोखिम का आंकलन बाढ़ आने की अवधि, पुनरावृति, टोपोग्राफिक मैपिंग, नदियों के आस–पास ऊँचाई की रूपरेखा के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। साथ ही साथ जल प्रवाह प्रणाली, वर्षा के आंकडों का भी विश्लेषण किया गया है। जिसके माध्यम से उच्च बाढ़ आपदोन्मुखी क्षेत्रों का एक संयुक्त सुभेद्यता व जोखिम विवरण तैयार किया गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदियाँ– चम्बल, बनास, गंभीरी, बेड़च, वागन, ब्राह्मणी, गुंजाली, जाखम, करमोई आदि हैं। इनमें से जोखिम पूर्ण नदियाँ – चम्बल, ब्राह्मणी, गंभीरी, बेड़च आदि हैं। इन नदियों से अक्सर बाढ़ तथा जल प्लावन की स्थिति लगभग प्रत्येक दूसरे वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में बन जाती है।

चित्तौड़गढ़ : जोखिम पूर्ण नदियाँ तथा सुभेद्य क्षेत्र–

क्र.सं.	नदियाँ	सुभेद्य क्षेत्र	जोखिम
1	चम्बल	रावतभाटा, भैंसरोड़गढ़	लगभग 50 से 60 हजार जनसंख्या, आण्विक संयत्र, कृषि भूमि, गांव
2	गंभीरी व बेड़च	चित्तौड़गढ़ तथा आसपास के गांव	लगभग 1,00,000 जनसंख्या, शहरी क्षेत्र, कृषि भूमि, व्यवसायिक भवन, गांव, प्रशासनिक भवन

3	ब्राह्मणी	बेगूं व रावतभाटा तहसील का कुछ भाग	लगभग 50 से 60 हजार जनसंख्या, 30 गांव, आवासीय भवन, कृषि भूमि।

तालिका 2.7 बाढ़ सम्भावित क्षेत्र।

चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ एक प्रमुख आपदा हैं। जिसकी प्रत्येक 5 वर्ष मे पुनरावृति हो जाती है। वर्ष 2004, 2006, 2013, 2016 उल्लेखनीय वर्ष रहे जिनमें जिले को बड़े स्तर पर बाढ़ का सामना पड़ा। जिसके प्रमुख कारण अतिशय वर्षा तथा जल निकासी व्यवस्था का उचित न होना रहा। वर्ष 2016 की बाढ़ अभी ताजा उदाहरण हैं। दिनांक 08 से 13 अगस्त 2016 तक कुल 3804 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई। परिणामस्वरूप जिले में मुख्यालय तथा बेगूं तहसील में क्रमशः गंभीरी व ब्राह्मणी नदियों में उफान के कारण भारी बाढ़ आ गई। तालिका 2.8 में गत वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में औसत वार्षिक वर्षा से विचलन फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई।

चित्तौड़गढ़ : बाढ़ की पुनरावृति–

वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा	औसत वार्षिक वर्षा से विचलन	औसत वार्षिक वर्षा से प्रतिशत विचलन	बाढ़
1983	774.55	183.73	31.54	सामान्य बाढ़
1994	800.87	212.05	36.01	सामान्य बाढ़
1996	777.90	189.08	32.11	सामान्य बाढ़
2004	831.63	242.81	41.24	सामान्य बाढ़
2006	976.67	388.15	65.92	भारी बाढ़
2013	957.00	350.16	61.32	भारी बाढ़
2016	1312.7	498.2	74.2	भारी बाढ़

तालिका 2.8 बाढ़ प्रभावित वर्षों में क्षेत्र में वर्षा का औसत।

तालिका 2.8 के आकलन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1983, 1994, 1996, 2004, 2006, 2013, 2016 बाढ़ के वर्ष रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में चित्तौड़गढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 8300.01 मि.मी. रही है। पिछले पाँच वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में शहरी बाढ़ की समस्या उभर कर सामने आई है। वर्ष 2016 की बाढ़ में यह प्रमुखता से देखी गई। इसके प्रमुख कारण अनियमित व अनियोजित बसाव, पॉलीथीन का प्रयोग, खराब सीवरेज प्रणाली रही।

चित्तौड़गढ़ जिले में कई बाँध भी स्थित हैं जो अतिशय वर्षा के समय जोखिम वाले क्षेत्र बन जाते हैं–

चित्तौड़गढ़ः प्रमुख बाँध व उनका जोखिम–

क्र.सं.	बाँध का नाम	पूर्ण भराव गेज (फिट में)	पूर्ण भराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी.)
1	बस्सी डेम	36.08	820.00
2	लुहारिया	9.00	103.00
3	सादी	13.50	75.80
4	मोडिया महादेव	16.00	110.00
5	बनाकिया	13.00	333.30
6	सांकलखेडा	35.10	111.50
7	गुनैर	18.00	29.66

8	घोसूण्डा	423 त्-	1123.00
9	गंभीरी बांध	23.00	1942.49
10	मुरलिया बांध	9.50	340.00
11	सांवरिया सरोवर	13.00	191.00
12	बडगांव	25.00	1112.00
13	पटोलिया	12.00	53.00
14	भोपालसागर	18.00	655.00
15	मेवदा	8.50	77.00
16	धमाना	12.00	56.00
17	अरनिया	8.00	72.00
18	डिंडोली	12.00	265.00
19	सरोपा	12.50	120.00
20	कांकरिया	11.50	56.00
21	कपासन	11.50	250.00
22	वागली	8.20	68.00
23	सिंहपुर	4.92	34.50
24	सोनियाना	12.00	240.00
25	कुंवालिया	7.50	36.47
26	सालेरा	20.00	150.00
27	बोरदा	14.00	178.00
28	उंचकिया	13.00	186.00
29	सोमी	8.20	79.10
30	आरनी	10.00	55.24
31	ओराई	31.00	1246.00
32	देवलिया	21.50	84.00
33	रूपारेल	21.33	342.70
34	भंवर पीपला	23.00	59.41
35	डोराई	27.52	300.00
36	कालादेह	16.50	60.12
37	राजगढ़	13.00	107.00
38	खोखी	21.32	70.98
39	जलसागर	16.40	54.03
40	धांधडा	8.06	13.42
41	मालदेवी	8.43	29.10
42	वागन	16.40	1436.00
43	पारसोली	14.00	97.80
44	बाड़ी मानसरोवर	16.40	334.80
45	ऊंचा	13.78	92.00
46	भावलिया	12.46	90.52
47	सरसी का नाका	13.94	53.32

तालिका 2.9 जिले में स्थित प्रमुख बॉध एवं उनकी भराव क्षमता

- सूखा–

मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण राजस्थान एक प्रमुख सूखा ग्रस्त राज्य हैं, सभी प्राकृतिक आपदाओं के मुकाबले सूखे का असर सबसे ज्यादा लोगों व पशुओं पर पड़ता है। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ता है जो सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की अपेक्षा सूखे का असर भिन्न तरीके से होता है। धीमी गति के कारण इसका असर धीरे–धीरे महसूस होता है तथा लम्बे समय तक रहता है।

सूखे की प्रभावशीलता जब निरंतर बढती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है। 1. प्रचण्ड सूखा 2. सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में औसत से 50 प्रतिशत कम वर्षा होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा होती हैं। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है, जिसमें इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। यदि यह कमी 25–30 प्रतिशत हो तो सीमित सूखा और यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति माना जाता हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले दो दशक में सूखे की दशा निम्न प्रकार रही –

चित्तौड़गढ़ : सूखे का विश्लेषण–

क्र. सं.	वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा	जिले की औसत वार्षिक वर्षा से विचलन	प्रतिशत विचलन	सूखे की दशा
1	1987	331.45	–257.37	–43.71	अति सूखा
2	1988	440.26	–148.56	–25.23	सामान्य सूखा
3	1998	415.24	–173.58	–29.48	सामान्य सूखा
4	2000	417.49	–171.33	–29.10	अति सूखा
5	2002	378.67	–210.15	–35.69	अति सूखा
6	2007	648.3	–176.10	–48.70	अति सूखा
7	2009	576.7	–187.06	–45.60	अति सूखा

तालिका 2.11 जिले में सूखा प्रभावित वर्ष

चित्तौड़गढ़ के सन्दर्भ में सूखे की सुभेद्यता व जोखिम –

राजस्थान राज्य पिछले दशक में लगातार सूखे की चपेट में रहा हैं। वर्ष 1987, 1998, 2000, 2002, 2007, 2009 सूखे के वर्ष रहे हैं। वर्ष 2000 में तो 32 में से 32 जिले सूखे की चपेट में रहे। वर्ष 2000 में राज्य के 41000 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये। वही राज्य में कृषि योग्य 129.00 लाख हैक्टेयर भूमि में 48.06 लाख सूखा ग्रस्त रहा। इसमें लगभग 432.00 लाख जनसंख्या एवं 543.00 लाख जानवर प्रभावित हुये। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2007 मे जिले में लगभग 1274 लाख रू. खर्च किये। इसी प्रकार वर्ष 2000–01 व 2001–02 में जिले में 2242 लाख, 2002–03 व 2003–04 में 2940 लाख रू व्यय किया गया। वर्ष 2004–05 व 2005–06 में 320.50 लाख रूपये व्यय हुये। जिले में वर्ष 2006–07 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ हो जाने से राहत कार्यों के संबंध में अलग से व्यय का आंकलन नहीं किया गया।

वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत जिले में कुल 1747 गांवों में से 1685 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। प्रभावित परिवारों को 100 दिन का रोजगार नरेगा योजनान्तर्गत दिया गया। जिले मे कुल 307 कार्य स्वीकृत किये गये। जिन पर 143680 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

सूखे की सुभेद्यता :–

सूखे से सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका तथा रोजगार के साधन मात्र कृषि पर निर्भर होते हैं। सूखे का सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पादन पर ही पड़ता है। अतः कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। सूखे के कारण कृषि कार्य तथा फसल दोनो पर संकट उपस्थित हो जाता है। अतः कृषकों के समक्ष रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं बच जाता है। मनुष्य तथा जीव–जन्तु अन्य सुभेद्य लक्ष्य होते हैं। कृषि उत्पादन न होने, रोजगार साधन अल्प होने, जल का संकट होने से जीव समुदाय (मानव, जीव–जन्तु) के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जीव समुदाय त्राहि–त्राहि करने लगता हैं।

सूखे के जोखिम–

- पेयजल की कमी
- जलाशयों में पानी का अभाव
- भूगर्भिक जल स्तर में कमी
- कृषि उत्पादन का कम होना
- पशुचारे का संकट
- कुओं तथा परम्परागत जल स्त्रोतों का सूखना
- लोगों का पलायन
- वनस्पति का नष्ट होना
- आजीविका के साधन समाप्त होना
- बडी संख्या में जनधन की हानि होना

चित्तौड़गढ़ जिले मे सूखे के राहत व प्रत्याक्रमण प्रयासों का विवरण पूर्व में किया गया है।

- **भूकम्प–** भूकम्प एक आकस्मिक आपदा है, जो पृथ्वी के आन्तरिक भाग में होने वाली हलचल का परिणाम होता है। इससे लहरदार कम्पन्न उत्पन्न होता है, जो भूपटल पर नुकसान पहुँचाता है। अधिकांश भूकम्प भूपटल से 50–100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं । जिस स्थान पर भूकम्प उद्गम होता है वह भूकम्प मूल तथा इस मूल के ठीक उपर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं। भूकम्प मूल से उठने वाली तरंगे अधिकेन्द्र पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है जबकि जैसे जैसे अधिकेन्द्र से दूर जाते है वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 6.9 तीव्रता का भूकम्प आया। यह गत 150 वर्षों का सबसे तीव्रता वाला भीषणतम भूकम्प था। इससे 20 हजार लोग काल के ग्रास बन गये। बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड टेक्नोलोजी प्रमोशन कांउसिल (बीएमटीपीसी) के अनुसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र भूकम्प जोन ण्ण्ण् व प्ट में आते हैं। चित्तौड़गढ़ जोन II में आता है। यहाँ निम्न जोखिम की सम्भावनाएँ हैं।

राजस्थान : भूकम्प जोन–

क्र.सं.	जोन	तीव्रता	परिमाण	जिला
1	IV (उच्च नुकसान जोखिम)	VII-VIII	6.0–6.9	बाड़मेर, जालौर, अलवर, भरतपुर
2	III(सामान्य नुकसान जोखिम)	VI-VII	5.0–5.9	उदयपुर का कुछ भाग, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेंर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनूं, सीकर
3	II (निम्न नुकसान जोखिम)	IV-VI	4.0	गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा, चुरू, बुन्दी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, पाली, जोधपुर

तालिका 2.12 राजस्थान में भूकम्प सम्भाव्य क्षेत्र

भूकम्प एवं सुभेद्यता–

रिक्टर स्केल में 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकम्प के समय सुभेद्यता का विश्लेषण कठिन होता है। क्योकि ये समान रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र में विनाश करता है। चितौड़गढ़ जिले में अब तक कोई विनाशकारी भूकम्प नहीं आया है। फिर भी बढ़ते शहरीकरण तथा ऊँची इमारतों के निर्माण के कारण यहाँ पर भूकम्प का जोखिम बढ़ रहा है। भवन निर्माण में आवश्यक मानकों का पालन प्रायः यहाँ नहीं किया जाता है।

चितौड़गढ़ जिले में भूकम्प सुभेद्यता क्षेत्र निम्न है–

1. शहरी क्षेत्र
2. शहरी आवासीय क्षेत्र
3. बहुमंजिला इमारतें
4. बहुमंजिला व्यावसायिक भवन
5. बहुमंजिला प्रशासनिक भवन
6. प्रमुख बड़े बांध
7. रावतभाटा आण्विक सयंत्र
8. औद्योगिक इकाइयाँ
9. बड़े पुल
10. रेलवे लाइन व सड़कें

भूकम्प जोखिम –

भूकम्प का जोखिम रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता के अनुसार होता है। कम तीव्रता वाले भूकम्प का जोखिम कम तथा अधिक तीव्रता वाले भूकम्प का जोखिम अधिक होता है। तालिका 2.13 में भूकम्प तीव्रता व जोखिम को दर्शाया गया है।

क्र.सं.	मापक	जोखिम
1	0	केवल भूकम्प लेखीयंत्र से अनुभव।
2	3.5	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव।
3	4.2	आराम करते हुए लोगों को।
4	4.3	चलते हुए लोगों को, खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्न।
5	4.8	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते है।
6	4.0–5.4	सभी लटकी वस्तुऐं हिलने लगती है।
7	5.5–6.1	दीवारों में दरार पडकर आतंक छा जाता है।
8	6.2	ऊंची ईमारतें गिर जाती है। मकानों में दरारें पड़ जाती है।
9	6.8–6.9	मकान धंस जाते है। भूमि में दरारें पड़ जाती है।

10	7.0–7.3	धरातल में लम्बी दरारें, भूस्खलन।
11	7.4–8.1	पुल रेल लाईनों का टूटना, भूस्खलन, बड़ी नदियों में बाढ़।
12	8.1 से अधिक	सर्वनाश धरातलीय पदार्थ हवा में छलने लगते है। धरातल में धसाँव व उभार।

तालिका 2.13 भूकम्प तीव्रता एवं उससे होने वाली हानि

- **दुर्घटनाऐं**–दुर्घटनाऐं आकस्मिक होती है। इनका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है और न ही इनसे होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। केवल इनके सुभेद्य क्षेत्र व जोखिम का विश्लेषण कर शमन व रोकथाम के प्रयास किये जा सकते है।

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख संभावित दुर्घटनाऐं निम्न है–

1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना
2. औद्योगिक – रासायनिक दुर्घटनाऐं
3. आण्विक दुर्घटनाऐं
4. बाँध टूटना
5. आग

सड़क दुर्घटना–

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है। जिसके फलस्वरूप आज दुरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते है उसमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घण्टे में 10 व्यक्ति दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इससे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिसमें बहुत से उम्र भर के लिये अपंग हो जाते है।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्वि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं को रोके ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही।
- यातायात नियमों का पालन न करना।
- खराब सड़कें।
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़।
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव।
- आवारा मवेशियों का सड़क पर पाया जाना।
- नीलगायों (रोजड़ों) जंगली जानवरों का अचानक रोड क्रोस करना।

सड़क दुर्घटनाएं : सुभेद्यता व जोखिम

चित्तौड़गढ़ जिले में कुल सड़कों की लम्बाई 4073 किमी है। यहां सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नही होना, सड़क के दोनों ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नही आता तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां एवं माल लोडिंग करना है।

रेल दुर्घटनाएं : सुभेद्यता व जोखिम

चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेडा, गंगरार, कपासन, बड़ीसादड़ी, भोपालसागर, बेगूँ तहसील क्षेत्र से रेल्वे लाईन गुजरती है तथा गत 5 वर्षों में यहां कोई रेल दुर्घटना नही हुई है। किन्तु आकस्मिक दुर्घटनाऐं पूर्व चेतावनी नहीं देती हैं। अतः समय–समय पर मॉक ड्रिल आवश्यक है।

जिला चित्तौड़गढ़ से नेशनल हाईवे 76 (मंगलवाड, चित्तौड़गढ़ पारसोली व लाडपुरा) एवं 79 (गंगरार, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेडा) से गुजरते है। जिस पर से प्रतिदिन लगभग 12 हजार वाहन गुजरते है तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत ओवर टेकिंग के कारण होती है।

चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण–

सड़क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
चित्तौड़गढ़ से कोटा मार्ग	ठुकराई, मेनाल, जोगणिया माता घाटा सेक्शन,काटुन्दा।
जयपुर–चित्तौड़गढ़–उदयपुर मार्ग	औछड़ी क्षेत्र, चन्देरिया क्षेत्र, गंगरार क्षेत्र

तालिका 2.14 जिले में सड़क दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र

दुर्घटना राहत कार्य योजना–

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा दूरभाष नं. 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दे। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है। वरन मौके पर उपस्थित आम आदमी का भी यह कर्तव्य है कि वो तत्काल प्रशासन, पुलिस, चिकित्सालय आदि को दूरभाष पर सूचना देवें।

- **आग**–मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते है। जिले की अर्द्धशुष्क जलवायु के साथ ही बढ़ती औद्योगिक इकाइयों, ऑयल डिपो, गैस गोदाम/डिपो साथ ही कच्चे केलूपोस मकान एवं झोपड़ियाँ, बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाना एवं पहाड़ी सघन वन क्षेत्रों में बाँस आदि की रगड़ से आग लग जाना एवं कई बार राहगीरों द्वारा बीडी, सिगरेट पीकर उसको अर्द्ध जली हालत में फेंकने के कारण आग लगने की सम्भावनाऐं अधिक रहती हैं। आग लगने पर घटना स्थल पर विस्फोट होना,

तापमान बढ़ना, भवनों का गिर जाना/क्षति होना, आवश्यक सेवाओं पानी, बिजली आदि में व्यवधान, जान–माल की हानि तथा वनस्पति का नष्ट होना आदि दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। कई बार रसोई घर में भी रसोई गैस चलाकर इधर उधर चले जाना एवं पुराने पाईप से गैस लीक होना, गैस चलाने के लिए माचिस का उपयोग, बिजली के बटन से भी आग लगने की संभावनाएँ होती हैं। यंत्रों के अधिक गर्म होने पर चिंगारियाँ, शादी के पाण्डाल, वहीं पर गैस भट्टियाँ एवं तंदूर आदि, बिजली फिटिंग में लापरवाही, उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल का अलग न होना, ज्वलनशील पदार्थ के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से एवं शहरों में खाली पड़े प्लाटों में झाड़– झंकाड़, वर्षा ऋतु में बिजली गिरने, पेट्रोल पम्प पर, गैस एजेसिंयों में एवं छवीगृहों में मानवीय भूल आदि कारणों से आग लगने की अधिक संभावनाएं रहती है।

औद्योगिक इकाईयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारन एवं असावधानी पूर्वक प्रयोग साथ ही ज्वलनशील घोल में अन्य प्रदार्थ के मिश्रण से भी आग लग सकती है, देश में हुए कुछ उदाहरण जैसे –शादी ब्याह के कारण डबलवाली अग्निकाण्ड, भारत में ऑयल डीपो में आग आदि। कई परिस्थितियों से शहरी क्षेत्र में भयंकर आग लगने की स्थिति उत्पन हो जाते है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे मकान, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, बिस्तर में लेटे–लेटे बिड़ी सिगरेट पीना, आतिशबाजी, खेत–खलिहानों में अवशिष्ट को जलाने पर हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर लेती है।

व्यावसायिक व रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लकडी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते है। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड देते है। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घासपत्ती लकडी एवं सड़क पर चलती मोटर गाडी की चिंगारी पडने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतम अग्निकाण्ड मानवजनित होते है। बिजली शार्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशु हानि, निजी–सार्वजनिक सम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतर आग काश्तकारों के द्वारा कड़बी (चारा) इकट्ठे करने वाले स्थानों पर बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से आग लगने की घटनाएँ।

चित्तौड़गढ़ जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र :

चित्तौड़गढ़ शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है। पेट्रोल पम्पों, छविग्रहों तथा गैस एजेंसियों की सूची परिशिष्ट संख्या 24, 25, 26 में संलग्न है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्य क्षेत्रों–बस्सी, सीतामाता, रावतभाटा का वन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की पूरी सम्भावना होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य संभावनाऐं :

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो जाती है जिस पर यदि त्वरित नियत्रंण न किया तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है यथा वे औद्योगिक इकाइयाँ जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है। जैसे–सीमेंट उत्पादक, रासायनिक उर्वरक इकाईयाँ आदि।

- **साम्प्रदायिक तनाव**–भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते है। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषों के कारण छोटे–छोटे झगडे कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न त्यौहार, रैलियों, जुलुस, मेले आदि साम्प्रदायिक तत्वों के सुभेद्य लक्ष्य होते है।साम्प्रदायिक तनाव व दंगों को कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते है। जिनमें वह सभी सम्प्रदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते है तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते है।
- **ओलावृष्टि**–ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आंकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है इसकी सुभेद्यता व जोखिम सामान्यतया फसलो व कृषकों के सन्दर्भ में होती है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

रबी फसल सम्वत 2071 (2015) में ओलावृष्टि/वर्षा से जिले की 10 तहसील क्षेत्र में फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु राशि 250083 लाख रू. की आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर से डिमाण्ड की गई है। तथा 16223.39 लाख रूपये का कृषि आदान अनुदान दिनांक 10.06.2015 तक आवंटित कर दिया गया है।

- **बांध टूटना**–सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता जो कि कृषि पर निर्भर है को आजीविका देने के साथ–साथ बाँध जान लेने पर भी उतारू हो जाते है। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हेतु –

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल निकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे – क्रेन, रस्सा, चाबी आदि के जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्युटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियत्रंण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।

- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी संभावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई बांधों में से अधिकांश बांध स्टेट टाईम के निर्मित है। कई बांधों व नहरों की हालत जीर्णशीर्ण है। सिंचाई विभाग के अधीनस्थ बांधों के डाउन स्ट्रीम में आबादी क्षेत्र काफी विकसित है। साथ ही इन बांधों में पाईपिंग (गुल्ला) भी वर्षा सत्र में होती रहती है जिससे बांध के टूटने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार जहां क्षारीय मिट्टी से नहर बनी होती है वहाँ भी नहर के टूटने का खतरा बना रहता है। जिससे जान व माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है।

जिले में बाँध टूटने से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची तथा उनसे प्रभावित होने वाली जनसंख्या निम्न है–

तहसील	बांध	बांध टूटने से प्रभावित होने वाले गांवो की सूची
निम्बाहेडा	गंभीरी	अरनिया जोशी, अरनियापंथ, कृपा राम जी की खेडी, टाई, सरथल, उंखलिया, गिलुण्ड, घटियावली, खेरी, चित्तौडीखेडी, फाचर, चित्तौड़गढ़शहर, झोपडियाँ, न्यूक्लॉथ मार्केट, गांधीनगर, कीरखेड़ा, चन्देरिया, आज्योड़ा
निम्बाहेडा	मुरलिया टेक	रावलिया, शम्भूपुरा, सतखण्डा, चित्तौड़गढ़
भदेसर	सांवरिया सरोवर बांध	मण्डफिया, सेगवा, टांडीखेडा, रदईखेड़ा

- **रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ–** तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ रही है। कुछ बडी दुर्घटनाएँ जैसे भोपाल गैस काण्ड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है। सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवतापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने हेतु उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए तथा साथ ही मॉकड्रिल का होना भी आवश्यक है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के संभावित प्रभाव निम्नलिखित है–
- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रव्यों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोड़वेज, विद्युत एंव जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

चितौड़गढ जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी अग्रसर है परन्तु फिर भी जिले में मुख्यतः कृषि आधारित एंव खनिज आधारित उद्योग स्थापित है। यह ईकाइयां मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। इन उद्योगों का सीधा असर आवासीय कॉलानियों पर नहीं है। सामान्यतः इन उद्योगों में किसी आपदा की विशेष सभांवना रहती है। दुघर्टना होने पर कर्मचारी का इलाज तुरन्त इकाई द्वारा किया जाता है एंव अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन से सहायता ली जाती है। दुर्घटना सम्भावित मुख्य उद्योग निम्न है–

तहसील	उद्योग का नाम व पता	उद्योग का प्रकार
चितौड़गढ़	मै. चन्देरिया लेड जिंक स्मेलटर, पुठोली	जिंक सीसा
	मै. बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया	सीमेन्ट
	मै. चितौड़ सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया	सीमेन्ट
	मै. आदित्य सीमेन्ट, सावा	सीमेन्ट
	मै. जे. के. पावर, बामनिया	पावर प्लांट
	मै. जे. के. सीमेन्ट, मांगरोल	सीमेन्ट
निम्बाहेड़ा	मै. जे. के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	सीमेन्ट
	मै़ वंडर सीमेन्ट, निम्बाहेडा	सीमेन्ट
	मै. लाफार्ज सीमेन्ट, भावलिया	सीमेन्ट
	मै. मधुसुदन इन्ण्ड लि., निम्बाहेड़ा	रिफायनरी
	मै. अरिहन्त फास्फेट, सगवाडिया	खोर
कपासन	मै. दी मेवाड़ डिस्ट्रीलरीज एण्ड फे. वर्क्स, भोपालसागर	डिस्ट्रीलरीज

- **आण्विक दुर्घटना**–आण्विक दुर्घटनाऐं वर्तमान समय की सबसे जोखिमपूर्ण दुर्घटनाऐं हैं। आण्विक शान्ति जहाँ एक और ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है वहीं दूसरी और आण्विक दुर्घटनाऐं मानव जीवन व पर्यावरण पर सैंकड़ों वर्षों तक प्रभाव डालती हैं।

चितौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील में आण्विक ऊर्जा संयत्र स्थापित है। यह केन्द्र सरकार के अधीन है। किन्तु आपातकाल की स्थिति में जिला मुख्यालय तथा आस पास के जिले ही प्रमुख रिस्पोंडर होगें।

आण्विक रिसाव या दुर्घटना की दशा में कई सैकडों कि.मी. का भाग जोखिमपूर्ण व सुभेद्य होगा। रावतभाटा तहसील, बेंगु तहसील व कोटा जिला, म.प्र. के जिले (जो रावतभाटा से लगते है)– सिंगोली, नीमच आदि उच्च सुभेद्य व जोखिम की स्थिति में होंगे। स्थापना से बाद आज तक उक्त सयंत्र में ऐसी कोई दुर्घटना सामने नहीं आई है क्योंकि सुरक्षा के उच्च मानक स्तर निर्धारित किये जाते हैं अन्यथा सम्पूर्ण जीव जगत समान रूप से बुरी तरह प्रभावित होता हैं।

2.4 जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन (HVCRA)

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भंयकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटित होने पर उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधी में सभी लोग प्रभावित होते है लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अंपग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एंव शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है ।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाली जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से

निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हे मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित – बाढ़, सुखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एंव बिजली का गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धित – भूकम्प , भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- रासायनिक, औद्योगिक एंव परमाणु सम्बन्धित– रासायनिक एंव औद्योगिक विपदा एंव परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित– आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एंव रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ– महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

चितौड़गढ़ जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना में जिले में प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन विभिन्न स्तरों पर किया गया है। जिले में संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एंव अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी । पाँच मुख्य आपदाऐं निम्न हैं–

- **सूखा**
- **बाढ़**
- **दुर्घटनाएं**
- **आग**
- **भूकम्प**

अन्य आपदाऐं –

- **साम्प्रदायिक दंगें**
- **ओलावृष्टि**
- **बांध टूटना**
- **रसायनिक एंव औद्योगिक आपदाऐं**
- **ताप (लू) व शीतघात**

संवेदनशीलता–

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहाँ के लोगों के जीवन स्तर, वहाँ की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

लोग+स्थिति+स्थान+समय+घटना

- **भौतिक संवेदनशीलता–** भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन है जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते है :–

- **मिट्टी की दीवार, कवेलू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एंव स्थानीय उपलब्ध पत्थर** –जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार टप्प ;डड्डैद्ध तक तीव्रता के भूकम्प आने पर मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।
- **पकी हुई ईटों या बड़े पत्थर के घर** –जिले में पकी हुई ईंटो या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने का संभावना है।
- **सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढ़ाचों के साथ** –इस तरह के घरों का कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात भूकम्प का दृष्टि से कुछ हद तक इन्हे ठीक कहा जा सकता है।
- **हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोपड़ियाँ** –इस तरह की सामग्री से बनी हुई झोंपड़ियाँ भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवायें अगर 47 एम./सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता– सामाजिक एंव परिस्थितिक दृष्टि से कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा = विपदा + संवेदनशीलता

- हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गौण प्रभाव
- गरीबी
- संसाधनो की कमी।

2.5 जिले की प्रमुख आपदाओं के सन्दर्भ में क्षमता मूल्यांकन –

चितौड़गढ़ जिले में बाढ़, सूखा, दुर्घटनाऐं, भूकम्प, ओलावृष्टि आदि प्रमुख आपदाऐं हैं।जिलें में आपदा प्रंबधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत जिले में एक सुदृढ़ आपदा प्रंबधन तंत्र कार्यरत है। बाढ़ के समय राहत व प्रत्याक्रमण हेतु जिले में पर्याप्त सुविधाऐं विद्यमान है। आवश्यकता पडने पर समीप के जिलों व राज्यों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2016 में आयी बाढ़ का जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय प्रबन्धन किया गया जिससे जन–धन हानि को काफी सीमा तक कम किया जा सका। बाढ़ राहत हेतु नोडल विभाग–नगर परिषद्, चिकित्सा, सिंचाई, पुलिस आदि हैं।

सूखा राहत व प्रबंधन में लिए जिले में मनरेगा चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को आजीविका कमाने हेतु 180 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसी प्रकार पेयजल टेंकर, चारा, रियायती अनाज आदि की व्यवस्था नगर परिषद् व जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। इस हेतु नोडल विभाग जिला परिषद, सिंचाई, चिकित्सा विभाग है। प्रचंड सूखा होने पर राज्य व केन्द्र सरकार की भी सहायता मांगी जाती है।

दुर्घटनाओं मे नियंत्रण व राहत हेतु जिले में परिवहन विभाग,रेल विभाग , उद्योग विभाग व चिकित्सा विभाग प्रयासरत है सभी अपने अपने स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित करते है। तथा बचाव व राहत के उपकरण व संसाधन तैयार रखते है।

जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा तथा इमरजेंसी व ट्रोमा वार्ड 24 घंटे कार्यरत है। जिले के समीप ही बड़े मल्टी स्पेश्यल्टी अस्पताल भी कार्यरत है।

भूकम्प के समय के नोडल विभाग– सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद् चिकित्सा विभाग है। भूकम्प राहत व प्रत्याक्रमण हेतु चेतावनी प्रणाली, तथा भवन निर्माण में मानक स्तर प्रयोग करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है।

इसी प्रकार ओलावृष्टि, तापघात, शीतलहरी जैसी आपदाऐं यद्यपि चितौड़गढ़ के सन्दर्भ में इतनी महत्वपूर्ण नही है फिर भी जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सदैव सजग रहते है।

किसी भी स्थान पर आने वाली आपदाऐं उनमे प्रभाव तथा उनसे निपटने के तरिकों में भिन्नता पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में आपदा व राहत प्रत्याक्रमण की सटीकता व प्रभावशीलता के लिए उस क्षेत्र का आपदा– सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण आवश्यक है।चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख आपदाएँ– सूखा, बाढ़, भूकम्प, दुर्घटनाऐं(सड़क–रेल दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आण्विक दुर्घटना) ओलावृष्टि आदि है। उक्त आपदाओं के सुभेद्य लक्ष्य अलग अलग है। जिले में पृथक–पृथक क्षेत्र बाढ़, सूखा, दुर्घटनाओं तथा मौसम सम्बन्धी अतिशयताओं से सम्बन्धित है। साथ ही साथ चितौड़गढ़ के सन्दर्भ में पृथक–पृथक क्षेत्र आपदाओं के जोखिम भी भिन्न है। उक्त आपदाओं के सन्दर्भ में जिले की क्षमताओं का मूल्यांकन भी आवश्यक है जिससे जिले की तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों व उपकरणों का पता लगाकर कमियों को दूर किया जा सके।

अध्याय–3

Disaster Management: Institutional Arrangements

आपदा प्रबंधन : संस्थागत व्यवस्थाऐं

विषय वस्तु –

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध : संस्थागत ढांचा

3.2 राज्य आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा

3.3 जिला आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा

3.4 अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाऐं

3.5 पूर्वानुमान व चेतावनी तंत्र

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा

आपदा प्रबंधन कानून : 2005 के लागू होने के बाद आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। ये सभी परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करते हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रमुख कार्य आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण है।

- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति – यह गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) – आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन हेतु गठित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) – आपदा की दशा में राहत, खोज व बचाव हेतु गठित विशेष बल ।

3.2 राज्य आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा–

राष्ट्रीय स्तर के समान ही चार एजेसियों का गठन राज्य स्तर पर किया गया है–

क्र.सं.	एजेन्सी	मुखिया	कार्य
1.	राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण	मुख्यमंत्री	नीतिनिर्धारण
2.	राज्य कार्यकारी समिति	मुख्य सचिव	राज्य को सहायता व समन्वय
3.	राज्य आपदा अनुक्रिया बल	–	खोज, राहत व बचाव
4.	राज्य आपदा प्रबंधन केन्द्र	–	प्रशिक्षण

तालिका 3.1 आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय ढांचा

3.3 जिला आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा–

चित्तौड़गढ़ जिले में केन्द्र व राज्य के समान ही संस्थागत ढांचा कार्यरत है। इस हेतु निम्न प्रकार से संस्थाऐं/एजेंसिया कार्यरत है–

क्र.सं.	एजेंसी विभाग	कार्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण
2.	इंसिडेंट रिस्पॉस सिस्टम	आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया
3.	EOC (इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर)	आपातकालीन स्थितियों पर नजर
4.	जिला कार्यकारी समिति	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण में सहयोग

तालिका 3.2 चित्तौड़गढ़ आपदा प्रबंध हेतु संस्थागत ढांचा

जिला कलक्टर हेतु आपदा के प्रबन्धन बाबत संस्थागत व्यवस्थाऐं–

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलक्टर उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- **स्थायी व्यवस्था**—प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (4) आ.प्र. एवं स.आ./आ.प्र./19361 दिनांक 06.9.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन करेगा। अधिसूचना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नांकित सदस्य होंगेः—

क्र.सं.	**अधिकारी मय पद**	**पदनाम**
1	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़	सहअध्यक्ष
3	जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़	सदस्य
4	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़	सदस्य
6	अधीक्षण इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण, विभाग वृत, चित्तौड़गढ़	सदस्य
7	कार्यपालक इंजीनियर, जल संसाधन विभाग खण्ड — चित्तौड़गढ़	सदस्य

तालिका 3.3 चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उक्त अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत अतिरिक्त जिला दण्डनायक, चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के पंत्राक एफ. 8 (1) आ.प्र.एवंसहा./आ.प्र./11/15958—92 दिनांक 26.12.2012 के अनुसरण में जिला आपदा योजना तैयार करवाने एवं इस पर प्रभावी मोनिटरिंग हेतु जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमाक/आ.प्र. एवं सहा./2012/15 दिनांक 29.01.2013 द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है।

नाम अधिकारी	**पद**
1. अति. जिला मजिस्टेट्र	संयोजक
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
3. अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4. कोषाधिकारी	सदस्य
5. जिला सांख्यिकी अधिकारी/(AD Statistics)	नोडल ऑफिसर
6. महा. प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
7. सी.ओ. स्काउट	सदस्य
8. कमीश्नर नगर परिषद	सदस्य
9. कमांडेन्ट होमगार्ड	सदस्य

समिति योजना तैयार करवा कर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त राज्य स्तर पर भिजवायेंगी।

- जिला कलक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेंगे तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेंगे तथा सूचना सचिव सहायता विभाग को भेजेंगे।
- उपखण्डों पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो आपदा आने पर स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष स्थापित है।

- **नियंत्रण कक्ष–**
  - नियंत्रण कक्ष जिला कलक्ट्रेट में स्थापित है जो आपदा के समय चौबीस घंटे संचालित रहता है।
  - नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)।
  - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
  - नियंत्रण कक्ष के फोन नं. 01472–244923 तथा चार अंकीय टोल फ्री नंबर 1077 हैं।

आपदा के दौरान जिला कलक्टर की भूमिका : रोकथाम, तत्परता एवं शमन के उपाय–

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना एवं समन्वय करना। उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना ।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा जिला स्तरीय एवं राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएँ व आँकड़े तैयार रखवाना।
- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेल्वे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा विवरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना, पड़ोसी राज्यों एवं अन्य विभागों से सहायता लेना।

पुलिस विभाग–

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स, एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस.–

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हे आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका–

- विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
  आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सकें।
- एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिट्स को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुॅचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग–

- बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा उनके मानचित्र तैयार करना।
- विगत वर्षों में आई बाढ़ का विवरण तैयार करना एवं पुनःसामान्य स्थिति प्राप्त करने हेतु की गयी कार्यवाही का उल्लेख करना।

- संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व निरीक्षण जिसमें पुल, पुलिया के नीचे बहने वाली नदियाँ व नहरें, बांधों के दरवाजे आदि सम्मिलित हैं।
- आपदा काल हेतु कंकर पत्थर एवं खाली थैले तैयार रखना।
- नदी बहाव के अवरोधों को मानसून पूर्व ही दूर करवाना।
- तैराकों–नाविकों की सूची तैयार रखना व अच्छी हालत में मैन्युअल उपकरण सहित जीवन रक्षक जैकेटों की व्यवस्था रखना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। (जैसे पम्पसेटों की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएँ लेना।
- कंकड पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधो व तालाबों मे आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु पाबंद करेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग–

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

विद्युत वितरण निगम–

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

दूर संचार निगम–

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाइल, हॉटलाईन)।

- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिकाएँ/परिषद्/निगम–

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाइयों का छिड़काव तथा सफाईं की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र वाहन आदि)

परिवहन विभाग–

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग–

- खाद्य सामग्री, पैट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग–

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी दवाईंयों की व्यवस्था करना।
- पशुओं के उपचार हेतु डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम कराना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएँ–

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

3.4 अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाऐं–

जिले में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाऐं संचालित की जाती है। पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन 24 घण्टे संचालित होते हैं।

विभिन्न निजी अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं का प्रयोग भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। निजी विद्यालय तथा निजी औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थान भी आवश्यकता पड़ने पर आवास तथा आश्रय के रूप में काम आ सकते है ।

3.5 पूर्वानुमान व चेतावनी –

जिला सूचना केन्द्र इस हेतु नोडल एजेंसी है जबकि आकाशवाणी, जिला केबल, स्थानीय टीवी चैनल, प्रशासनिक उद्घोषणा तंत्र आपदा पूर्व चेतावनी के अन्य साधन है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न निर्देशों की जिला स्तर पर पूर्ण अनुपालना एवं समीक्षा की जाती है। आपदा के समय जिला कलक्टर के दिशा निर्देश में अति. कलक्टर (प्रभारी अधिकारी सहायता) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, एवं समस्त विभागीय अधिकारी स्वंय सेवी संस्थाऐं, होमगार्ड एक टीम के रूप में त्वरित कार्यवाही कर बचाव एवं राहत प्रदान करती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर उसका अद्यतन 2017 हेतु प्रस्तुत पुस्तिका में किया गया है:–

1. **जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर ;म्व्ब्द्ध सुदृढीकरण**

   इस जिले में जिला मुख्यालय पर जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर ;म्व्ब्द्ध कमरा नं. 85 में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार इस 24 घण्टे संचालित किया जाता है। जिले में समस्त तहसील कार्यालयों में इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर आवश्यकतानुसार कार्यरत रहते हैं।

2. **खोज, बचाव, संचार व्यवस्था को विकसित करने हेतु जिले को सहायता आंवटित करने की प्रक्रिया–**

   इस जिले में सहायता विभाग से खोज बचाव व संचार व्यवस्था को विकसित करने हेतु प्राप्त उपकरण निम्नांकित है–

   - लिक्वीड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल.सी.डी.)
   - वायरलेस सेट मय वॉकी टॉकी
   - कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर, स्केनर, फैक्स (मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर)
   - जनरेटर सेट
   - मोबाइल फोन

उक्त समस्त उपकरण वर्तमान ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC) में क्रियाशील है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR), अरबन रिस्क रिडक्शन (URR), इनसिडेन्स रेस्पोन्स सिस्टम (IRS), उक्त बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार चर्चायें कर सभी को जानकारी दी जाती है।

अध्याय–4

Prevention and Mitigation

रोकथाम एवं शमन

विषय वस्तु–

4.1 रोकथाम : आवश्यकता व प्रक्रिया

4.2 जिला चित्तौड़गढ़ः आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम

4.3 शमन की आवश्यकता एवं उपाय

4.4 जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय

4.5 रोकथाम व शमन में नवाचार

4.1 रोकथाम : आवश्यकता व प्रक्रिया–

चित्तौड़गढ़ मे होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़ एवं भूकम्प शामिल है, जबकि मानव–कृत आपदाओं में आतंकी आक्रमण, दुर्घटनाएँ एवं आगजनी प्रमुख है। जिला न्यूक्लियर एवं औद्योगिक आपदओं के लिऐ भी सुभेद्य है। युनाइटेड नेशंस इटंरनेशनल स्ट्रेटिजिन फॉर डिजास्टर रिडक्शन के अनुसार 'रोकथाम' एक ऐसी अवधारणा एवं अभिप्राय है जिससे समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है। मानव –कृत आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ भूकम्प और चक्रवात को टाला नही जा सकता। लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में विकास कार्यों की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों को आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। अल्पीकरण(शमन) एक ऐसा कार्य है जिसके तहत ढ़ाँचागत एवं गैर ढ़ाँचागत उपायों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

उपरोक्त प्राकृतिक एवं मानव–कृत आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए प्रयुक्त उपायों में रोकथाम 'शमन सबंधी' पहलू भी शामिल होने चाहिए जैसे–पूर्व चेतावनी प्रणाली। जिले में सम्भावित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में सम्बन्धित विभागों को शामिल किया जा सकता है, आरेख 4.1 में इसे दर्शाया गया है।

रोकथाम–

रोकथाम संबंधी कार्यों में आपदाओ से होने वाले जोखिमों के स्तर की पहचान और निर्धारण करना और उससे जान माल और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कार्यवाही करना शामिल है। यह काम कानून बनाकर उन्हें लागू करके किया जा सकता है, जैसे भूमि उपयोग–संहिता, सुरक्षा अधिनियम, बिल्डिंग कोड्स, स्वच्छता, महामारी नियंत्रण, बाढ़ प्रबंधन आदि। रोकथाम के आसान उपायों में प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण, जलसंभर प्रबंधन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूतीकरण और बेहतर संचार व्यवस्था का विकास शामिल है। पारिस्थितिकीय पुनः प्रस्थापन, पर्यावरण प्रबंधन और क्षमता–वर्धन प्रक्रियाओ की भी संभांवित आपदओं की रोकथाम व शमन में महत्वपूर्ण भूमिका है। रोकथाम के उचित उपयों की कमी के रहते आपदा स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है, जिससे संभालना मुश्किल हो सकता है।

डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डिपार्टमेंट राज्य की सभी नियामक संस्थाओं का सदस्य है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित योजनाओं के लिए जरूरी उपाय सही तरीके से लागू हों।

जोखिम मूल्यांकन–

आपदाओं की पहचान और उनसे होने वाले जोखिमों का मूल्यांकन आपदा को कम करने की दिशा मे पहला कदम है। जोखिम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संभावित जोखिम की प्रकृति और उसके विस्तार का निर्धारण किया जाता है। यह कार्य सम्भावित आपदाओं व वर्तमान सुभेद्यता स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। आपदा और वर्तमान सुभेद्यता स्थिति मिलकर जान–माल, रोजी–रोटी और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते है।

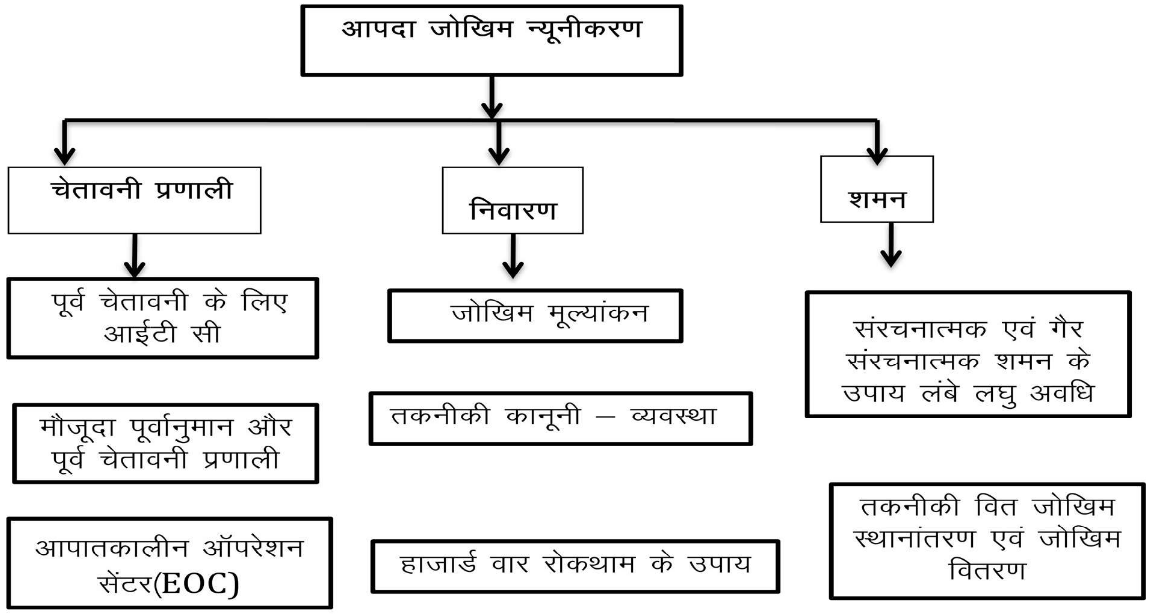

चित्र 4.1– आपदा रोकथाम व शमन

आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग, एजेंसियाँ, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करायें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग डेटा पर आधारित सुभेद्यता विश्लेषण एक अनिवार्य जाँच घटक होना चाहिए।

तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था–

आपदा के विपरित प्रभावों को कम करने के लिए एक अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है इसके लिए कारगर नीतियों और कानूनों का बनाया जाना तथा जिले के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं एजेंसियो द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वयक प्रतिक्रयाओं का प्रावधान किया गया है। कारगर रोकथाम एवं शमन सम्बन्धी उपायों के लिए एक विस्तृत तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है जिसमें निम्न लिखित उपाय शामिल हों ।

- शमन निर्माण कार्यों में बेतहाशा वृद्धि और बढते शहरीकरण के मद्धेनजर, नगरपालिका कानूनों जैसे डवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, बिल्डिंग बाइलाज और स्ट्रक्चरल सेफ्टी फीचर्स में बदलाव की जरूरत है।
- जरूरी रक्षा उपायों के बिना निमार्ण कार्यों के अयोग्य इलाके में इमारतें बनाने से उस क्षेत्र की आपदा सुभेद्यता और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे निपटने के लिये उचित अनुपालना प्रक्रिया की जरूरत है।
- पर्यावरण एवं आपदा आँकडों का विश्लेषण करके विभिन्न भौगोलिक व प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना तैयार करना। यह शहरों और उच्च सघनता वाले क्षेत्रो में आवास के लिए सुरक्षित स्थान और अन्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिहाज सें बहुत ही प्रासंगिक है।
- छोटे स्तर पर विभिन्न उपयोगों के डाटाबेस के आधार पर एक भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने की आवश्यकता है। विकास की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भूमि उपयोग योजना तैयार करने की भी महती आवश्यकता है।

- भूकम्प जैसी आपदायें लोगो को नहीं मारती लेकिन गलत तरीके से डिजाइन्ड ओर कमजोर इमारतें लोगों की मौत का कारण बनती है। नई इमारतो का सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतों में रीट्रोफिटिगं को वरीयता दी जायेगी।
- इंदिरा आवास योजना और अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाईन और स्पेसिफिकेशंस को आपदा–सुरक्षा की दृष्टि से पुनः जाँचा जायेगा।
- राज्य/नगर पालिका के बिल्डिंग बाइलॉज में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का समायोजन अनिवार्य होगा।
- राज्य व जिला स्तर पर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ठेकेदारों और राजमिस्त्रीयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत है।
- सुरक्षित विद्यालयों, अस्पतालों और प्रमुख स्मारकों एवं अन्य जीवनोपयोगी इमारतों की सुरक्षा को प्रमुख वरीयता होगी।
- जिले के सभी विद्यालयों व अस्पतालों की इमारतों को भूकम्परोधी बनाया जायेगा तथा उनमें अग्नि सुरक्षा के लिये उपयुक्त उपकरण लगाये जायेगें।

जिले में एक मजबूत अनुपालन व्यवस्था कायम करने की जरूरत है, जिसमें परिणामों की अनिवार्यता के साथ–साथ, टेक्नो–लीगल और फाईनेंसियल प्रावधानों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्ति करना महत्वपूर्ण है कि जिले में निगरानी, सत्यापन और अनुपालन व्यवस्थाएं ठीक कार्य कर रही है। इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सभी सहभागियों का दायित्व होगा ।

4.2 जिला चित्तौड़गढ़ः आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम–

जिले में आपदानुसार सभी विभागों व एजेंसियो हेतु रोकथाम शमन के उपाय–

- **सूखा**

सामान्य उपाय–

सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग जल संभर विकास, एकीकृत घाटी योजना, सिंचित कृषि में जल प्रबंधन, उचित फसल पैटर्न का चयन, बरसाती जल का संभरण, भू–जल का कृत्रिम रिचार्ज, तालाबों और टांकों का जीर्णोद्वार, सिंचाई व्यवस्था की उचित देखभाल, जल का पुनः प्रयोग व *सबऑप्टिमल क्वालिटी* के जल का प्रयोग, जलाशयों से वाष्पीकृत क्षय की रोकथाम, मृदा वाष्पीकरण में कमी के उपाय।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

जल सम्पदा का एक सक्रिय डेटाबेस तैयार करना तथा वाटर रिसोर्स इन्फार्मेशन सिस्टम(डब्ल्यूआरईए) का विकास। एक विस्तृत जल सम्पदा रिपोर्ट तैयार करना जिसमें जलसंभर स्तर पर होने वाली वार्षिक विभिन्नताऍं शामिल हों। स्वचालित मौसम स्टेशनों और रेन गेज स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तारीकरण जिससे वाष्पीकरण और बरसात संबंधी आंकडे प्राप्त हो सके। डीएमसीज

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नोलेज सेंन्टर्स द्वारा किये जा रहे प्रयासों का सुसंगतीकरण करेगा। राज्य जल नीति 2010 के साथ समाभिरूपता।

- **भूकम्प**

सामान्य उपाय–

आम जनता को जागरूक करना तथा इलेक्ट्रोनिक एवं मिडिया द्वारा ''करो और मत करो'' की जानकारी देना, मौलिक रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना । प्रशिक्षण के माध्यम से इंजीनियरों, आर्किटेक्ट और राजमिस्त्रियों का क्षमता–वर्धन।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हैजार्ड सेफ्टी सेल(एचएससी) का गठन। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में एक रेट्रोफिटिंग क्लीनिक की स्थापना। यह क्लीनिक रेट्रोफिटिंग उपायों के बारे में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को प्रशिक्षण देता है। क्षमता वर्धन, प्रशिक्षण, शोध एवं विकास कार्यों के लिए स्टेट रिसोर्स इंस्टिट्यूटस का चयन। एसईसी जरूरी तकनीकी एवं कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएँ शुरू करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सहभागी जैसे बिल्डर्स, आर्कीटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सरकारी विभाग भूकम्प रोधी निमार्ण पद्धति प्रयोग में ला रहे है और सभी डिजाइन एवं निर्माण कार्यों में भूकम्पी सुरक्षा प्रदान कर रहे है। सरकार एमएचए द्वारा निर्धारित मॉडल टाउन प्लानिगं बाइलॉज का पुनर्विवेचन करेगी और उन्हे लागू करेगी। निर्माण कार्यों मे सुरक्षा पहलुओं से जुडे सभी व्यवसायों को लाइसेंस देकर उनका प्रमाणीकरण डीसीआई में सम्मिलित किया जायेगा। एसईसी एक टैक्नो–लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना करेगी जिससे निर्माण कार्य से जुडे मिस्त्रियों का प्रमाणीकरण किया जा सके। सभी बडे प्रोजेक्ट्स एवं इमारतों का किसी योग्य एजेंसी द्वारा अनुपालना रिव्यू किया जायेगा । वर्तमान इमारतों में किसी भी प्रकार का संशोधन, जिसमें भूकम्परोधीकरण और रीट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट शामिल है कि मॉनिटेरिंग यूएलबी द्वारा की जायेगी।

जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में इमारतों के निमार्ण कार्य में भूकम्प नियमावली की अनुपालना के लिए उचित कदम उठायेगा। इस कार्य में पीआरआई को भी शामिल किया जायेगा।

- **बाढ़**

सामान्य उपाय–

भूसंरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चेक डेम के निमार्ण कार्यों को बढावा दिया जायेगा जिससे बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सके। जल संभरण परियोजना के लिए पर्याप्त फंड प्रदान किया जायेगा जिससे बेहतर तरीके से बाढ़ प्रबंधन किया जा सके।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिए एक विस्तृत बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया जायेगा । साथ ही बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान–माल के नुकसान को कम करने के लिए उपनिवेश एवं आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी कानूनों की जानकारी दी जायेगी ।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर–निर्माण संबंधी योजनाओं के लिए एसईसी द्वारा एक उपयुक्त लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा । एसईसी यह सुनिश्चित करेगा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यों में बाढ़ नियमावली की अनुपालना हो। एसईसी अनियोजित विकास पहलुओं पर पाबंदी लगायेगी जिससे ऐसे निमार्ण कार्यों को रोका जा सके जो प्राकृतिक ड्रेनेज में रूकावट डालते है या जिन से बाढ़ का खतरा बढने की आशंका हो प्रमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को वरियता दी जावेगी। जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी अध्ययन कराया जायेगा । एक ऐसा मंच तैयार किया जायेगा जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग और प्राधिकरण (जैसे बांध प्राधिकरण, पावर प्लांट्स, यूएलबीज, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, (डीएमएण्डआर) बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान कर सकें।

- **ओलावृष्टि**

सामान्य उपाय–

ओलावृष्टि सहित खराब मौसम के पूर्वानुमान और निगरानी के लिए डॉपलर स्थापित किये गये है। यह डॉपलर राज्य स्तर से चेतावनी प्रसारण का कार्य करेगें । इस चेतावनी की अनुपालना सम्पूर्ण जिले में की जायेगी।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

जयपुर में आईएमडी ने डॉपलर राडार लगाने का कार्य पूरा कर लिया है।

- **गर्मी एवं शीत लहर**

सामान्य उपाय–

अगर जरूरत पडी तो जिला प्रशासन शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम ग्रह स्थापित करेगा । गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य सामुदायिक समूहों के सहयोग से जिला प्रशासन कम्बल, बैम्बू शीट्स, तारपॉलिन और कपड़ों के वितरण की व्यवस्था करेगा।

- **महामारी**

सामान्य उपाय–

- लक्षित टीकाकरण अभियान ।
- पूर्व चेतावनी एवं निगरानी कार्यों के लिए सामुदायिक भागीदारी ।
- संकटकालीन देखभाल के लिए उपकरणों का प्रबंधन ।
- नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण ।
- सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलू जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग और अन्य निरोधक दवाइयों के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार ।
- वैक्टर–बोर्न बीमारी की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिडकाव।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

- क्रॉनिक क्षेत्रों में निगरानी के लिए इंटिग्रटेड सर्वेलेंस सिस्टम का विकास।
- विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच की स्थापना।

➢ छिडकाव आदि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों जैसे जहरीले पदार्थो की हैडलिंग के लिए कानूनी व्यवस्था ।

- **तेल अग्नि**

सामान्य उपाय–

उद्योग इकाइयों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की अग्नि सुरक्षा का स्वंय जोखिम विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मानक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण करना।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

- उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों आस–पास मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास ।
- ऑयल डिपो और खतरनाक रासायनिक उद्योग इकाइयों के आस–पास प्रतिबंधित बसावट।
- पर्यावरण पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खतरनाक उद्योगों के आस–पास हरी पट्टी का विकास।
- ऑयल डिपो एवं उद्योगों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं (ऑनसाइट एवं ऑफसाइट) का सख्ती के साथ अनुपालन।

- **दावानल**

सामान्य उपाय–

- जिले के वनों उच्च जोखिम भरे क्षेत्रों का माइक्रो–जोनेशन।
- दावानल की निगरानी के लिए रिमोट सेसिंग टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
- दावानल की पूर्व चेतावनी के लिये रिमोट सेसिंगं के प्रयोगों हेतु क्षमता–वर्धन। उच्च जोखिम भरे इलाकों के लिए सूचना तंत्र की व्यवस्था।

- **आतंकवाद**

सामान्य उपाय–

- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिटं मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रचार प्रसार ।
- सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों और होटलों में सीसीटीवी और ऐक्सेस कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था ।
- प्रतिबंधित प्रवेश के लिए इंफ्रास्ट्रचर विकसित करके सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाना, सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश एवं अतिक्रमणरोधी व्यवस्था के लिए अवरोधकों का निर्माण ।
- गुप्त सूचना तंत्र और विश्लेषण प्रकियाओं का सशक्तिकरण। विभिन्न एजेंसियो द्वारा प्रस्तुत आंकडों के इन्टेलिजेंस एनालॉसिस के एकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीक, सूचना तकनीक, सोशल नेटर्वक का प्रयोग प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियो द्वारा प्रदत्त गुप्त सूचनाओं के विश्लेषण के लिए जिला इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन । यह एजेंसी नियमित रूप से एनआईए एवं अन्य एजेंसियों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करेगी और उनके आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए उचित कार्यवाही निर्धारित करेगी।

आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनों को ओर कठोर बनाया जायेगा जैसे अपहरण के मामले में नो–नैगोशिएशन पॉलिसी और कड़े आंतकरोधी कानून ।

- **न्यूक्लियर एवं रेडियोएक्टिव हैजर्ड्स**

सामान्य उपाय–

- सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए ईनाम एवं जुर्माने का प्रावधान उद्योगों के लिए अनिवार्य डीडीआर योजना नीति ।
- मजबूत एवं पूर्व चेतावनी, रिसाव पहचान एवं फायर अलार्म।
- इंफ्रास्ट्क्चर के विकास (निकासी के लिए सडकें) आदि पर विशेष ध्यान।
- पडोसी जिलों के बीच बेहतर तालमेल को बढावा।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीकी, सोशल मीडिया का प्रयोग
- पारदर्शी, विस्तृत, सफल एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के क्रियान्वयन से जोखिम को घटाया जा सकता है,इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक एवं आर्थिक कारकों पर पडने वाले असर को प्रबंधित किया जा सकता है।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

अटॉमिक एनर्जी एक्ट1962 भारत का प्रमुख न्यूक्लियर कानून है। अटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेशन बोर्ड में प्रस्तावित सुरक्षा प्रावधानों का नियंत्रण करता है। जिससें यह सुनिश्चित किया जा सके कि अटॉमिक विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

4.3 शमन की आवश्यकता एवं उपाय–

इन श्रेणियों को आगे इस तरह भी विभाजित किया जा सकता है, किसी आपदा के लिए जिले के प्रत्येक विभाग या नोडल एजेन्सी द्वारा लम्बी एवं अल्प अवधि के लिए किये जाने वाले उपायों को तालिका 4.1 में दिया गया है। सभी विभाग अपनी अपनी योजनाऐं, उद्देश्य एवं लक्ष्य तैयार करेगे और अपनी उपलब्धियों और अगले साल की योजना के लिए उनका सालाना पुनर्निरीक्षण करेंगे। एसईसी आपदा प्रबन्धन सम्बधित स्थानीय ज्ञान को ज्यादा बढ़ावा देगी। हैरिटेज इमारतों पर भी विशेष ध्यान दिया जावेगा।

अल्पावधि व दीर्घावधि उपायों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है–

1. ढांचागत उपाय
2. गैर ढांचागत उपाय

4.4 जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय–

आपदा / विभाग	अल्पावधि		दीर्घावधि	
	ढाचांगत उपाय	गैर ढाचांगत उपाय	ढाचांगत उपाय	गैर ढाचांगत उपाय
सूखा (सबंद्ध एजेन्सियाँ डीएम एण्ड आर, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग कृषि विभााग, पशु पालन विभाग)	• रैन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स • मृदा एवं नमी सरंक्षण उपाय • चारागाहों का विकास • शुष्क कृषि पद्धति को बढावा जैसे लो टिलेज, इनसीट, साईल कंजरवेशन, रेज्ड बैड, रिज, फरो, मल्चिग आदि • क्षेत्रीय स्तर पर जल संपदा बढाने के लिए • एमजीएनआईजीएस व जिले एवं राज्य की अन्य स्कीमों के बीच समाभिरूपता	• शुष्क कृषि तकनीक विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ सहयोग • वाटरशेड और वाटर हारवेस्टिंग तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण • सामुदायिक चारा बैंक • नमक प्रतिरोधी फसलें • पानी की कम खपत वाली तकनीकों को बढावा जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिचाई	• स्थानीय जल संसाधनों के विकास एवं सरंक्षण के लिए विशेष अभियान • सिंचाई टैंक बनाने के लिए स्थान की पहचान और छोटी सिंचाई स्कीमों का निर्माण • लम्बी अवधि की परियोजनाऐं • नहरों की क्षमता बढाने के लिए। • एमजीएनआईजीएस एवं राज्य की व जिले की अन्य स्कीमों के बीच सहयोग	सूखा विराधी कार्यक्रमों के लिए एमजीएनआईईजीएस का उत्तोलन, इंटिग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम
भूकंप (संबद्ध एजेन्सियाँ : नगर परिषद्, सार्वजनिक निर्माण विभाग)	• सभी प्रमुख क्षेत्रों में जो भूकम्प के प्रति सुभेध है में सभी इमारतों की रिट्रोफिटिंग पर विशेष ध्यान • निर्माण एवं भूमि उपयोग योजनाओं के लिए नियत्रंण	• भूकम्प सम्बधि सुरक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी और युडीएच कर्मचारियों का अनुकुलन एवं आपदा प्रबन्धन में उनकी भुमिका • प्रमुख क्षेत्रों में जो भूकम्प सुभेध है। सुरक्षा ऑडिट	• सभी क्षेत्रों, कस्बों और गावों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग • सभी इमारतों में भुकम्प सुरक्षा से सम्बधित कानूनों का सख्ती से अनुपालन	• सभी क्षेत्रों और कस्बों और गाँवों की सुरक्षा ऑडिट • सभी विद्यालयों अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों में मॉक ड्रिल्स • सरकारी एवं गैर सरकारी आर्कीटेक्ट्स, इन्जिनीयर्स आदि

	के जनरल डवेलपमेन्ट कंट्रोल रेगुलेशन (जीडीसीआर) में संशोधन	• भूकम्प रोधी विशेषज्ञताओं पर आर्कीटेक्ट्स इन्जिनियरस और राज मिस्त्रियों का क्षमता वर्धन	• सभी जोखिम उन्मुख इलाकों का भूकम्पी माइक्रो जोनेशन संबंधी अधिसूचना	का भूकम्प रोधी निर्माण के बारे में गहन प्रशिक्षण • सभी निजी इमारतों जो सुरक्षा कानूनों का पालन नही कर रहे है और असुरक्षित है। नोटिस जारी करना।
बाढ़ (संबंद्ध एजेन्सियाँ जल संसाधन और सिचाई विभाग)	• प्राकृतिक ड्रेनेज के रास्ते में हुए अतिकमण को हटाना • पुश्तों का निर्माण करना • नहरो/नालों में सुधार • शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम में सुधारीकरण • तूफानी जल प्रबन्धन। सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण • जलसंभर प्रबन्धन	• सभी क्षेत्रों में ढाँचागत उपाय के लिए सुक्ष्म योजनाऐं तैयार करना • क्षेत्रों और गावों में बाढ़ शमन के लिए निर्माण कार्यों में जेएनएनयूआरएम और एमजीएनआईइजीए तथा जिला प्रशासन के बीच सहयोग	• निचले इलाकों में ढाँचागत विकास के लिए कानूनों की सख्ती के साथ अनुपालन। • आबादी वाले क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए नालों और बाँधों का निर्माण • विस्तृत जिला ड्रेनेज अध्ययन, राज्य सरकार के सहयोग से, ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्निरीक्षण, अगर वर्तमान ड्रेनेज नालों या पुश्तो की अप्रर्याप्तता है तो उनमें सुधार किया जायेगा। • राज्य सरकार/जिला प्रशासन प्राकृतिक ड्रेनेज में अवरोध पर प्रतिबन्ध	• इमारत सुरक्षा कानूनों को और मजबूत बनाया जायेगा • बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं का विस्तृत प्रचार प्रसार उच्च जोखिम वाले क्षैत्रों में प्रतिबन्धित विकास कार्य • मानव जीवन पशुधन एवं सम्पति सम्बधित उचित बीमा स्कीमों को प्रोत्साहन

			लगायेगी। और इसके लिए उचित कानून भी बनायेगी। • बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान ड्रेनेज का क्षमता वर्धन एवं नये नालों का निर्माण • बाढ़ अभेध्यता। राज्य सरकार/जिला प्रशासन सभी सार्वजनिक सुविधा स्थलों को बाढ़ से सुरक्षित बनाने के लिए उचित कदम उठायेंगे। • प्राकृतिक ड्रेनेज के मार्ग में किये गये अतिक्रमण को हटाया जायेगा। • सिंचाई व जल संसाधन विभाग जलसंभर प्रबन्धन के लिए उचित कदम उठायेगी। जैसे पेड लगाना चैक डेम बनाना घाटी अवरोधन आदि। इससे भूमि कटाव को	

			रोका जा सकता है। जल संरक्षण को बढावा मिलेगा और पानी और तलछट के बहाव को रोका जा सकेगा।	
ओलावृष्टि / पाला (संबद्ध एजेन्सियाँ : कृषि विभाग,क्क्डक, जिला प्रशासन)		• बीमा एवं राहत कार्यो को प्रोत्साहन		• पूर्व चेतावनी तंत्र का आधुनिकीकरण
शहरी अग्नि दुर्घटनाऐं– संबद्ध एजेन्सियाँ सिविल डिफेंस, स्थानीय निकास, नगरपरिषद्)	• शहरी .क्षेत्रों में विशेष रूप में उँची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन • अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आंकलन खरीद एवं अवस्थिति	• अग्नि दुर्घटनाएँ रोकने के लिए करो एवं मत करो का विस्तृत प्रचार प्रसार अग्नि शमन कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण • अग्नि शमन ड्रिल्स में आम लोगो की भागीदारी • पुराने उपकरणों का उचित रखरखाव एवं प्रतिस्थापन • महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में लगे अग्नि शमन उपकरणों का	• अग्नि शमन सेवा एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण	• जरूरत और परिणाम आधारित योजना एवं प्रबंधन (जैसे मानव संसाधान एवं उपकरण) • अग्नि शमन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेन्सियों से सहयोग • विद्यालय, अस्पतालों, ऊँची इमारतों आदि में प्रशिक्षण एवं मौक ड्रील्स की व्यवस्था

		नियमित निरीक्षण		
ग्रामीण अग्नि दुर्घनाऐं और दावानल (संबद्ध एजेन्सियाँ वन विभाग)	• आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का सीमांकन • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सिग्नेज की व्यवस्था	• जानकारी अभियान		
बायोलोजिकल डिजास्टर (संबद्ध एजेन्सियाँ : स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग)	• मास कैजुअल्टी मैनेजमेंन्ट (एससीएम) के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों और कस्बों में बेसिक इंफ्रासट्रक्चर का विकास	• इन्डैमिक क्षेत्रों / आबादी संबंधी डेटाबेस तैयार करना • इन्डेमिक क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत परियोजनाऐं • एमसीएम के लिए निजी एवं सरकारी अस्पतालों का प्रशिक्षण	• आरएचएसडीपी एवं एनआरएचएम स्कीमों के तहत हैल्थ इंफ्रास्ट्रचर का विकास एवं आधुनिकीकरण • संचार तंत्र एवं औषध वितरण नेटवर्क को मजबूत करना	• एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य, जल एवं सेनिटेशन के लिए गाँव स्तर पर योजनाएँ तैयार करना • मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमता वर्धन • पुरानी एवं स्थानीय बिमारी के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना • इंडेमिक क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रीकरण
औद्यौगिक एवं रासायनिक (तैलाग्नि सहित) (संबद्ध एजेन्सियाँ पेट्रोलियम विभाग, गृह विभाग, सबंधित उद्योग)	• कर्मचारियों एवं अन्य सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के लिए ऑनसाईट एवं ऑफसाईट इंफ्रास्ट्रक्चर	• सभी जोखिम भरे उद्योगों के लिए गतिशील सुरक्षा योजना जिसमें	• बडी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हेजडर्स मटेरियल की हैंडलिंग	• बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हेजडर्स मटेरियल की हेण्डलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का

	का विकास	कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन शामिल है। • जोखिम भरे उद्योगों के आस पास रहने वाले लोगो में जानकारी का प्रचार प्रसार • सभी तरह की हैजडर्स वेस्ट के डिस्पोजल की सुरक्षित व्यवस्था • सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण एवं मॉक ड्रिल्स • हैजेडर्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए क्षमता वर्धन	के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	विकास • पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण प्रक्रिया का मजबूतीकरण
आतंकवाद (संबद्ध एजेन्सियाँ, गृह विभाग)		• सभी निजी एवं इमारतों में अनिवार्य मॉक ड्रिल्स • सभी होटलो और गेस्ट हाउसेस में पहचान एवं पंजीकरण प्रकिया का		• गुप्त सूचना आंकडो का एकीकरण विश्लेषण एवं निर्णय प्रक्रिया • सभी सुरक्षा बलों एवं एजेन्सियों के समायोजित प्रयासों के लिए जिला पुलिस के प्रयास

		मजबूतीकरण • निजी इमारतों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए निजी सुरक्षा एजेन्सियों की नियुक्ति • निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षण		• महाराष्ट्र में फोर्स वन की तर्ज पर आंतकवाद सेना का गठन
नभिकीय संबद्ध एजेन्सियाँ, (गृह विभाग व आणविक इकाई)	• इनबिल्ट सुरक्षा उपाय जैसे बॉयोलोजिकल शील्ड सुरक्षा प्रणाली एवं इन्टरलोक	• आपदा रिसपॉन्स के लिए ऑनसाइट एवं आफसाइट योजनाएँ	• सुरक्षा ऑडिट संचालन एवं प्रशासनिक सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा संस्कृति का अनुसरण जिससे रेडियेशन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। • इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास (बचाव कार्यों के लिए सडकों आदि का निर्माण)	• विसंदूषित प्रक्रिया के लिए चिकित्सकों का क्षमता वर्धन • प्रदूषण रोकने के लिए जानकारी एकत्रित करना तथा उसका समुदायों में प्रचार प्रसार करना

तालिका 4.1 विभागों एवं एजेन्सियों के आपदानुसार शमन उपाय

जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण व जिला चित्तौड़गढ़–

आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और इसका पर्यावरण, पारिस्थतिकी, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों की रोजी रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव एवं जटिल समस्या के रूप में उभरेगा। द ड्रेर्जट राजस्थान क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान (आरसीसीएपी) मे जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभाव चार क्षेत्रों मे विभाजित किया गया है–

1– जल संसाधन

2– कृषि एवं पशुपालन

3– वन एवं जीव विविधता

4– स्वास्थ्य।

इन चार क्षेत्रों में पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आरसीसीएपी मे लम्बी अवधि वाले एवं अल्प अवधि वाले उपाय सुझाये गये हैं जैसे ऊर्जा क्षमता में बढोतरी, दीर्घकालीन आवासों का निर्माण और जलवायु परिवर्तन के बारे में सामाजिक ज्ञान में वृद्धि। इन उपायों को जिलें में भी समान रूप से लागू किया जायेगा।

प्लान में सुझाये गये सामरिक उपाय निम्नलिखित है–

➢ जल संसाधन

- जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर पडने वाले प्रभावों के आंकलन के लिए एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करना।
- भू–जल प्रबन्धन जिसमें अति–उपयोजित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।
- सूखा निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास।
- शहरी एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में जल संरक्षण एवं मांग प्रबन्धन।
- जल उपयोग क्षमता में सुधार।

➢ कृषि एवं पशुपालन

- कठिन जलवायुरोधी कल्टीवर्स और पशुधन का विकास।
- चारागाहो एवं बंजर भूमि का विकास एवं चाराई भूमि का पुनःस्थापन।
- जलवायु जोखिम प्रबन्धन के लिए डाटाबेस का सृजन।
- शुष्क भूमि की उत्पादता में वृद्धि।
- बहुकार्यात्मक ऐग्रो फोरेस्ट्री सिस्टम का प्रबन्धन।

➢ फारेस्ट्री एवं बायोडाईवर्सिटी

- वनो की अल्पीकरण (शमन) क्षमता बढाने के लिए वृक्षारोपण।
- वनों के प्रकार एवं प्रजातियों विशेषरूप से रेगिस्तानी इकोसिस्टम और रेत के ढेरों के क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था।
- नई तकनीकी में पारम्परिक ज्ञान का एकीकरण।

➢ स्वास्थ्य

- बीमारी निगरानी प्रणाली का विकास।
- आबादी के लिए स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन।
- प्राथमिक एवं सहायक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए अन्तरक्षेत्रीय समाभिरूपता।
- ग्रीन हाउस गैसेज (जीएचजी) का आविष्करण और प्रबन्धन।
- राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का पूर्ण दोहन।

- ऊर्जा क्षमता पर विशेष ध्यान दीर्घकालीन आवास।
- भूमि उपयोग और परिवहन योजना का एकीकरण, ग्रीन बिल्डिंग लेजिलेशन।
- परिवहन क्षेत्रों में जीएचजी (ग्रीन हाउस गैसेज) में कटौती।
- शहरी कचरा प्रबंधन।

4.5 रोकथाम व शमन में नवाचार–

- **जोखिम स्थानान्तरण (जोखिम–वितरण)–**

यह विचार करते हुए की सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बचाव, राहत, पुर्नवास और पुनर्निर्माण कार्यों में दी जाने वाली सहायता आपदा से हुए विशाल नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। नये आर्थिक उपायों जैसे–आपदा जोखिम, वित्त प्रबन्धन, जोखिम बीमा, आपदा बॉण्डस, माइक्रो फाईनेंस और बीमा आदि को प्रोत्साहन देना होगा। जिसमें वैयक्तिक, सामुदायिक एवं कॉरपोरेट सेक्टर के नुकसान की भरपाई जा सके। इसी संदर्भ में पब्लिक लाईबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत् इनवाईरमेंटल रिलीफ फण्ड शुरू किया गया जो रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत पहुँचाता है। कुछ नये आर्थिक उपाय जैसे– आपदा बीमा, माईक्रो फाईनेंस, माईक्रो इंश्योरेंश, नये मकानों पर वारंटी व निर्माण कार्यों को होमलोन से जोड़ना आदि शुरू करने पर विचार किया जायेगा।

- **फसल ऋण–**

राज्य सरकार व जिला प्रशासन कृषि बीमा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे जो विभिन्न ऐग्रो क्लाईमेटिक क्षेत्रों के अनुकूल होगें। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को विभिन्न बीमा उत्पादों की जानकारी दी जाए जिससे वे अपनी उपज व आय–जोखिम को बीमा कवर दे सके। जिन फसलों की उपज का डाटा बेस नहीं है उन फसलों के लिए बीमा को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राज्य सरकार नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंश स्कीम (एनआइईएस) के कार्य क्षेत्र का विस्तार के सबंध में केन्द्र सरकार के साथ बातचीत करेगी। इसमें बुवाई से पहले और फसल काटने के बाद के नुकसानों को भी कवर किया जा सकेगा। राज्य सरकार की विभागों द्वारा फसल बीमा की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जायेगा। कृषि उत्पादों का कृषि आधारित उद्योगों से लिंक मजबूत किया जायेगा। जिससे कीमतों की अस्थिरता पर काबू पाया जा सके। फसलों की कीमतों से जुड़े बीमा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। जिसमें किसान किसी विपत्ति के दबाव में अपने कृषि उत्पादों को न बेचे। इंश्योरेस क्लेम के निपटारे के लिए फसलों की उपज का आँकलन सेटेलाईट से प्राप्त की गई फसलों की तस्वीरों के आधार पर किये जाने की संभावना को तलाश किया जायेगा।

- **बाढ़ बीमा–**

डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिर्सोज एण्ड इरिगेशन (डीओडब्ल्यूआरएण्डआई) और बीमा कम्पनियाँ मिलकर एक अध्ययन करायेगें जिसमें जिले के बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम के आधार पर बीमा किस्तों को श्रेणीगत करने की संभावनाऐं तलाशी जायेगी। डीओडब्ल्यूआरएण्डआई यह संभावना भी तलाश करने की कोशिश करेगा कि कोई स्कीम शुरू की जाये जिससे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की सभी इमारतों और फसलों का बीमा अनिवार्य हो।

अध्याय–5

Prepardness Measures

तैयारी मूल्यांकन

विषय वस्तु–

5.1 आवश्यकता व महत्व

5.2 विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग

5.3 विभिन्न टीमों का गठन

5.4 इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम

5.5 सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल

5.6 विभिन्न समन्वित तंत्रो की जॉच चेतावनी प्रणाली म्ब उपलब्ध संसाधन

5.7 विभिन्न छळव्श्ेए अन्य एजेंसियों से सहायता

5.8 ज्ञान प्रबंधन

5.9 SOP विश्लेषण

5.10 संचार प्रबंधन

5.11 जनसामान्य स्तर पर तैयारी

5.12 विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना

5.13 सारांश

5.1 आवश्यकता व महत्व–

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को तैयारी कहते है। ''सरकारी एवं गैर सरकारी सगठनों, समुदायों, विशेषज्ञों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमताओं जिनके माध्यम से किसी संकट के आने का पूर्वानुमान लगाया जा सकें या आपदा आने की स्थिति में उससे प्रभावी तरीके से निपटा जा सकें और समुत्थान किया जा सके, ऐसे उपायों को आपदा तैयारी कहते है।''

आपदा तैयारी से संबंधित क्रियाकलापों में किसी आपदा के आने का पूर्वानुमान और एहतियात के तौर पर किये गये उपाय शामिल हैं, जिनके आधार पर हम पूर्व चेतावनी दे सकें। ये उपाय किसी आपदा की स्थिति में उससे कारगर तरीके से निपटने और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने संबंधी हमारी क्षमताओं का वर्धन करतें है। इसमें समय–समय पर चेतावनी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना और संकट सूचना के दौरान लोगों की निकासी के प्रभावी उपाय शामिल है, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो सके।

आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में उन अन्य पहलूओं जैसे आपदा को रोकने, आपदा आने की स्थिति में उसके असर को कम करने और उससे उभरने के उपायों को समझना भी अतिआवश्यक है। कारगर आपदा तैयारी के लिए जरूरी संयत्रों और अन्य सामग्री का आधुनिकीकरण भी आवश्यक है, जिससे आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन किया जा सकें।

सभी विभागों, एजेंसियों और अन्य सहभागियों की यह प्राथमिकता रहेगी कि वे अपनी–अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण करें। कुछ नयी संस्थागत प्रक्रियाओं का गठन किया जायेगा, विशेषरूप से आपदा प्रबंधन के उन क्षेत्रों में जहां कोई भी एजेंसी जरूरी क्षमता निर्माण कार्य में नही लगी है।

पूर्व चेतावनी–

पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विनाश को कारगर संचार/चेतावनी व्यवस्था के माध्यम से कम किया जा सकता है। एक पूरी तरह से तैयार समुदाय और प्रशासन के लिए जरूरी है कि वह अपनी संचार/पूर्व चेतावनी व्यवस्था को दुरूस्त रखे जिससे आने वाली आपदा की चेतावनी मिलते ही तुरन्त शमन उपाय किये जा सकें और जान–मान के नुकसान को कम किया जा सके।

हर तरह की आपदा के लिए पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी व्यवस्थाओं की स्थापना, उनमें सुधार और उनका आधुनिकीकरण अत्यंतावश्यक है। विशेष प्राकृतिक आपदाओं का निरीक्षण एवं निगरानी करने वाली नोडल एजेंसियाँ तकनीकी खामियों की पहचान करेगी तथा एक निश्चित समय सीमा में उनमें सुधार करने के लिए परियोंजनाऍ तैयार करेगी। राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना और संचार तकनीक एक कारगर पूर्व चेतावनी सिस्टम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, जिसमें आपदा तैयारी और रिस्पॉन्स क्रियाकलापों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकें ।

आईसीटी भौगोलिक संदर्भ विश्लेषण प्रस्तुत करके जोखिम क्षेत्रों, सुभेद्यताओं और संभावित प्रभावित आबादी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

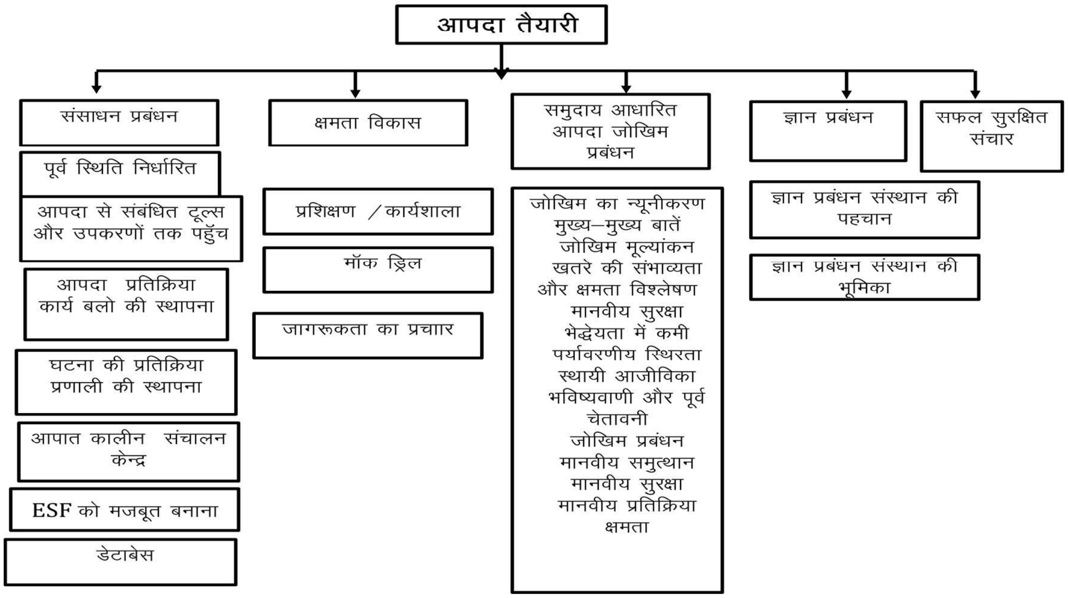

चित्र –5.1 आपदा तैयारी का रेखा चित्रण

पूर्व चेतावनी सिस्टम के लिए आईसीटी–

आईसीटी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

- सूचना संग्रहण एवं हस्तांतरण
- जिओ–स्पेशल डाटा के समन्वय के माध्यम से डिसिजन सपोर्ट सिस्टम
- संचार एवं प्रसार
- आपातकालीन तैयारी एवं रिस्पॉस

5.2 विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग–

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न आपदाओं हेतु नोडल विभाग निम्न है–

क्र.स.	आपदा जोखिम	नोडल विभाग
1	बाढ़ ,जल प्लावन	जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग,नगर परिषद्, स्थानीय पुलिस, सेना
2	सूखा ,अकाल	कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, आपदा राहत व प्रबंधन, जिला डीएम,पटवारी ,गिरदावर
3	दुर्घटनाऐं (सड़क औद्योगिक, रासायनिक, आण्विक, रेल)	पुलिस,चिकित्सा व ट्रोमा, जिला डीएम,रा.रा.मा.प्रधिकरण (छभ्।प्),औद्योगिक सुरक्षाबल,रेल्वे सुरक्षा बल, औद्योगिक इकाई का प्रशासन, आण्विक दुर्घटना की दशा में केन्द्र विशेष की टीम
4	ओलावृष्टि	कृषि विभाग,भू–राजस्व, स्थानीय प्रशासन
5	तापलहरी ,शीताघात	जिला प्रशासन, चिकित्सा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सूचना व तकनीकी विभाग।

तालिका 5.1 चित्तौड़गढ़ आपदाऐं व नोडल विभाग

5.3 विभिन्न टीमों का गठन–

आपदा के समय विभिन्न राहत व प्रत्याक्रमण कार्यक्रमों हेतु निम्न प्रकार दल गठन होगें–

- **पूर्व चेतावनी** –जिला सूचना केन्द्र (नोडल विभाग),आकाशवाणी,स्थानीय टीवी चैनल, ब्द नगर परिषद, जोखिम वाले क्षेत्रों में वार्ड पंच/पार्षद।
- **खोज व बचाव** –जिला पुलिस (नोडल विभाग), नगर परिषद्,जिला प्रशासन ,जिला सूचना केन्द्र, चिकित्सा विभाग,विभिन्न छळॅ ।
- **प्रभावित क्षेत्र खाली कराना** – पुलिस, नगर परिषद्(नोडल विभाग), ट्रेफिक कंट्रोल, गृह रक्षा विभाग।
- **नुकसान का आंकलन**– जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी जिसका मुखिया जिला कलक्टर होगा। इसमें स्थानीय प्रशासन, पटवारी, सचिव, संरपच, वार्डपंच/पार्षद भी शामिल होगें।

5.4 इंसिडेट रिसपॉन्स सिस्टम का एक्टिव होना–

जिले में इंसिडेट रिसपॉन्स टीम का गठन किया जायेगा जो आपदा के समय सम्बधित विभागों के साथ साथ त्वरित क्रियाशील हो जायेगा। इसका विस्तृत विवरण के लिए देखें–अध्याय 7।

5.5 सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल–

आपदा के समय कभी कभी स्थानीय प्रशासन असहाय महसुस करता है क्योंकि आपदा बडे स्तर की होने के कारण राहत व प्रत्याक्रमण में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते है। अतः बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाहरी सहायता प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर (गाँव, पंचायत समिति) से लेकर केन्द्र स्तर तक निम्न प्रोट्रोकॉल का अनुसरण किया जायेगा।

चित्र 5.2 सहायता प्राप्ति हेतु अनुलंब व क्षैतिज प्रोटोकॉल

5.6 विभिन्न समन्वित तंत्रो की जॉच, चेतावनी प्रणाली, म्ब्व् उपलब्ध संसाधन–

आपदा के दौरान कार्य करने वाले विभिन्न समन्वित तंत्रो व एजेन्सियों की कार्य कुशलता की जॉच होती रहनी चाहिए। इसमें आपदा से निपटने में तैयारी स्तर का पता चलता है। इस हेतु चेतावनी प्रणाली म्ब्व (इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर), प्ब्ै (इंसिडेटं रेसपॉन्स सिस्टम) व प्त्ज (इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम), विभिन्न विभागों के त्वरित कार्यबल की तैयारियों का समय–समय पर जायजा लेते रहना आवश्यक है। इस प्रकार आपदा राहत उपलब्ध उपकरणों की भी समय समय पर जॉच की जावेगी। जिसमें उनकी उपलब्धता व कार्यकुशलता का पता लगाया जा सकेगा। इन सभी कार्यों हेतु मॉक ड्रिल सबसे उपयोगी साधन हैं। इसके माध्यम से आपदा अनुसार मॉक ड्रिल करके संबंधित विभागों की तैयारी का पता लगाया जा सकता है। जिले में इस कार्य हेतु विस्तृत कार्य योजना ''अध्याय–6'' के अन्तर्गत दी गई है।

5.7 विभिन्न छळव्ै व अन्य एजेन्सीयों से सहायता –

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न छळव्ै कार्यरत है। जिनका कार्य चित्तौड़गढ़ जिले में सामाजिक सुधार उत्थान व सुरक्षा के कार्य चलाना है। इस संस्थाओं की सूची योजना के अन्त में परिशिष्ट में दी गई है। उक्त सभी छळव्ै के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। कुछ छळव्ै राहत व प्रत्याक्रमण में दक्ष हो सकते है जबकि कुछ पीडित समुदाय को मानसिक संबल प्रदान करने में। इस प्रकार अलग अलग छळव्ै को अलग अलग कार्य भार प्रदान किया जायेगा।

इसी प्रकार विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे छैए छब्ब्ए स्काउट्स, युवा विकास केन्द्र आदि भी अपने–अपने क्षमता अनुरूप अलग–अलग क्षेत्रों में राहत व प्रत्याक्रमण की जिम्मेदारी निर्वाहन करेगें ये स्वंय सेवक खोज, बचाव, पेयजल वितरण, भोजन वितरण, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करेगें। इसका वितृत विवरण अध्याय– 11 में दिया गया है।

रिस्पॉन्स कार्य	**मानव जरूरतें संबंधी कार्य**
• तलाश एवं बचाव	• खाना
• राहत सामग्री (लाइफलाइन)	• पीने का पानी
सेवाए एवं सपोर्ट कार्य	• आवास
• सार्वजनिक स्वास्थ्य एव सैनिटेशन	**समुत्थान संबंधी कार्य**
• बिजली	• हैल्प लाइंस
• परिवहन	**सूचना एवं योजना कार्य**
• लोक निर्माण एवं इंजीनियरिंग	• सूचना एवं योजना
संचार व्यवस्था	
• संचार	
• मीडिया	

5.8 ज्ञान प्रबंधन–

नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है सही समय पर सही लोगों तक सही सूचना पहुॅचाना तथा लोगों में जागरूकता पैदा करना जिससे प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही करके सभी सहभागियों के निष्पादन स्तर में सुधार किया जा सकें। बेहतर आपदा रिस्पॉन्स कार्य में संसाधन कभी– कभार ही रूकावट पैदा करते है, लेकिन नॉलेज और संसाधनों की समय रहते समभिरूपता संसाधन विकसित करने की तुलना में ज्यादा बडी चुनौती है।

इसलिए बेहतर ज्ञान, संसाधन और दक्षता प्रबंधन, आपदा तैयारी, शमन और रिसपॉन्स योजना पर बहुत प्रभाव डालते है ज्ञान प्रबंधन के निम्न लिखित फायदे है–

- हमेशा तैयार रहना
- आपदा जोखिम में कमी
- निर्णय लेने की क्षमता में सुधार
- सामरिक महत्व की योजनाओं में सुधार
- नई तकनीकी सोच से विकास
- समस्याओं का तुरन्त एवं संतुलित समाधान
- कर्मचारियों का बहुमुखी विकास

सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेमेंट ऑफ द स्टेट आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के लिए एक 'थिंकटैंक' का काम करेगा। इसके प्रमुख कार्यों में शोध करना, अच्छी परम्पराओं का प्रलेखन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट(एनआईडीएम) के साथ नैटवर्किंग आदि शामिल है। यह राज्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा यहां अन्य सहभागी भी जैसे कॉपरेट सैक्टर जिनमें आपातकाल के दौरान राज्य की सहायता करने और क्षमता वर्धन करने की सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर, चित्तौगढ की सीमेन्ट इकाइयों , हिन्दुस्तान जिंक के पास फायर ब्रिगेड्स है। जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी परस्पर सहायता के आधार पर या पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सुनिशचित की जा सकती है।

डाटाबेस–

सभी विभागों के संसाधनों के आंकडों को इकट्ठा करके इंडिया डिजास्टर रिसॉर्स नैटवर्क(आइडीआरएन), इंडिया डिजास्टर नॉलेज नैटवर्क (आईडीकेएन) और कॉपरेट डिजास्टर रिसोर्स नैटर्वक (सीडीआरएन) के डाटाबेस में डालने की जरूरत है। राज्य की योजना राजस्थान स्टेट डिजास्टर नैटर्वक (आरएसडीआरएन) तैयार करने की भी है।

संग्रहित और संकलित करने योग्य डेटाबेस निम्न लिखित है–

- सुभेद्य क्षेत्रों, क्षमताओं और संसाधनों के जीआईएस–आधारित स्थानिक मानचित्र
- जीआईस–आधारित विकास आंकड़े।
- प्रमुख व्यक्तियों के फोन नम्बर, पता और क्षमताओं का विवरण।
- राहत सामग्री और उनके सप्लायर्स का डाटाबेस।
- अग्निशमन संसाधनों, उनकी उपलब्धता वाले स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस।
- भारी उपकरणों जैसे ट्रक, डम्पर्स अर्थमूवर्स, क्रेन और ड्रिल मशीनों के मालिकों, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डाटाबेस।
- ट्रांसपोर्ट,उपलब्धता स्थानों और निर्माण कर्माचारियों का डाटाबेस।
- राजमिस्त्रीयों और निर्माण कर्मचारियों का डेटाबेस।

- राहत कर्मचारियों का डाटाबेस, तलाश एवं बचाव कर्मी, जल एवं सैनिटेशन इंजिनियर्स, आवास इंजिनियर्स,पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ, कृषि एवं आजीविका विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्ता।
- एनजीओ,सीबीओ एवं अन्य स्वंयसेवी संस्थानों का डाटाबेस।
- ऐसी निजी कम्पनियों की सूची जो अपने संसाधनों को दूसरे सहभागियों, जिनमें सरकार भी शामिल है,को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के आधार पर देने को तैयार है।
- आपदा विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षकों और तलाश एवं बचाव, अग्निशमन निकासी, आपातकालीन रिसपॉन्स और फर्स्ट एड कर्मियों का डाटाबेस।
- तकनीकी एवं शोध संस्थानों का डाटाबेस।
- चिकित्सा सुविधाओं , मास केजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमताओं एवं अन्य वस्तुओं का डाटाबेस।

एसडीएम और डीडीएमएज इस डाटाबेस के सत्यापन एवं आधुनिकीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठायेगें। यह डाटाबेस सभी सहभागियों और आम जनता के लिय उपलब्ध कराया जायेगा । जानकारी प्रसार,प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक माध्यमों से डाटाबेस की उपयोगिता एवं महत्व सभी विभागों तक पहुँचाया जायेगा।

5.9 SOP विश्लेषण–

आपदा के समय विभिन्न क्रियाकलापों में क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक क्क्ड्च का एक ै्च ;चमबपंस व्यमतंजपदह च्तवबमकनतमद्ध होता है। यह एक ै्च प्रत्येक जिले हेतु विभिन्न राहत व प्रत्याभ्रमण हेतु मानक स्तर निर्धारित करता है। अध्याय– 12 में चित्तौड़गढ़ जिले हेतु एक ै्च दिया हुआ है। ै्च के माध्यम से आपदा के समय होने वाले वी.आई.पी. लोगों के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल व व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में केबिनेट स्तर में मंत्री अथवा सचिव स्तर के अधिकारी के साथ जिला कलक्टर का रहना प्रोटोकॉल के अनुरूप होगा। अन्य अधिकारी गण व जनप्रतिनिधियों के दौरे पर उनके पद व पद की गरिमा के अनुरूप प्रोटोकॉल निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार राहत सामग्री जैसे टेंट, कंबल, त्रिपाल, भोजन पैकेट, वस्त्र, दवा आदि के भी मानक स्तर नोडल विभाग निश्चित किये गये हैं।

5.10 संचार माध्यम प्रबंधन–

आपदा के समय संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान, चेतावनी प्रसार आदि में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। आपदा के समय राहत व प्रत्याक्रमण के एक उपकरण के तौर पर कार्य करने के लिए इन समस्त संचार माध्यमों से जुडे लोंगों का प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक है। जिसमें ये लोग आपदा विशेष के समय अपनी–अपनी भूमिका व जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके।

इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा के समय जानकारी व सूचना प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन की ओर से एक अधिकृत प्रवक्ता को भी नियुक्त किया जायेगा। इसका कार्य आपदा व आपदा राहत से सम्बन्धित सभी प्रकार की अधिकृत सूचनाएँ प्रदान करना होगा । इससे अनावश्यक अफवाहों तथा विवादों को रोका जा सकेगा। इस कार्य हेतु इस प्रवक्ता को आवश्यक प्रभावी प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

5.11 जनसामान्य स्तर पर तैयारी

डिजास्टर रिसपॉस को एक नियंत्रण स्ट्रक्चर के रूप में अभिलक्षित किया जा सकता है जिसमें उपर से नीचे वाली प्रकिया लागू होती है। इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि सामुदायिक भागीदारी की कमी की वजह से लोकोपकारी कार्यों में मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती है तथा बाहरी संसाधनों की आवश्यकता, मांग में बढोतरी और प्रबंधन के विशेष उपायों के बावजूद प्रदर्शन को लेकर आम असंतुष्टि का माहौल पैदा हो जाता है।

आपदाओं के मामले में सामुदायिक स्तर पर लोगों का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वे ही आपदा की सीधी चपेट में आते हैं। इस तरह की आपदाओं के लिए ये लोग ही सबसे ज्यादा सुबोध होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीएम नीचे–से–ऊपर प्रकिया को प्रोत्साहन देती है और आने वाली परेशानियों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उपर से नीचे प्रकिया के साथ सामंजस्य बिठाते हुए काम करती है।

सीबीडीएम के माध्यम से लोगों की आपातकालीन स्थिति के प्रति रिसपॉड करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रकिया से प्राथमिक समाज सेवाओं और संसाधनों तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक अप्रोच निश्चित रूप से ज्यादा कारगर होगी । चित्तौड़गढ़ जिले के जोखिमपूर्ण समुदायों को अपनी–अपनी सीबीडीएम योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इन योजनाओं को जिला और राज्य स्तर की योजनाओं में समायोजित किया जायेगा।

इन योजनाओं में निम्न बातों पर ध्यान दिया जायेगा–

- इलाकों में मौजूद आपदा स्थितियों का विश्लेषण।
- आपदाओं द्वारा पैदा की जाने वाली सुभेद्यताओं और जोखिमों की पहचान।
- इन आपदाओं का मुकाबला करने के लिए समुदायों की वर्तमान क्षमता और तरीके ।
- इन जोखिमों का प्रभाव कम करने के लिए तैयारी और शमन उपाय।

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण सीबीडीए कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए योजनाएँ तैयार करेगी जिनमें स्थानीय लोगों की आपदा स्थितियों, सुभेद्यताओं और क्षमताओं का विश्लेषण करने में सहायता की जायेगी । शुरूआत में यूएनडीपी के सहयोग से सरकार इन कार्यक्रमों को पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। इन कार्यक्रमों को ओर बढावा देने के लिए प्रयास करेगी।

आपदा किट तैयार करना–

जनसमुदाय को संभावित आपदा के समय तद्नुरूप किट जैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ।इस आपदा किट में निम्न सामग्री होगी–

1. **पर्याप्त जल**
2. **सूखा भोजन**
3. **फ्लेश लाइट (बैटरी सहित)**
4. **रेडियो(चेतावनी सूनने हेतु)**
5. **प्राथमिक उपचार किट**

6. आवश्यक दवाईयाँ (बुखार, दस्त, पेट दर्द)

7. मल्टीपरपज टूलबॉक्स

8. सैनीटेशन आइटम

9. व्यक्गित दस्तावेजों की प्रति (पहचान पत्र की प्रति)

10. घर, कार इत्यादि की चाबियॉ

11. मोबाइल फोन विथ एक्स्ट्रा बेट्री

12. अतिरिक्त धन

13. परिवार के फोन नम्बर

14. कम्बल

15. क्षेत्र का मानचित्र

16. प्लास्टिक शीट्स

उक्त आपदा किट में आपदा अनुसार या क्षेत्र विशेष अनुसार सामग्री कम या अधिक हो सकती है।

5.12 विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना–

चित्तौड़गढ़ के सन्दर्भ में विभिन्न आपदाओं हेतु तैयारी व कार्य योजना–

सूखा कार्य योजना–

जिला चित्तौड़गढ़ के परिपेक्ष्य में कभी सम्पूर्ण जिला तो कभी कुछ तहसीलों में सूखे की समस्या रही है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है अथवा इसकी विकरालता को कम कर सकते है।

दीर्घकालीन उपाय–

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण।
- वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भूकुपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी–

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण।
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण।
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना–

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन कार्य योजना–

- सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राहत कार्यों की शुरुआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन।
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांको आदि का पुनर्जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण।
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी एवं उपचार की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य–

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरॉमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था।
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पशुपालन विभाग–

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।

- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति एवं दवाइयों की व्यवस्था करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी–

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवास बैग व हैण्डपम्प, पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन।
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।

स्वयं सेवी संगठन–

- राहत कार्यों एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनो की भागीदारी।
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं–

- 0–6 माह के बच्चे, गर्भवती व धात्री माताओं हेतु 6 प्रमुख सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सेवायें
  1. पूरक पोषाहार
  2. शाला पूर्व शिक्षा
  3. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
  4. टीकाकरण
  5. स्वास्थ्य जांच
  6. संदर्भ सेवा
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई–

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना।
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यों के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

कृषि विभाग–

- खेती के लिए तथा कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराना।

- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग–

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।
- जल संरक्षण सम्बन्धी राहत कार्यों एवं वानिकी के कार्य करवाना।

विद्युत विभाग–

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध।

सूखे से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें–

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी लें जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधो में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहें।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लीकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मंजन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दाँत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योकि फव्वारे व बाथटब से पानी अधिक व्यर्थ होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर सूखे अथवा गीले कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

बाढ़ कार्य योजना–

बाढ़ के कारण होने वाली जन हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय–

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाले रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
- नदी के बाँधों में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बाँधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय–

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करे को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुँचाना।
- भू–उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल, तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू–उपयोग नियन्त्रण करके नियमों का पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये ताकि मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम–

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभावी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घंटे कार्यरत रहता हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया जाता है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 2227084 है। तथा चार अंकीय **टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1070** है ।

क्र. सं.	कार्यरत कंट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1.	राज्य कंट्रोल रूम, जयपुर	0141–2702480 एवं 1070
2.	जिला कंट्रोल रूम, चित्तौड़गढ़	01472–247997, एवं 1077
3.	सिंचाई विभाग, चित्तौड़गढ़	01472–241069

सिंचाई विभाग–

- सुरक्षित स्थानों का चयन सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन।
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी करने व होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश देने की कार्यवाही करना।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवांईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयाँ काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रखी जावें।
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल प्लावन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करना।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची
- तैराकों की सूची

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/ सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। संस्थान प्रभारी, चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों को आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपाँस टीम का गठन करेंगे।

1.	चिकित्सा अधिकारी	01
2.	स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3.	मेल नर्स	01
4.	एमपीडब्ल्यू	01
5.	वार्ड बॉय	01
6.	वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडीकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घण्टे कार्यरत रहता है।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था करना ।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियो को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश जारी करना।

जिला रसद विभाग–

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसीन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग–

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों से बचाव हेतु, जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियाँ उपलब्ध करायेंगे।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- **जोन प्रभारी** सबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

- जोन प्रभारी क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत हैं। जोन प्रभारी प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को आपदा से उत्पन्न विकृतियों / समस्याओं से निपटने के लिए जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

विद्युत विभाग–

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रखरखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाइनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाइनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाना तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग–

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था, वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटे बड़े वाहन अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
- कंट्रोल रूम में 24 घंटे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आर.ए.एफ., आरएसी की टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हों।

एन. सी. सी./ एन. एस. एस.–

- आपदा के समय एन. सी. सी. कैडेट्स व संबधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र–

जिला मुख्यालय पर 1 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 3 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपालिकाएँ–

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान–

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी।

दुर्घटना कार्य योजना–

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है। वरन् मौके पर उपस्थित आम आदमी का भी यह कर्तव्य है कि वो तत्काल प्रशासन, पुलिस, चिकित्सालय आदी को दुरभाष पर सूचना देवे।

दुर्घटना से पूर्व–

- **संरचनात्मक उपाय–** दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहाँ गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।
- **गैर संरचनात्मक उपाय–** सड़क दुर्घनाओं से बचने के लिए–

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं।
- शराब पीकर गाड़ी न चलायें।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांधे।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़ें।
- पहले दांई फिर बांई और फिर दांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से पर्याप्त दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हैडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान–

जिला प्रशासन का कर्तव्य–

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों का फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग–

- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- दवाइयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग–

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग–

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग–

- घायलों को पहुँचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद् /पालिका/पंचायत–

- टैंटो की व्यवस्था। टैंट हाउस की सूची परिशिष्ट 35 पर है।
- पानी के टेंकरो की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतको के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग–

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संगठन–

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों के उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्त्तव्य –

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय

के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चूंटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं। इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।
  (ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौडाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए–

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रूकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती जाए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है। यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें। 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो –

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाएं रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड ;ज्वनतदपुनमजद्ध या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे –

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना

- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना
- खून को बहने से रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिक सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें, सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं।

जले हुए व्यक्ति का बचाव–

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

आगः कार्य योजना–

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने संबन्धी सावधानियां–

बिजली–

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिगं हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू–पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभा मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस चूल्हे और रबर पाईप को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की रबर पाईप आई. एस. आई. मार्का ही होनी चाहिए।

- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों को आग से दूर रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन ऑफ ना करें ।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर रबर पाईप में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- आग लगने पर रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवो व जंगल की आग के बचाव–

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय अगर आग जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर ही आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी/सिगरेट के टुकडें ना फेंके।
- घास, खलिहान, पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावें जिससे कि स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना चाहिए।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिए जहां पर पानी आसानी से मिल सकें।
- गांवो में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फेकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय, नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवो में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहाँ पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलचे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना चाहिए।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव करना।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट–

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयरकेस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है। निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट, पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वाले वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर कंट्रोल की ट्रैनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन. ए. सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रो की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।
-

आग लगने पर कार्यवाही–

आग लगने की सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बधित/थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गंभीरता के परिपेक्ष में सम्बधित जिला कलेक्टर स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देगें। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार अथवा जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथा शीध्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि ग्राम पंचायत मुख्यालय से किस प्रकार की ओर कितनी सहायता प्राप्त की जानी है तद्नुसार जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बधित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कंट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका–
जिला प्रशासन का कर्तव्य–

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।

- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएँ।

अग्निशमन केन्द्र नियंत्रण कक्ष–

- अग्निशमन वाहन, यंत्र व कर्मियों की उपलब्धता।
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन।
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्‌टी के थैले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानो से समन्वय।

नागरिक सुरक्षा–

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था।
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना।
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना।
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना।
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।

पुलिस–

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास जन सामान्य को हटाना।

विद्युत–

- विद्युत आपूर्ति की समुचित रूप से देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाना।
- औषधियों की व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना।

- चिकित्सकों एवं पेरा–मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता।

गैर राजकीय संगठन–

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पशुपालन–

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों का कार्यरत करना।

नगर परिषद–

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल।
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना।
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें–

क्या करें :–

- आग लगने पर फोन नं. 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्त्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या ना करें :–

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।

- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प :कार्य योजना–

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्नलिखित रहेगी–

जिला प्रशासन–

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियत्रंण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणित सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी, एन. एस. एस. तथा स्काउट्स–

- स्वयं सेवकों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों का निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना।

पुलिस पशासन–

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।
- चिकित्सकों, पेरा–मेडिकल स्टॉफ व दवाइयाँ उपलब्ध कराना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएं, नगर परिषद् विद्युत पशु पालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपने–अपने कार्य पूरे करेंगें।

क्या करें, क्या न करें–

भूकम्प पूर्व–

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊॅचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पौधों को झूलने हेतु नहीं लटकाएं। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
  खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हे बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दर्पण पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते है उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात् –

- शांत रहें, घबराएँ नहीं।
- कांच, खिडकी, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाए व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की ओर तब तक न भागे जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढियों की ओर न भागें, क्योकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खडें न हों क्योकि सामान्यत यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतो, दीवारों पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूके जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे है तो गाड़ी का भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊॅची इमारतो के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।

- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फंसे लोगो को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस –100, अग्निशमन केन्द्र– 101, रोगी वाहन– 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत उपकरणों को तब तक न चलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बडे भूकम्प के बाद आते है एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढाँचों को अतिरिक्त हानि पहुँचा सकते हैं।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं कार्य योजना–

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों की चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानो को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

बाँध टूटना : कार्य योजना–

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर हैं, अपनी आजीविका के साथ–साथ जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं, जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बाँधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल विकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधो पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियत्रंण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।

- बाँधो के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आव यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

तापघात से बचाव के उपाय व कार्य योजना–

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जायें।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखें पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गीली पट्‌टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करें या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें। अथवा हटा दें।
- कम खाना खायें और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों का तापघात के लिए जागृत बनाने, इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करें? की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहॉ अधिक लोग एकत्रित हों, को रोका जाना चाहिए। तापघात में क्या करें, क्या ना करें, हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीत लहर/तरंगें कार्य योजना–

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 से. व मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती है तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढ़क कर रखें।

- पतलें कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर का ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां, एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जायें।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है ? ठंड़ी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढ़के हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी भवांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी–

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते है उनको जिला प्रशासन भारण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते है उन्हे गर्म स्थान में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

5.13 सारांश–

आपदा के सन्दर्भ मे तैयारी से आशय आपदा आने से पूर्व की व्यवस्थाओं से है। आपदा के प्रभावों से बहतर तरीके से निपटने हेतु तैयारी आवश्यक है। आपदा की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में आपदा तैयारी से सम्बन्धित नोडल विभागों की पहचान मथा विभिन्न कार्यो हेतु टीमों का गठन आता है। इसी प्रकार आपदा की तैयारी में मॉक ड्रिल तथा विभिन्न उपकरणों व संसाधनों की जॉच आवश्यक है।

आपदा के संदर्भ में उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन भी किया जाना आवश्यक है। जिससे उपलब्ध ज्ञान एवं पूर्व के अनुभवों का लाभ मिल सकें। संचार के साधनों का प्रबंधन तथा जनसामान्य स्तर पर भी तैयारी आवश्यक है, क्योंकि वे से सबसे पहले प्रभावित होते है। पूर्व तैयारी से आपदा में होने वाली हानियों कें स्तर को कम किया जा सकता है।

अध्याय–6

Capacity Building

क्षमता संवर्धन

विषय वस्तु–

6.1 तात्पर्य व आवश्यकता

6.2 विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास

6.3 आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप–रेखा

6.4 सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन

6.5 सारांश

6.1 तात्पर्य एवं आवश्यकता –

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में अभिवृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। इस प्रकार क्षमता संवर्धन में दो तत्वों व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमता अभिवृद्धि तथा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचााव कार्यों में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है। आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है–

- आपदाओं के जोखिम व प्रभावों को कम करना।
- व्यक्ति को आपदा के पूर्व व आपदा के पश्चात त्वरित प्रक्रिया योग्य बनाना।
- आपदा के समय प्रशिक्षित व्यक्ति स्वयं में महत्वपूर्ण संसाधन होता है।
- क्षमता संवर्धन एक व्वस्थित कार्यप्रणाली तैयार करने में सहायक है।
- मानव संसाधन का सर्वांगीण विकास ।

आपदा प्रबंधन में बहुत से कार्य आते है। जिनमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमर्रा के प्रबंधन क्रियाकलाप, बहु आपदा ऑपरेशंस, क्राइसेस मैनेजमेन्ट, समुत्थान और विशेष कार्य समिलित किये जाते है।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य का मानव संसाधन आपदा प्रबंधन के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित हो एवं आवश्यक संसाधनो से युक्त हो।

किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओ एवं जनसमुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत तथा संस्थागत विशेषज्ञता व क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण व ऑरिऐंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। हर स्तर पर मानव संसाधनों के प्रशिक्षण से केवल उनके प्रदर्शन में ही निखार नही आता अपितु उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढती है।

क्षमता संवर्धन में सामान्यजन से लेकर सरकारी अधिकारी,जन प्रतिनिधी ,निजी तथा कारपोरेट सैक्टर एवं विभिन्न स्तरों, समुदायों के लोग सम्मिलित है । इस हेतु आपदा प्रबंधन कोष में भी वित्तीय सहायता प्रावधान रखे जाते है। 13 वें वित्त आयोग में इस हेतु कुल 525 करोड़ रूपये तथा राजस्थान को 30 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है।

क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न सरकारी संस्थाऐं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिगं इस्टीटयूट (एटीआई), विभिन्न रिर्सोस इंस्टीट्यूटस, टेक्नीकल इस्टीट्यूट्स कार्यरत है । अन्य संस्थाऐं युनिसेफ तथा अन्य गैर सरकारी संगठन है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और संवर्धन के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

6.2 विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास–

प्रशिक्षण –

प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन का महत्त्वपूर्ण अवयव है।प्रशिक्षित व्यक्ति विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में भी सक्षम होतें है तथा वे निरोधात्मक उपायों की अहमियत भी जानतें है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन के गहन प्रयास किये जायेंगे।

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण का आधारभूत ढॉचा निम्न प्रकार होगा –

- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों से योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों को भिजवाया जायेगा। ये व्यक्ति प्रशिक्षित होकर के जिला स्तर पर संन्दर्भ व्यक्तियो के रूप में कार्य करेगें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी समयानुसार आवश्यकतानुरूप दक्ष प्रशिक्षकों को समय—समय पर जिले में बुलाना प्रस्तावित होगा ताकि स्थानीय स्तर पर भी लोग लाभान्वित हो सकें।
- राज्य स्तर पर संचालित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रीट्यूट, राज्य जिला एवं स्थानीय ऑथोरिटीज, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापकों तथा एनजीओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी। यूआईटी राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का कार्य करती है। जहा पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन किया गया है।
- जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों का एक कोर ग्रुप तैयार करेगा। यह कोर ग्रुप जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यहॉ दक्ष सदस्यों का एक पैनल होगा तथा विभिन्न विभागों में इसकी उपलब्धता सुगम बनायी जायेगी। यह कोर ग्रुप प्रशिक्षण का वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्माण करेगा।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे— इंजीनियरिगं कॉलेज, आ.ई.टी.आई, इंडीस्ट्रीयल ट्रैनिगं इंस्ट्रीट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता प्रशिक्षण हेतु ली जायेगी जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुॅचाया जा सकेगा।

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण का संस्थागत ढांचा—

राष्ट्रीय स्तर	1	**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**
	2	**युनिसेफ, विश्व बैक , नाबार्ड**
	3	**राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान व वि.वि., एन.सी.सी,एन.एस.एस, स्काउट**
	4	**एनजीओ**

राज्य स्तर	1	**एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिगं इंस्टीट्यूट् (एटीआई)**
	2	**स्टेट सेन्टर फॉर डिजास्टर मैंनेजमेंट —एससीडीएम**
	3	**राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान व वि.वि.**
	4	**एनजीओ, एन.सी.सी,एन.एस.एस, स्काउट**

जिला स्तर	1	**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**
	2	जिला स्तरीय कोर ग्रुप /पैनल
	3	जिला स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन संस्थान
	4	महाविद्यालय, विद्यालय
	5	एन.सी.सी,एन.एस.एस, स्काउट

इस प्रकार आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन हेतु त्रिस्तरीय ढ़ाँचा उपलब्ध हो सकेगा। इस त्रिस्तरीय ढाँचे का उयोग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु किया जा सकेगा। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन हेतु निम्न संस्थान उपलब्ध है अथवा उन्हे इस कार्य हेतु तैयार किया जा सकेगा।

क्र.स.	संस्थान
1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2	नगर परिषद् गोताखोर, दमकल कर्मी सूचना
3	आई.टी.आई
4	प्रबंधन संस्थान
5	अध्ययन केन्द्र इन्दिरा गांधी मुक्त वि.वि. म. प्र.रा.महा.चित्तौड़गढ़
6	अध्ययन केन्द्र वर्धमान महावीर खुला वि.वि कोटा म.प्र.रा.महा. चित्तौड़गढ़

तालिका 6.1 चित्तौड़गढ़–क्षमता संवर्धन हेतु संस्थान

नोट–

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम संचालित करतें है जिनके अध्ययन केन्द्र महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में है।

6.3 आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप रेखा–

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन।
- कोरग्रुप/पैनल का गठन।
- कोर ग्रुप/पैनल के विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
- विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रमुख विभागों जैसे –पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन आदि हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विभिन्न विभागों के चयनित स्टॉफ को तलाश, बचाव, अग्निशमन, फर्स्ट एड में निपुण बनाना।
- त्वरित अनुक्रिया तंत्र(इंसिडेंट रेस्पाँस सिस्टम) को सटीक बनाने हेतु प्रशिक्षण।
- आवश्यक उपकरणों के उपयोग व रखरखाव का प्रशिक्षण ।
- विशेष प्रशिक्षण जैसे :–
    - जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय विशेष ऑरिऐंटेशन प्रोग्राम जिसमें आपदा प्रबंधन के बुनियादी तत्वों को शामिल किया जायेगा।
    - आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स व बढ़ई, राजमिस्त्री, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि को आपदा काल में पुनः निर्माण कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर एक पैनल तैयार किया जायेगा।
    - पैरामेडिकल स्टॉफ, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेंस चालकों, दवा विक्रेत्ताओं को महामारी, रासायनिक आपदाओं,एन्टीडोज,मॉस कैजुअल्टी, मानसिक उपचार जैस विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा कर प्रशिक्षित किया जायेगा।
- मीडियाकर्मियों को आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।

- विद्यालयों–महाविद्यालयों में विद्यार्थियों कों बचाव,जोखिम, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, स्वंय बचाव ,आदि पर समय–समय पर प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
- जनसामान्य में आपदा प्रबंधन जागृति व क्षमता संवर्धन हेतु नुक्कड़ नाटक, चौराहों पर फिल्मों, होर्डिंग्स आदि का प्रयोग प्रभावी तरीके से किया जायेगा। मौसम तथा जोखिम के अनुरूप संभावित आपदा के खतरे व बचाव के होर्डिंग्स स्थान–स्थान पर लगाये जायेगें, जिससें संभावित आपदा के सम्बन्ध में जागृति पैदा हो तथा जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
- एक विशेष प्रशिक्षित दल का गठन जो महामारी, रासायनिक आण्विक दुर्घटना, गैस गोदाम व तेल डिपो में आग जैसे संवेदनशील मौको पर त्वरित अनुक्रिया कर सके।

मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास–

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण के साथ–साथ अनुरूपण अभ्यास भी आवश्यक है। अनुरूपण अभ्यास के द्वारा आपदा प्रबंधन क्षमता की तैयारियों, विशेषताओं व खामियों का पता लगाया जाता है। आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में संवेदनशील व जोखिम पूर्ण स्थानों व संस्थाओं में मॉक ड्रिल्स के माध्यम से आपदाओं से निपटने की तैयारियों का पता लगाकर उनकी खामियों को जाना जायेगा।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थल, परिवहन केन्द्र, औद्यौगिक इकाइयॉं, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉक ड्रिल्स व अनुरूपण अभ्यास हेतु उचित स्थान है। वर्ष में कम से कम दो बार विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों, प्रमुख मन्दिरों, रेल्वे स्टेशन, औद्यौगिक इकाइयों तेल व गैस डिपो में मॉक ड्रिल्स व अनुरूपण अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। इन अभ्यासों में जिला पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टॉफ, बम निरोधक दस्ता, आतंकवाद निरोधी दस्ता तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारी भाग लेंगे।

इस कार्य हेतु जिला स्तर पर जिला क्लेक्टर तथा राज्य स्तर पर रिलीफ कमिश्नर सहयोग प्रदान करेंगे। जिले में की जाने वाली मॉक ड्रिल्स की संभावित सूची निम्न प्रकार होगी जिसमें समय व आवश्यकतानुरूप बदलाव किया जा सकेगा–

- शिक्षण संस्थानों में मॉक ड्रिल्स व अनुरूपण अभ्यास।
- भीड–भाड़ वाले स्थानों विशेष कर रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मार्केट, सरकारी कार्यालय , सभागार, आदि स्थानों पर विशेष मॉक ड्रिल्स।
- धार्मिक स्थलों जैसे– सांवलिया जी मन्दिर मण्डपिया, कालिका माता मन्दिर, चित्तौड़गढ़ पर भगदड़, आतंकी हमला, बम डिफ्यूजन की विशेष मॉक ड्रिल्स।
- सार्वजनिक व धार्मिक अवसरों पर निकलने वाली यात्राओं, रैलियों में भगदड़ व दंगे जैसी स्थिति से निपटने हेतु मॉक ड्रिल्स।
- विभिन्न एजेंन्सियों के मध्य तालमेल जानने हेतु मॉक ड्रिल्स ।
- मॉस कैजुअल्टी जैसे बडी सड़क दुर्घटना, आगजनी आदि में प्रबंधन हेतु मॉक ड्रिल्स ।
- वर्षा ऋतु से पूर्व बांधों, नदियो के किनारों पर स्थित संवेदनशील स्थानों पर मॉक ड्रिल्स ।

जिला स्तर पर जिला आपदा एवं राहत प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि मॉक ड्रिल्स तथा अनुरूपण अभ्यास समय–समय पर अनिवार्य रूप से सभी जोखिम पूर्ण संवेदनशील स्थानों पर किया जावे। इससे जिला स्तर पर सभी संस्थानों को अपनी सही–सही भूमिका व आपसी तालमेल का पता चल सकेगा।

पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश–

शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये।

जिले के सभी तकनीकी संस्थान यह सुनिश्चित करेगें की उनके पास विभिन्न तकनीकी विषयों पर पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता हो। चिकित्सा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारी व कर्मचारी आपदा की दशा में बेहतर तरीके से तालमेल के साथ कार्य कर सकें। इस हेतु पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को आवश्यकतानुरूप सम्मिलित करने की महती आश्यकता रहेगी।

जनजागृती तथा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मेनेजमेंट प्रोग्राम(CBDM)–

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते है, अतः यह आवश्यक है कि आपदाओं की जानकारी तथा उनके प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जावे। आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के माध्यम से जन सामान्य को जागृत करने के तरीके विकसित किये जायेगें जिनकी अनुपालना से लोग आपदा की दशा में अनुशासित और अफरा–तफरी रहित होकर प्रभावी व्यवस्था की अनुपालना कर सकें। इस हेतु जिले में विभिन्न प्रयास व कार्यक्रम लागू किये जाना प्रस्तावित है–

- ✓ स्थानीय भाषाओं में जिंगल्स विकसित करना।
- ✓ वीडियो स्पॉट्स तैयार करना।
- ✓ स्थानीय आकाशवाणी व केबल टीवी पर पैनल डिस्कशन ।
- ✓ संवेदनशील स्थानों पर होर्डिंगस।
- ✓ पोस्टर, पुस्तिका, पम्पलेट, विज्ञापन, आदि तैयार करवाना व वितरण।
- ✓ चित्रकला, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी, निबंध, आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- ✓ सार्वजनिक स्थानों पर तापमान, वर्षा आदि मौसमीय दशाओं को प्रदर्शित करने हेतु इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड।
- ✓ आपदा प्रबंधन दिवस मनाना ।
- ✓ नुक्कड नाटक, जागरूकता रैली का आयोजन।
- ✓ विकलांगों बुजुर्गो,मानसिक शिथिल व्यक्तियों हेतु विशेष कार्यक्रम।

इन कार्यों हेतु वित्तीय व्यवस्था जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों से की जायेगी। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमैंट प्रोग्राम (ब्ठक्ड) एक नवीन प्रयास है। क्षमता संवर्धन हेतु समुदाय स्तर पर दीर्घकालीन प्रयास किये जाने आवश्यक है। जिससें सुरक्षित समुदायों का निर्माण हो सेकेंगा। तथा लोगो में सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होगी।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) के माध्यम से जोखिम घटाने की परिकल्पना निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करेगी–

- सीबीडीएम हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन।
- सरकारी व गैरसरकारी संगठनो की सहायता से समुदायों के साथ गहन कार्यक्रमों का संचालन।
- सीबीडीएम हेतु विस्तृत कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण।
- जोखिम पूर्ण व संवेदनशील समुदायों तक सीबीडीएम की पहुॅंच ।

- कार्यशाला के माध्यम से सीबीडीएम लोगों तक सुलभ बनाना।
- प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन दलों का गठन ।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना का संभावित प्रारूप तालिका 6.2 के अनुसार प्रस्तावित होगा। इससें क्षमता संवर्धन के साथ–साथ आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहेगा ।

कौन / कैसे	किसे क्या काम सौपा गया है। कौन कहॉ रह रहा है। किसे प्राथमिकता दे। संदेशो को कौन सुनेगा। कौन क्या जुटायेगा।
कहॉ / किधर	कहॉ सूचित करें । प्रत्येक परिवार कहॉ रहता है।वे किधर जाते है। वह कहॉ काम करते है। आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान कहॉ है।
कब	क्या यह घटना पूर्व चेतावनी के साथ हुई। क्या यह घटना अचानक हुई।
क्या	समुदायिक स्तर पर क्या उपाय किये जा रहे है। उपलब्ध संसाधन क्या है। क्या–क्या सामग्री जमा की जायें । क्या–क्या उपकरण उपलब्ध है। सुरक्षित आश्रय स्थलों और उपकरणों की क्या स्थिति है।
कैसे	किसी स्थान पर कैसे पहुॅचा जाये।संदेश कैसे प्राप्त किया जाए। पूर्व चेतावनी संदेश कैसे प्रसारित किया जाए।लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना कैसे तैयार की जाए ।
क्यों	उपर्युक्त प्रत्येक प्रश्न क्यों।

तालिका 6.2 समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना प्रारूप

6.4 सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन–

जिला स्तर पर इमरजेंसी (म्व्) ऑपरेशन सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित किया जायेगा, जो आपदा के समय समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत आने वाले राहत कार्यों से जुडे विशेषज्ञ लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जायेंगे। ताकि सूचनाओं का सम्प्रेषण व सहायता आदान–प्रदान संभव हो सकेगा।

चित्तौड़गढ़ जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक वेबसाइट तैयार करवाई जायेगी जिस पर समस्त सूचनाओं का संकलन होगा। सभी विभाग अपने–अपने सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन करवायेगें जिससे अन्य विभाग लाभान्वित होकर अपनी क्षमता संवर्धन कर सके।

जिला स्तर पर एक विशिष्ट आपदा प्रबंधन उपकरण भवन की स्थापना जिसमें आपदा प्रबंधन व राहत से सम्बन्धित समस्त समस्त उपकरण व सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।

6.5 सारांश–

राज्य मे आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण से सभी हितकारकों की क्षमता संवर्धन की जा सकती है। राज्य में अधिकारियों / कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन से सम्बधित प्रशिक्षण हेतु 'एच.सी.एम. रीपा' में आपदा प्रबधंन केन्द्र कार्यरत है। इस केन्द्र को आवश्यक संसाधनों से सशक्त किया जायेगा। आवश्यकता होने पर राज्य में अतिरिक्त आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किये जाऐंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों को भी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सशक्त किया जायेगा । सभी विभाग आपदा प्रबंधन की क्षमता निर्माण हेतु कार्य योजना बना कर विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्य योजना में आपदा पूर्व तैयारी, प्रशमन तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास

एवं आधारभूत संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान जैसे बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा।

- आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुडे व्यक्तियों को बचाव व राहत कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा,जिससे वे स्वतः सतर्क होकर कार्य में जुड़ सकेगें।
- राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इंटर एजेंसी ग्रुप के माध्यम से प्रशिक्षण, जनजागरूकता, क्षमता संवर्धन, सूचना सम्प्रेषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। इस ग्रुप में संयुक्त राष्ट्र संस्थाऐं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वंयसेवी संस्थाऐं, शैक्षिक संस्थाऐं एवं प्रसार संस्थाऐं सम्मिलित होगी।
- प्रत्येक जिले मे आपदाओ के समय अनुक्रिया (response) के लिए दल ;पदबपकमदज तमेचवदेम जमंउद्ध गठित किया जायेगा ।
- उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक, व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
- प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के दल बनायेगा जो तत्सम्बधी आपदाओं में बचाव व राहत कार्य में समय समय पर प्रशिक्षित किये जावेंगे। सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए बाध्य होगें। सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन केन्द्र समय–समय पर प्रशिक्षित करेगा।
- विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया जायेगा।
- नागरिक सुरक्षा, होमगार्डस, एन.सी.सी.,वाई.डी.सी,स्काउटस,एन.एस.एस. आदि को आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर सशक्त किया जायेगा।

सीख ....

तमिलनाडु के कुडलुर जिले में समुद्र तट के एक गांव के ग्रामीण आपदा प्रबंधन पर पाठ सीख रहे थे तभी उन्हे हत्यारी सुनामी लहरों ने घेर लिया। सीखा गया पाठ तत्काल उनके काम आया और बहुत से लोगों की जान बचायी जा सकी। 2000 की आबादी वाले इस गांव में मरने वालों की संख्या 20–21 रही । गांव वालों को कहा गया कि समुद्र में डूबते समय वे सू खे पेड़ के तनें तथा खाली ड्रमों का इस्तेमाल करें। इस गांव में सामुदायिक ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का गठन एक सप्ताह पूर्व ही किया गया था। टीम में शामिल महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में लगाया गया।

अध्याय–7

Response and Relife Measures

राहत एवं प्रत्याक्रमण

विषय वस्तु–

7.1 अभिप्राय व आवश्यकता

7.2 राहत एवं प्रत्याक्रमण के चरण

7.3 सारांश

7.1 अभिप्राय व आवश्यकता –

सभी आपदाऐं, आकस्मिक घटनाऐं एवं संकटकालीन घटनाऐं अत्यंत गतिशील होती है और अफरातफरी फैलाने वाली होती है। जिससे शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार भी पैदा हो जाते हैं। राहत एवं प्रत्याक्रमण वे उपाय हैं जो आपदा घटित होने के तुरन्त बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उद्धेश्य आपदा से पूर्व तथा आपदा काल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पति को सुरक्षित बचाना, आपदा द्वारा किए गए नुकसान से निपटना शामिल है।

राहत व प्रत्याक्रमण सामान्यतः अत्यन्त विघटनकारी तथा विषम परिस्थितियों में चलाये जाते है। अक्सर उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। इन अभियानों के लिए बडी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आश्यकता होती हैं, अतः ठोस योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रत्याक्रमण टीम के बिना इन अभियानों को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम को उतना ही कम किया जा सकता है।

7.2 राहत व प्रत्याक्रमण के चरण

आपदा से पूर्व	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
आपदा के दौरान	प्रथम प्रत्याक्रमण–राहत
आपदोत्तर	राहत– समुत्थान

समयानुसार राहत एवं प्रत्याक्मण एक गतिक प्रक्रिया है। इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है।

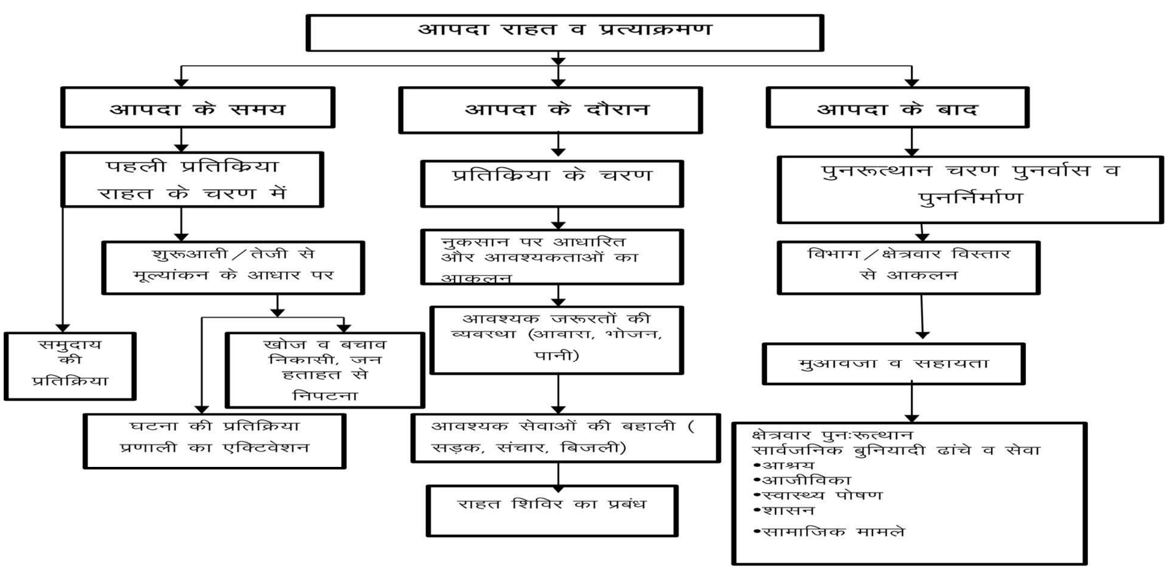

चित्र 7.1 राहत व प्रत्याक्रमण का आरेखीय निरूपण

7.2.1 आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण

आपदाओं को भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान के आधार पर दो भागों मे बाँटा जा सकता है –

- प्रथम प्रकार की आपदाऐं वे है जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव है।
- द्वितीय आपदाऐं वे है जो आकस्मिक रूप से घटित होती है जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है।

आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण कार्य उक्त दोनों प्रकार की आपदाओं हेतु क्रियान्वित किये जाते है। किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को आपदा पूर्व तैयारी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा आने वाली सम्भावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण में निम्न तत्व सम्मिलित किये जाते है –

- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपदा सम्बन्धित आंकडों का संग्रहण
- शरणस्थलियों को चिन्हित करना
- आपदा से सम्बन्धित उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता
- मॉक ड्रिल
- संचार प्रणाली को दुरूस्त करना
- आपदा से सम्बन्धित विभाग को हाईअलर्ट
- फर्स्ट रेस्पॉड यूनिट का हाईअलर्ट
- जोखिमपूर्ण बस्तियों, मकानों को खाली करवाना
- पर्याप्त भोजन, दवा, जल, आवश्यक सामग्री का संग्रह

बाढ़, भूकम्प एवं सूखा चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदाऐं हैं। उक्त आपदाओं में बाढ़ तथा सूखे का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संभव हैं। आगजनी, सड़क दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ आदि अन्य आपदाएँ हैं जिनका पूर्वानुमान सम्भव नहीं है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के पूर्वानुमान तथा चेतावनी हेतु जिले में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ बनाना आवश्यक है। जिला प्रशासन के द्वारा संचार/पूर्व चेतावनी प्रणाली को दुरूस्त करना प्रस्तावित है। यह प्रणाली निम्न चरणों में कार्य करेगी–

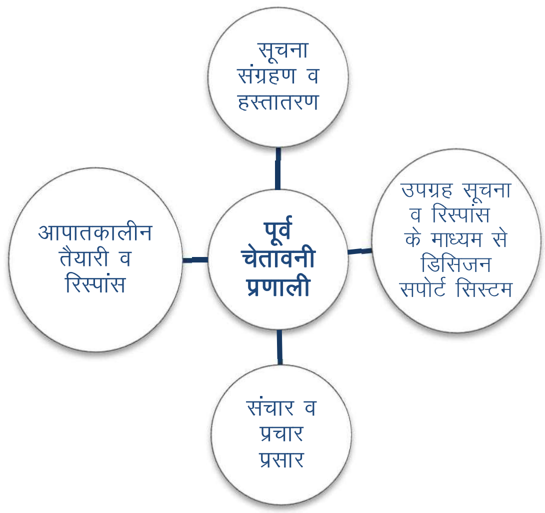

चित्र 7.2 जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली

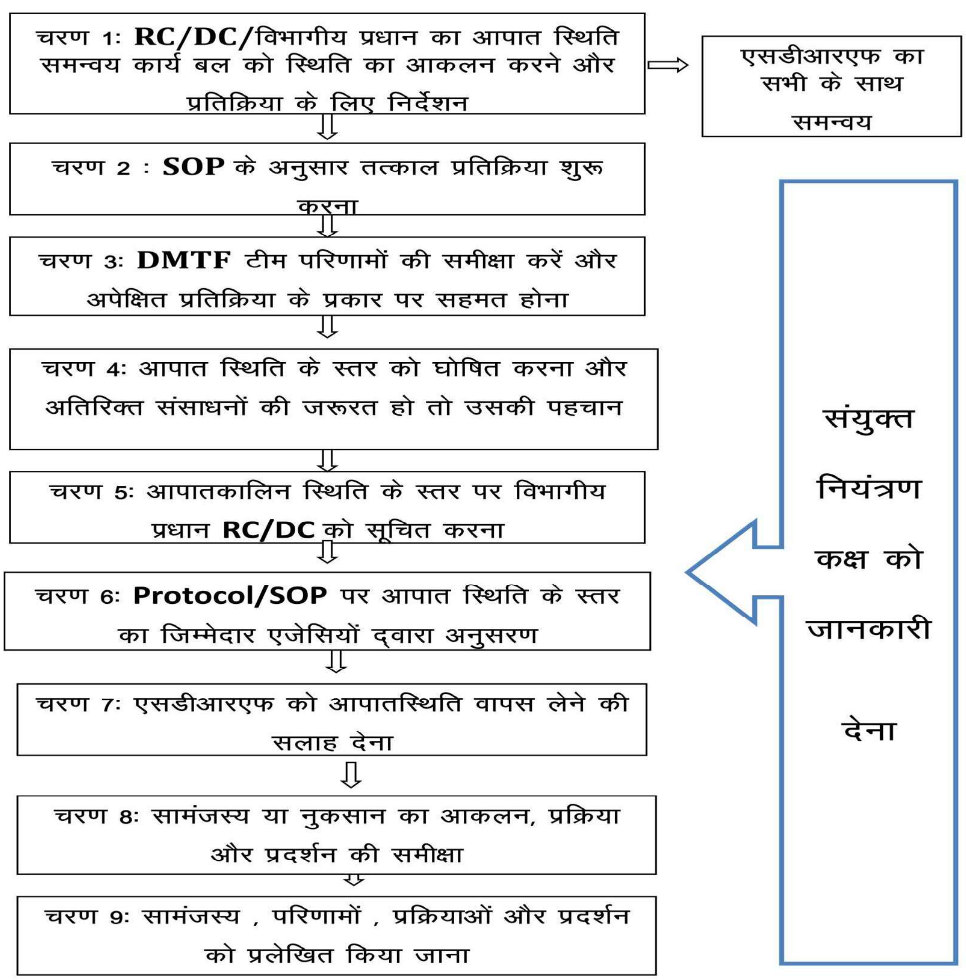

चित्र 7.3 प्रमुख आपातकालीन प्रत्याक्रमण के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट

आपदा पूर्व राहत एवं प्रत्याक्रमण आपदा के जोखिम व हानि को काफी हद तक कम कर देते है। आपदाओं संबंधित पूर्व चेतावनी हेतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थान कार्यरत हैं, जिनका सहयोग भी इस कार्य हेतु लिया जायेगा।

1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

2. मौसम विभाग

3. सुदूर संवेदन विभाग तथा भौगोलिक सूचना तंत्र

4. राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

7.2.2 आपदा के प्रभाव की अवस्था में राहत व प्रत्याक्रमण

यह आपालकाल या आपदा के तुरंत बाद की अवस्था है जिसमें लोग आपदा व उसके प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसी चरण के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण की महती आवश्यकता होती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गई तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी व कुशलता से की जायेगी, उतनी ही आधिक जन एवं धन तथा सम्पति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। जिले में आपदा के प्रभाव की स्थिति में राहत व प्रत्याक्रमण के निम्न चरण होगें–

1. फर्स्ट रिस्पाँड ग्रुप का निर्धारण

2. राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना

3. सर्च व रेस्क्यू टीम

4. आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली

5. आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था

6. शान्ति व्यवस्था बनाये रखना

7. क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण

8. अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना

9. राहत सामग्री की आपूर्ति

10. आपदा के बाद क्षति का आंकलन

11. आपदा पीड़ितों हेतु तत्काल राहत

चित्तौड़गढ़ जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रत्याक्रमण के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन –

- **समुदाय पहले प्रतिक्रियक**

आकस्मिक आपदा आने के बाद बाहर से सहायता आने में लगभग 12 से 24 घटें का समय लग जाता है।अतः जन समुदाय फर्स्ट रिस्पाँडर के रूप में कार्य करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को आपदा के समय फर्स्ट रिस्पाँडर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है। इस हेतु विस्तृत जानकारी अध्याय–6 में दी गई है।

- **राज्य सरकार – जिला प्रशासन का सक्रीय होना–**

समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पाँस देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पाँस सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित है–

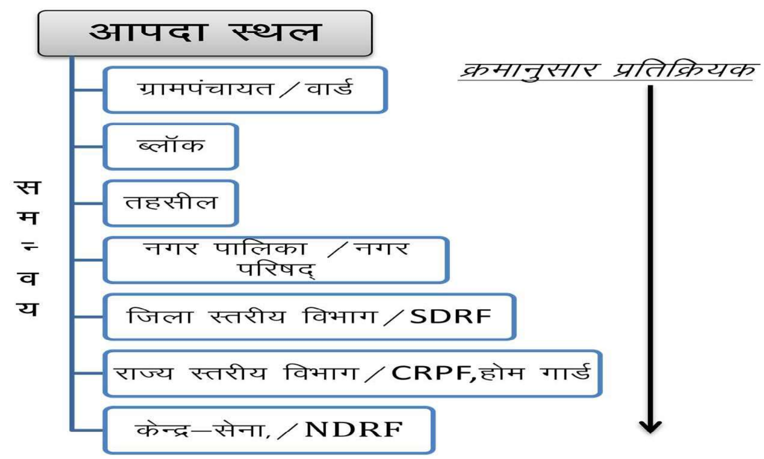

चित्र 7.4 प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम के विभिन्न चरण

आपदा में त्वरित सहयता पहुचाने के लिए जिले में इंसिडेंट रिस्पाँस टीम (त्वरित कार्यबल) तथा एक इंसिडेंट रिस्पॉस सिस्टम की महती आवश्यकता होगी जो आपदा के समय तुरंत स्वतः क्रियाशील होकर स्थिति नियंत्रण मेंले सके। जिला इंसिडेंट रेस्पाँस टीम का फ्रेमवर्क निम्न प्रकार होगा –

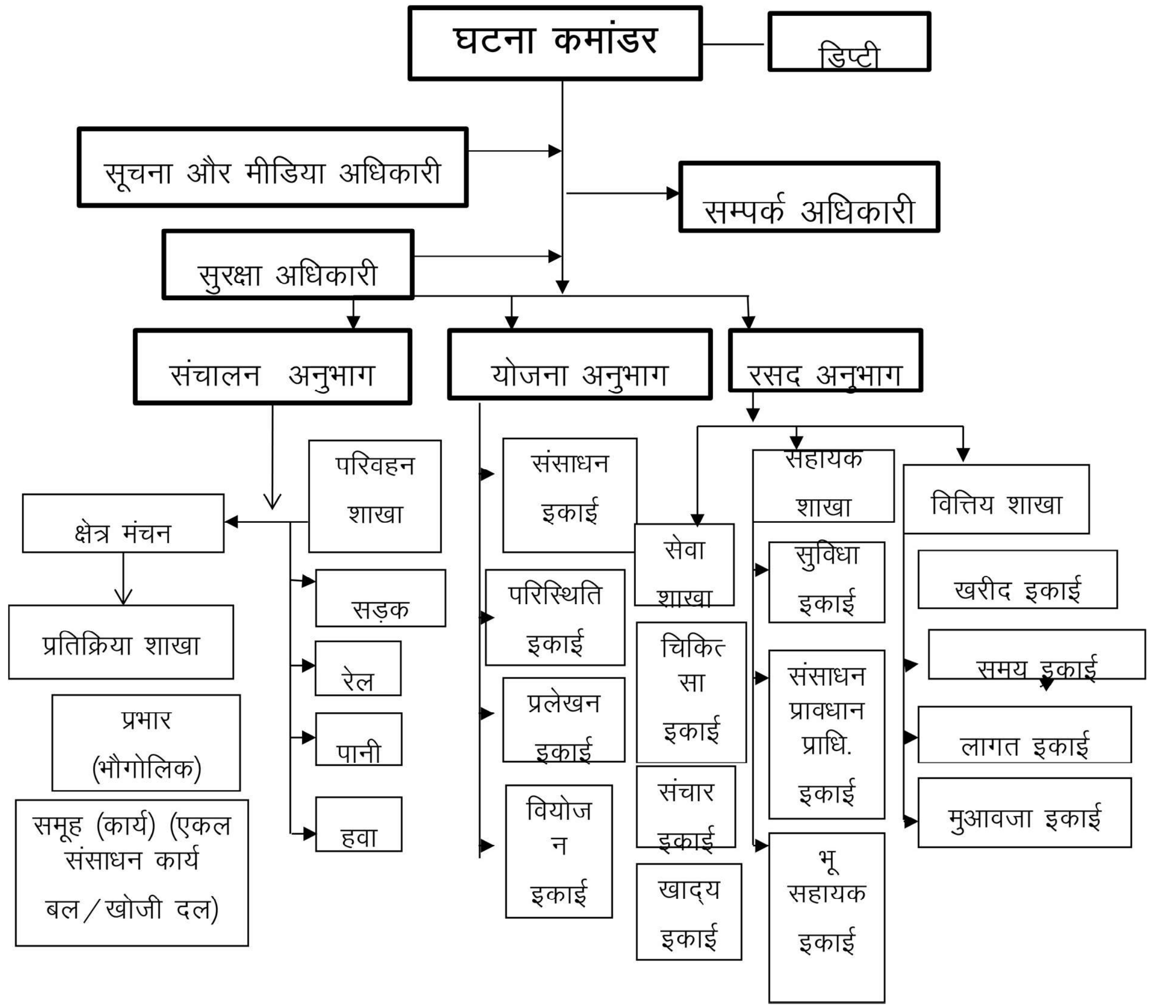

चित्र 7.5 इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम (आईआरटी) फ्रेमवर्क

इस प्रकार जिले की इंसिडेट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग होंगे । इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क (IRTF) के किस अनुभाग को सक्रिय करना हैं, क्या कार्य करना है यह जिम्मेदारी कमांड स्टाफ की होगी। जिसका मुखिया जिला कलक्टर होगा। यह फ्रेमवर्क आपदा राहत व प्रत्याक्रमण की रीढ़ होगा। इंसिडेंट रिस्पांस टीम का मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय होगा जो आपदा नियंत्रण कक्ष के समन्वय से कार्य करेगा। आपदा से समय प्त्ज्थ के विभिन्न चरण तथा घटक निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील हो जायेंगे।

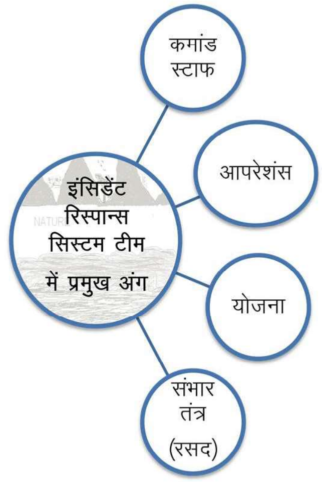

चित्र 7.6 जिले की इंसिडेट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग

- **इंसिडेट रिस्पांस टीम का कियाशील होना–**

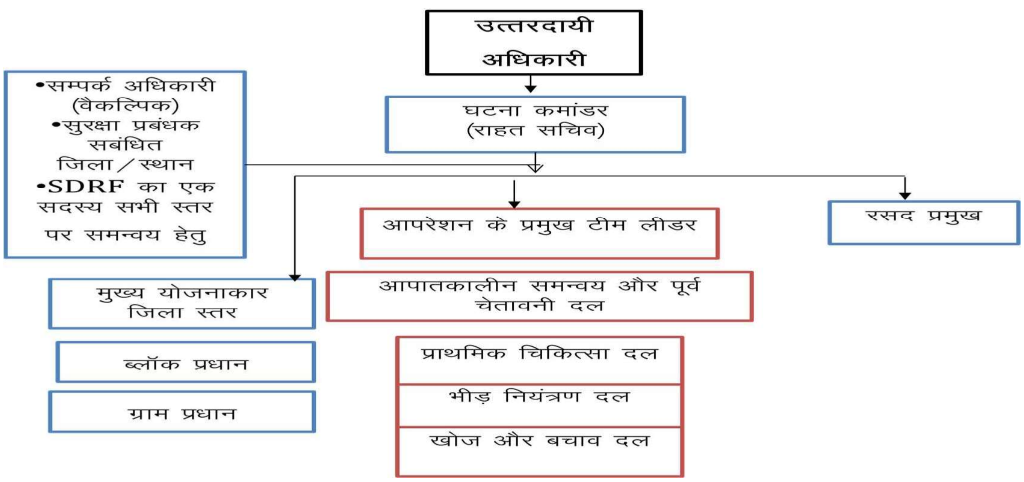

चित्र 7.7 इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम टीम का क्रियाशील होना

आपदा के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न होंगे–

- **ऑपरेशन का समन्वय :–** विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न चरणों में सम्पन्न कार्यों का समन्वय आवश्यक हैं अन्यथा राहत व प्रत्याक्रमण के कार्य निष्फल हो सकते है। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व प्रत्याक्रमण के कार्यों का समन्वय का भार जिला आपदा नियंत्रण कक्ष पर रहेगा जो 24 घंटे कार्य करेगा। जिले के सभी विभाग जो आपदा के समय क्रियाशील होंगे नियंत्रण कक्ष को प्रत्येक कार्य की सूचना देगें। यह नियंत्रण कक्ष इस सूचना को अन्य विभागों तक पहुॅंचायेगा। विशेष परिस्थितियों मे यह नियंत्रण कक्ष राज्य व केन्द्र से भी सम्पर्क बनाये रखेगा।
- **मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट** :– इस प्रकार की आपदा में बडे पैमाने पर जन धन की हानि होती है। जैसे अग्नि, भूकम्प, बाढ़, रेडिएशन, रासायनिक दुर्घटना आदि। इस स्तर पर जोखिम

कम करने तथा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। चिकित्सा, पुलिस, रसद आदि विभागों के विशेष प्रयास हानि को कम करते हैं। विशेष परिस्थितियों मे राज्य व केन्द्र की भी सहायता लेनी पडती हैं। इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन योजना में निम्न बिन्दु प्रस्तावित किये गये है–

1. संयुक्त दल जो राहत की आवश्यकता के स्तर का अनुमान लगायेगा।
2. सुरक्षा, फार्मेसी, ब्लड बैंक, ट्रोमा सुविधाओं की तत्काल स्थापना।
3. आवास तथा भोजन की तत्काल व्यवस्था।
4. रोगी वाहनों तथा रेफरल व्यवस्थाओं का तत्काल प्रबंध।
5. सहायता व शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना।

- **रेपिड डैमेज असेसमेंट सिस्टम (RDA)** :– आपदा के तुरंत बाद जान माल के नुकसान तथा घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिट असेसमेंट आवश्यक है। जिले में आरडीए उस स्थान पर करवाया जायेगा जहॉ आपदा घटित हुई है। इसमें दल का नेतृत्व स्थानीय प्रशासन का मुखिया करेगा तथा दल में पटवारी, अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग का इंजीनियर, पुलिस उपाधीक्षक होगें जो आंकलन की रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौपेंगें। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा का स्तर निर्धारित किया जायेगा जो निम्न प्रकार होगा :–

एल – 0	यह सामान्य स्तर का द्योतक है।
एल – 1	यह आपदा का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी।
एल – 2	यह आपदा का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर पर सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा।
एल – 3	यह बडी आपदा वाली दशा होगी जिसमें राज्य व जिला मशीनरी को पुनः पटरी पर लाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। यथा – सहायता पैकेज प्राप्त करना, छक्त्थ का सहयोग, सेना की मदद आदि।

- **जनता का सहयोग** आपदा के समय रिस्पॉंस अधिकारियों व जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। इस हेतु चित्तौड़गढ़ के जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जनजागृति अभियान चलाया जायेगा।

7.2.3 आपदोत्तर राहत व प्रत्याक्रमण की अवस्था

यह अवस्था आपदा के विरूद्ध त्वरित प्रत्याक्रमण अथवा रिस्पांस की अवस्था है। इस अवस्था में आपदा की तीव्रता तथा जोखिम लगभग समाप्त हो जाते हैं किन्तु राहत तथा प्रत्याक्रमण के कार्य जारी रहते है। इस अवस्था में राहत तथा प्रत्याक्रमण की प्राथमिकताऐं बदल जाती हैं। इस अवस्था का प्रमुख कार्य पुनर्वास तथा पुनर्रूत्थान होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व प्रत्याक्रमण की आपदोतर अवस्था के निम्न चरण होंगे–

विस्तृत हानि का आंकलन–

इसके अर्न्तगत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, गिरदावर, सरपंच के माध्यम से आपदा से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ–साथ उसके कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियाँ आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।

प्रभावित लोगों का पुर्नवास

आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों के पुनर्वास की होती है। राहत शिविरों में रह रहे लोग पुनः अपने घरों को लौटना चाहते हैं। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न उपाय किए जा सकेंगे–

- राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित न होने की दशा में सुरक्षित स्थान पर लोगों को बसाने हेतु भूमि की व्यवस्था।
- भूमि व वित्तीय सहायता का आवंटन, प्रभावितों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जायेगा।
- जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

पुनर्निर्माण

जिला स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया का दृष्टिकोण इस प्रकार का होगा जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके। यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस हेतु एक समर्पित कार्यदल का गठन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए, उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जायेगी।

आजीविका को पुनः बहाल करना

आपदा से प्रभावित परिवारों के समक्ष प्रमुख समस्या आजीविका के साधनों की पुनः बहाली की होगी। इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले हेतु निम्न प्रयास सुझाये गये हैं–

1. दुकानों, व्यावसायिक भवनों आदि का ढांचा पुनः सुधारना जिससे प्रभावित लोगों का रोजगार पुनः प्रारम्भ हो सके।

2. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो चुके हैं उन्हे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

3.स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन आजीविका के साधन विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

धन का आवंटन व ऑडिट

विभिन्न माध्यमों यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, दानदाताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से, जनसहयोग से प्राप्त धन को आपदा राहत व प्रत्याक्रमण में खर्च करने के बाद उसकी ऑडिट प्रस्तावित की जायेगी जिससे प्राप्त धन का किसी प्रकार दुरूपयोग न हो सके।

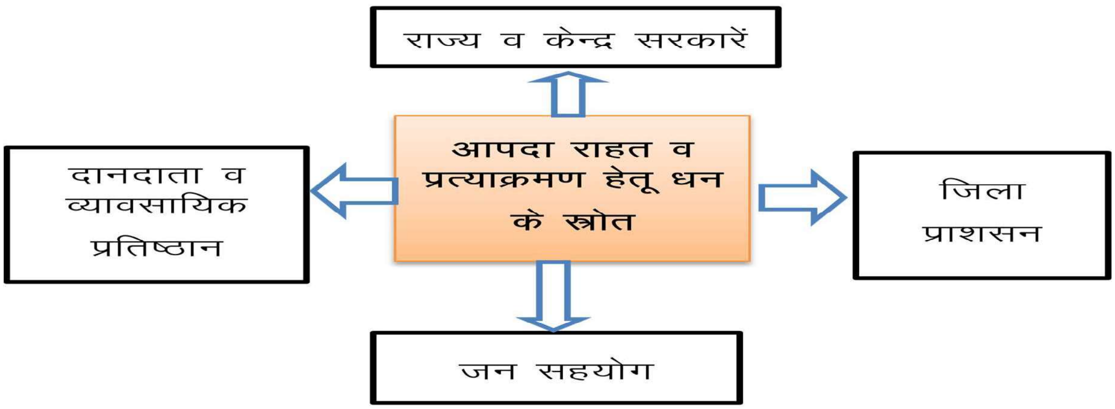

चित्र 7.8 आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु धन के स्त्रोत

7.3 सारांश–

आपदा प्रबंधन मे ंराहत व प्रत्याक्रमण का विशेष स्थान हैं। राहत व प्रत्याक्रमण के अभाव में आपदा के पश्चात जनजीवन का सामान्य अवस्था में लाना संभव नहीं हैं। अतः आपदा व आपदा के पश्चात प्रभावों को समाप्त करने हेतु राहत व प्रत्याक्रमण आवश्यक हैं।

राहत व प्रत्याक्रमण तीन अवस्थाओं में सम्पन्न किया जाना हैं

- प्रथम अवस्था आपदा के पूर्व की अवस्था हैं इसमें आपदा की चेतावनी, प्रभावित होने वाले लोगों का विस्थापन तथा प्रभावित होने वाले इलाकों मे आपदा पूर्व उपाय शामिल हैं।
- द्वितीय अवस्था आपदा के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण की हैं। इसमें बचाव, खोज, मलबे को हटाना, विद्युत, पेयजल, भोजन, अस्थायी आवास तथा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना शामिल होगा।
- तृतीय अवस्था आपदोत्तर राहत व प्रत्याक्रमण की हैं। इसमें दीर्घावधि के उपचार सम्मिलित हैं। इसमें पुनर्वास, आवासीय भवन निर्माण, मानसिक उपचार, मनोरंजन के साधन, जीवन बीमा, समस्या समाधान शिविर आदि होगें। राहत व प्रत्याक्रमण का स्तर जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति के आंकलन के पश्चात् किया जायेगा।

अध्याय 8

Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Measures

समुत्थान, पुनर्निमाण, पुनर्वास के चरण

विषय वस्तु

8.1 अभिप्राय व महत्व

8.2 नुकसान का आकलन तथा नीति निर्धारण

8.3 पुनर्गठन (समुत्थान)

8.4 पुनर्निर्माणतथा मरम्मत कार्य

8.5 पुनर्वास के चरण

8.6 सारांश

8.1 अभिप्राय व महत्व

समुत्थान, पुनर्निर्माणतथा पुनर्वास आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। इस अवस्था में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर ,सुरक्षित एवं ज्यादा समुत्थान समाज का निर्माण किया जाता है। अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विपत्ति को अवसरों में बदला जाता है। इस चरण में सभी सहभागियों के धैर्यशील एंव श्रम साध्य प्रयासों की आवश्यकता है। इस अवस्था में यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समुत्थान तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों का समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। चितौड़गढ़ जिले के सन्दर्भ में इस अवस्था के निम्न चरण होगे–

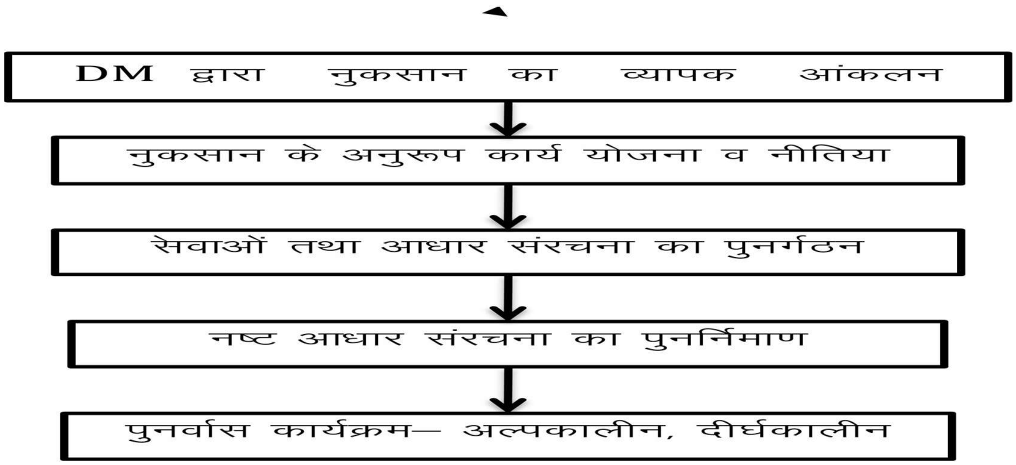

चित्र 8.1 समुत्थान –पुनर्निर्माण– पुनर्वास के चरण

8.2 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण अध्याय–7 में दिया गया है। आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने का प्रभार जिला कलक्टर का होगा जिसके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जायेगा । यह कमेटी विस्तृत आंकलन के पश्चात् रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपेगी। जिला कलक्टर यह निर्धारित करेगा कि आपदा किस स्तर की है तथा किस स्तर पर पुनरूत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता है। नुकसान के आंकलन के पश्चात् यह निर्धारित किया जायेगा कि किस स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है।

नीति निर्धारण –

समुत्थान, पुनर्निर्माणव पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति के तीन प्रमुख चरण होगें–

1. बहाली
2. पुनर्निर्माण
3. बसाव

- **बहाली–**

यह प्रथम आव यक चरण होगा। इसमें आपदा के कारण नष्ट हो चुकी अत्यावष्यक सेवाओं की बहाली की जायेगी। आपदा के समय विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज, चिकित्सा, शिक्षा आदि आव यक सेवाऐं बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। अतः नीति निर्धारण में इन आवश्यक सेवाओं की बहाली हेतु प्रभावी प्रस्ताव होगा।

- **पुनर्निर्माण –**

आपदा के दौरान आधारभूत सरंचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भूकम्प, बाढ़, आग, सुनामी जैसी आपदा में आवासीय भवन, प्र ाासनिक भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व्यावसायिक भवन, सड़के, पटरियाँ आदि क्षतिग्रस्त हो जाती है अतः नीति निर्धारण का द्वितीय चरण पुनर्निर्माण होगा जिसमें क्षतिग्रस्त तथा नष्ट आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।

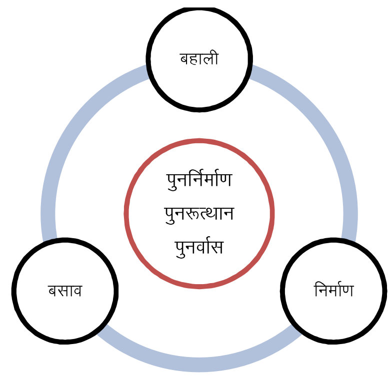

चित्र 8.2 नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु

- **<u>बसाव</u>–**

आपदा से बेघर, शारीरिक–मानसिक रूप से टूट चुके व्यक्तियों का बसाव व पुर्नवास आवश्यक है। आपदा के शिकार लोगों का पुर्नवास भी नीति निर्धारण में सम्मिलित है। साथ ही साथ उन्हें मानसिक सहारा देना भी सम्मिलित है।

8.4 पुनर्गठन (समुत्थान)–

इस प्रकार जिला कलक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा–निर्देश प्रदान किये जायेगें। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करें।

कार्य / पुनर्स्थापना	नोडल विभाग
1. विद्युत	स्थानीय विद्युत वितरण निगम
2. चिकित्सा	चिकित्सा विभाग
3. शिक्षा	शिक्षा विभाग
4. दूरसंचार	जिला दूरसंचार विभाग
5. पेयजल	जिला स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग
6. सीवरेज	नगर पालिका / परिषद् / निगम
7. मलबा हटाना	नगर पालिका / परिषद् / निगम
8. खोज –बचाव	पुलिस विभाग

तालिका–8.1 पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग / अधिकारी

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अन्तर्गत आव यक सेवाऐं सम्मिलित की जाती है। इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बॉटा जा सकता है–

- बुनियादी सेवाएँ– बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियो व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। चितौडगढ़ जिलें में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकरों से जलापूर्ति, अस्थायी टंकियों का निर्माण आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सेनीटशन तथा सीवरेज हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शौचालय, चल शौचालय तथा स्नानघर उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे उन स्थानों पर सेनीटेशन तथा सीवरेज की समस्या हल हो सके। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेसीबी तथा ट्रेक्टरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।
- अत्यावश्यक सेवाऐं – ये सेवाऐं जीवन रेखा कही जाती है– जैसे विद्युत, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्ही सुविधाओं पर निर्भर है। सामान्यतया सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है। इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति आ जाती है। जिले में जिला कलक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः – विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग (रेल विभाग व पथ परि. निगम) नोडल विभाग बनाये जायेगें जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगें।

8.5 पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य–

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक एंव अन्य भवनों को नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः आपदा के पश्चात पुनर्निर्माणतथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के तीन अंग है–

पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य

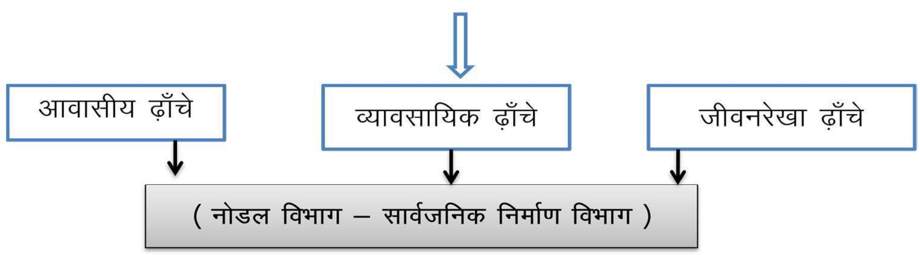

आवासीय ढ़ाँचे के पुनर्निर्माण में शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन, योजना व पुनर्निर्माणशामिल है। जिले में इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा इस हेतु दो उपाय किये जा सकते हैं–

(1) लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता देना।

(2) उचित स्थान का निर्धारण कर, आवास निर्मित कर लोगों को देना।

आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यावसायिक ढ़ाँचों के पुनर्निर्माणहेतु दी जायेगी । पूर्णरूप से नष्ट आवासीय तथा व्यावसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु उचित निर्माण स्थल का चयन करने के बाद, बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री की भी

आवश्यकता होती है। इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी । इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई अधिवासों का निर्माण किया जायेगा । लोगों की भवन पुनर्निर्माणमें स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं।

ऑनर ड्राइवन रिकंस्ट्रक्शन एप्रोच (ओडीआर) –

गुजरात, उड़ीसा, जम्मू–कश्मीर आदि के अनुभवों से पता चला है कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पीड़ित व स्थानीय लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस सहभागिता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं का पता लगाकर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। पुनर्निर्माण योजनाओं में और मकानों की डिजाईन प्रक्रिया में सहभागी प्रक्रिया की आवश्यकता है। जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, एनजीओ, कॉरपोरेट सेक्टर व जिला स्थानीय प्रशासन शामिल होगें।

पुनर्निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके । पुनर्निर्माण सतत् विकास के अनुरूप होना चाहिए । विभागों द्वारा पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित कार्य दल का गठन किया जाए । विभागों द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जावेगी।

8.6 पुनर्वास के चरण–

आपदा के प चात लोगों को पुनर्वास की आव यकता होती है। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है। इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को आपदा क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर बसाना अथवा उसी स्थान पर पुनर्निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं तथा अत्याव यक सेवाओं की बहाली शामिल है। पुर्नवास लोगों को आपदा की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की और लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें आपदा से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक संबल भी प्रदान किया जाता है।

चितौड़गढ़ जिले के पुर्नवास कार्यक्रम को दो भागो में विभक्त किया जायेगा–

(1) लघु अवधि पुर्नवास कार्यक्रम।

(2) दीर्घावधि पुर्नवास कार्यक्रम।

जिले की आपदा प्रंबधन योजना में त्वरित अथवा लघु अवधि कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे–

(1) अतिआवश्यक सेवाओं की पुनः बहाली।

(2) आधारभूत संरचना की पुनर्रचना।

(3) पुनर्निर्माण।

(4) आर्थिक सहायता।

(5) प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन।

जिले की दीर्घावधि पुनर्वास योजना में दीर्घावधि में प्राप्त किये जाने वाले निम्न उद्देश्य सम्मिलित हैं–

(1) प्रभावित लोगों के जनजीवन को पुनः सामान्य बनाना।

(2) प्रभावित इलाकों में मानसिक चिकित्सक की उपलब्धता जिससे लोग बुरे अनुभवों को भूल सकें।

(3) धीरे–धीरे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के सतत् प्रयास।

(4) लोगो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन बीमा जैसे दीर्घावधि प्रयास।

(5) निश्चित समयांतराल पर प्रभावित इलाकों में समस्या समाधान शिविर।

(6) प्रभावित इलाकों में पार्क, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि की स्थापना जिससे लोग मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकें।

पुनर्गठन हेतु मैट्रिक्स –

S. N.	Task	Department	Activity	Timeperiod	Cost	Source of fund
1.	विद्युत	विद्युत वि. नि. लि.	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
2.	संचार	दूरसंचार विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
3.	परिवहन	पथ परिवहन निगम,रेल विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
4.	चिकित्सा	चिकित्सा विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
5.	पेयजल	जन स्वा. अभि., विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन

पुनर्निर्माण हेतु मैट्रिक्स–

S.N.	Task	Department	Activity	Timeperiod	Cost	Source of fund
1.	आवासीय भवन	सार्व.निर्माण विभाग	पुनर्निमाण	आपदा से दो माह	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि, अन्य सहायता
2.	व्यावसायिक भवन	सार्व.निर्माण विभाग	पुनर्निमाण	आपदा से दो माह	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि, अन्य सहायता
3.	सड़के	सार्व.निर्माण वि. पथ परि. निगम	मरम्मत, पुनर्निमाण	आपदा से 7 दिन	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	पथ परि. निगम राज्य व जिला निधि
4.	रेल परिवहन	सार्व. निर्माण वि. रेल विभाग	मरम्मत, पुनर्निमाण	आपदा से 7 दिन	नुकसान व आवश्यकता के	रेल विभाग, राज्य व जिला निधि

					आंकलन पर	
5.	प्रशासनिक भवन	सार्वजनिक निर्माण विभाग	पुनर्निमाण	आपदा से 1 माह	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि व अन्य सहायता

पुनर्वास हेतु मैट्रिक्स–

S.N.	Task	Department	Activity	Time period	Cost	Source of fund
1.	लोगो को आर्थिक सहायता	जिला प्रशासन	उपलब्धता	आपदा से 7 दिन	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
2.	जीवन बीमा जैसे विकल्प	बीमा कंपनियाँ	उपलब्धता	आपदा से 1 माह	जरूरतमंद लोगो के अनुसार	राज्य व जिला आपदा निधि
3.	मानसिक चिकित्सा की उपलब्धता	चिकित्सा विभाग	हीलिगं कैम्प	आपदा से 6 माह	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
4.	प्रभावित इलाको में समस्या समाधान	जिला प्रशासन	शिविर आयोजन	आपदा से 1 वर्ष	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
5.	शिविर लोगो की जीवन गुणवता सुधार मे सतत् प्रयास	जिला प्रशासन	विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं	आपदा से 2 से 3 वर्ष	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि

8.7 सांराश–

समुत्थान, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास एक व्यापक संकल्पना है, जो कि आपदा आने के साथ ही प्रांरभ हो जाती है। समुत्थान प्रक्रिया के अर्न्तगत अतिआवश्यक सेवाओं की तुरन्त प्रभाव से बहाली शामिल होती है क्योकि ये सामान्य जन जीवन की '' लाइफ लाइन'' कही जाती है। जैसे – विद्युत, संचार, चिकित्सा, पेयजल आदि। इन सेवाओं की बहाली आपदा से 72 घंटो के भीतर आवश्यक होती है। पुनर्निर्माण के अर्न्तगत नष्ट हो गई आधारभूत संरचना की, भवनों की मरम्मत व पुनः निर्माण आवश्यक होते है। इस हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी आवश्यक है। इस कार्य हेतु जन सहभागिता भी आवश्यक है।

पुर्नवास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें सतत् प्रयासों के द्वारा लोगो के जन जीवन को सामान्य बनाकर पुनः पटरी पर लाया जाता है। इस हेतु मानसिक संबल, चिकित्सा, बीमा, समस्या समाधान शिविर, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना आदि उपाय काम में लाये जायेगें।

उक्त सभी कार्य आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन करवाये जाने के पश्चात् जिला कलक्टर के निर्देश पर जिला आपदा प्रंबधन कमेटी की अनुशंसा पर अमल में लाये जायेंगे।

अध्याय–9

Financial Resource for Implementation of DDMP

जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन

विषय वस्तु–

9.1 आवश्यकता

9.2 केन्द्र एवं राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

9.3 जिले के वित्तीय संसाधन

9.4 जिला स्तर पर अन्य वितीय स्त्रोत

9.5 वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियाँ

9.6 सारांश

9.1 आवश्यकता–

किसी भी कार्य को करने हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न सुविधाऐं उपलब्ध करवाने तथा उपकरणों की खरीद वित्तीय सुविधा पर आधारित है। आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात आदि सभी कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पडती है। आवश्यक सेवाओं की बहाली, पुनर्निर्माण, पुनर्वास जैसे कार्य वित्तीय संसाधनों के बिना संभव नही है। अतः आपदा प्रबंधन व राहत प्रत्याक्रमण हेतु वित्तीय साधन आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्धता मुख्य रूप से त्रिस्तरीय (केन्द्र,राज्य,जिला) होती है। छळव्, व्यावसायिक संस्थान, जनसहयोग से भी वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

9.2 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता –

आपदा पीडित लोगों की राहत सहायता के लिए नीति और फंडिग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में दी हुई होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर पांच साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग का मुख्य दायित्व कर राजस्व को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करना और राहत सहायता संबंधी नीति एवं उनके हिस्से के खर्च का निर्धारण करना है। वित आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य ने एक कलैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया है। कलैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह खर्च पिछले वर्षो में राहत कार्यो एवं पुनर्वास पर किये गये खर्चे को ध्यान में रख कर किया जाता है। इस फंड में 75 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है। प्राकृतिक आपदाओ से पीडितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत व्यापक है जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पडती है तो वह फडं नेशनल कलैमिटी कंटिजेंसी फडं (एनसीसीएफ) जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, में से दिया जाता है। जब इस तरह की मांग की जाती है तो ये जरूरतें एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। संक्षेप में राहत एवं रिसपॉन्स संबंधी कार्यक्रमों के लिए देश मे फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है जो बहुत ही मजबूत और कारगर है। हालांकि आपदाओं की सूची और मानकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान मे रखकर किया जाना चाहिए।

तेरहवें वित आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010–11 में कलैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल कलैमिटी कंटिजेन्सी फंड नाम बदलकर नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फंड(एनडीआरएफ) कर दिया है। यहॉ एक फंड की भी व्यवस्था की गई है जिसका नाम स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) है। नुकसान का आंकलन करने वाली मुख्य ऐजेंसी जिला प्रशासन हैं। इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन जल आपूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी लगाये जाते हैं। नुकसान का पता लगाने के लिए डिस्ट्रक्ट कलैक्टर प्रत्येक संबंधी कर्मचारी से रिर्पोट मांगतें है। अगर किसी क्षेत्र में फसलों को 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है, तो उसे अभावक्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।

- **एनसीसीएफ(एनडीआरएफ) के तहत दावेदारी की प्रकिया –**

राज्य स्तर पर सभी जिला कलक्टर की रिर्पोट्स संकलित की जाती है और नुकसान के विवरण के आकड़ें केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया जात है। एनसीसीएफ

(एनडीआरएफ) से सहायता संबंधी निवेदन आते है तब केन्द्र सरकारी द्वारा नियुक्त एक टीम उनका मूल्यांकन करती है और इसके बाद एक उच्च–स्तरी कमेटी द्वारा वे जारी किये जाते है।

- **क्षमता –वर्धन के लिए फंड –**

आपदा प्रबन्धन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने पांच साल तक (वितीय वर्ष 2011–12 से 2014–15) 6 करोड सालान देने का प्रावधान किया है। यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार पर खर्च किया जायेगा।

- **आपदा तैयारी कार्यक्रमों के लिए फंड –**

बारहवे वित आयोग ने आपदा तैयारी एवं शमन कार्यों को राज्य योजना का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। अभी तक आपदा तैयारी कार्यकमों के लिए फंड का कोई प्रावधान नही है।

- **राज्य द्वारा अन्य फंडिग व्यवस्थाऐं –**

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया है जिसका नाम है– राजस्थान राहत कोष (आरआरके)। जिसके लिए शुरूआती तौर पर 6 करोड रूपये का प्रावधान है, और आगामी वर्षो में इसमें 25 लाख रूपये सालान डाले जायेंगे। इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं के पीडितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किया जायेगा। जिनके लिए फंडिग का दूसरा प्रावधान नही हैं। (जैसे बोर वैल्स में फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए खुदाई आदि कार्य) सांसद, विधायक एवं अन्य लोग इस फंड में अपना योगदान दे सकते है।

- **बाहय फंडिग व्यवस्थाए –**

अभी तक बाह्मय स्त्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

- **वितीय प्रावधान –**

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से बजट (राशि) उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केन्द्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

- **आपदा राहत निधि –**

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। केन्द्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए।

- **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि –**

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। जिस पर एक केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का आंकलन किया जाता है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

- **राज्य आपदा मोचन निधि –**

राज्य में 13 वें वित आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होगा। इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जायेगा।

- **राजस्थान राहत कोष–**

ऐसी प्राकृतिक आपदाऐं जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना सम्भव नही है, सहायता देय नही है। उनमें राहत प्रदान करने /व्यय करने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी। राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- **वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान –**

आपदा प्रबन्धन के नये दृष्टिकोण (निर्वारण, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया एवं पुर्नवास) के अनुरूप वितीय प्रावधान किये जाने आवश्यक है। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि की तरह ही राज्य आपदा उपशमन निधि का सृजन भी किया जायेगा। जिला स्तर पर भी इस तरह की निधियों का गठन करने पर विचार किया जायेगा। क्षमता संवर्धन के लिए केन्द्र से प्राप्त राशि के उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य में आपदा प्रबन्धन हेतु निवारण, तैयारी, पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण के लिए वित की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबन्ध हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं में आपदा उपशमन के वितीय/तकनीकी प्रावधानों को शामिल करेगें। सभी विभाग अपने विभाग की आपदा प्रबन्ध योजना में वितीय प्रावधानों को शामिल करेगें। इसके लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रावधान रखेंगें।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन के तहत जोखिम बीमा, माइक्रो फाईनेस तथा बीमा जैसे वितीय साधनों को भी बढावा दिया जायेगा। फसल बीमा योजना, स्वंय सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक व वाणिज्यक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सम्बधित इकाई की होगी।

जिला कलक्टर पीडित लोगो को सहायता प्रदान करने के लिए जनता से अंशदान प्राप्त करने का प्रावधान करेगें।

9.3 जिला स्तरीय वित्तीय उपलब्धता ढांचा –

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वितीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नही हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर वितीय व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जायेगा।

जिला आपदा राहत कोष–

1. आपदा आयोजना कोष 2. आपदा राहत–प्रत्याक्रमण कोष

- **आपदा आयोजना कोष**
  यह कोष आपदा से पूर्व तैयारियों हेतु निर्मित किया जायेगा। इसका प्रयोग आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता संर्वधन, उपकरणों की खरीद आदि के उपयोग में आयेगा। यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वितीय संसाधनों से निर्मित होगा।
- **आपदा राहत व प्रत्याक्रमण कोष** :–यह एक अतिआवश्यक कोष होगा यह कोष आपदा के समय राहत व प्रत्याक्रमण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण, पुर्नवास इस कोष के प्रमुख उददेश्य होगें। यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वितीय संसाधनों से निर्मित होगा।

9.4 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत–

जिला स्तर पर अन्य वितीय स्त्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वितीय सहायता ली जा सकती है :–

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान, शोरूम, होटल्स आदि
औद्योगिक संस्थान	हिन्दुस्तान जिंक, बिरला सीमेन्ट, लाफार्ज, जे.के. सीमेन्ट आदि
एन.जी.ओ.	विभिन्न समाज सेवी संस्था एवं दानदाता
जन सहयोग	
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेगे।

9.5 वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियॉ–

जिला स्तर पर वितीय संसाधनों के प्रयोग की समस्त शक्तियॉ जिला कलक्टर में निहित होंगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक विशेषाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें सदस्य–जिला आपदा प्रभारी, विभिन्न अग्रणी विभागों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तथा लेखाकार हो सकेगें। यह कमेटी समय समय पर यह निश्चित करेगी की कब– कहॉ– कितने धन की आवश्यकता है। आपदा के पश्चात व्यय किये गये धन की ऑडिट समय सयम पर जिला प्रशासन द्वारा करवायी जायेगी। जिसमें राहत कोष का दुरूपयोग रोका जा सके।

9.6 सारांश

आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में व्यापक बन्दोबस्त किये गये है। केन्द्र व राज्य स्तर पर राहत कोष स्थापित किये गये है। जो आपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान करते है। जिला स्तर पर आपदा योजना कोष तथा आपदा राहत कोष की स्थापना की जायेगी जिसका प्रयोग जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। अन्य संसाधनों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगें।

अध्याय 10

Procedure and Methodology for Monitoring, Evaluation, Updation and Maintenance of DDMP

जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण

विषय वस्तु

10.1 आवश्यकता, महत्व व निरीक्षण मूल्यांकन

10.2 योजना निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व

10.3 आपदोत्तर मूल्यांकन

10.4 योजना निरीक्षण की समय सारणी

10.5 क्क्डच का ऑन लाईन अपडेट

10.6 मॉक ड्रिल हेतु उत्तर दायी संस्थाये व संसाधन

10.7 सारांश

10.1 आवश्यकता, महत्व, निरीक्षण तथा मूल्यांकन–

आपदा प्रबंधन गतिशील होता है। जमीनी हकीकतें, बदलती आबादी, उसकी विशिष्टता, आपदाओं से निपटने की सरकारी प्रणालियों, क्क्ड्च की कार्यसाधकता को निर्धारित करती है। समय समय पर योजना की समीक्षा व आधुनिकीकरण आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भी धारा 23(5) के अनुसार क्क्ड्च की सालाना सारणी समीक्षा व आधुनिकीकरण आवश्यक है।

तैयारी का सर्वोच्च स्तर प्रस्तुत करने के लिए किसी भी विस्तार व तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करने के लिए जिले का पर्याप्त एवं तकनीकी द्वारा संचालित हेजर्ड रिस्क एडं वलनरेबिलिटी असैसमेंट किया जावेगा। यह कार्य प्रतिवर्ष होगा तथा इसके आधार पर क्क्ड्च में आवश्यक संशोधन किये जायेगें। क्क्ड्च एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा । यह योजना जिले में सभी क्षेतिज तथा अनुलम्ब आपदा प्रबंधन योजनाओं का सार तथा संकलन फल है। क्षैतिज योजनाओं में अग्रणी विभाग जैसे गृह, खाद्य, विद्युत, चिकित्सा, पेयजल, सेनीटेशन, अग्निशमन, रसद आपूर्ति शामिल है।

यह योजना तभी सुचारू रूप से काम करेगी जब वर्तमान संगठनात्मक संरचना केवल गैर–आपातकालीन सेवाओं के लिये जिम्मेदार है। यदि एक काम रोज अच्छे से किया जाए तो वही काम रोजाना अच्छे से किया जा सकता है। अतः क्क्ड्च को निरन्तर अद्यतन तथा प्रभावी रहने के लिए इसका सतत् निरीक्षण, मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण एवं समीक्षा आवश्यक है।

10.2 योजना के निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व –

DDMP का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना मे उल्लेखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जा रहा है। DDMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण में विभिन्न स्तर होंगे।

सर्व प्रथम जिला स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें अध्यक्षता जिला कलक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस कोर कमेटी मे विधायक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विद्युत, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधि.अभियंता, विषय विशेषज्ञ तथा प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल किये जायेगें। यह 8–10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलक्टर का होगा।

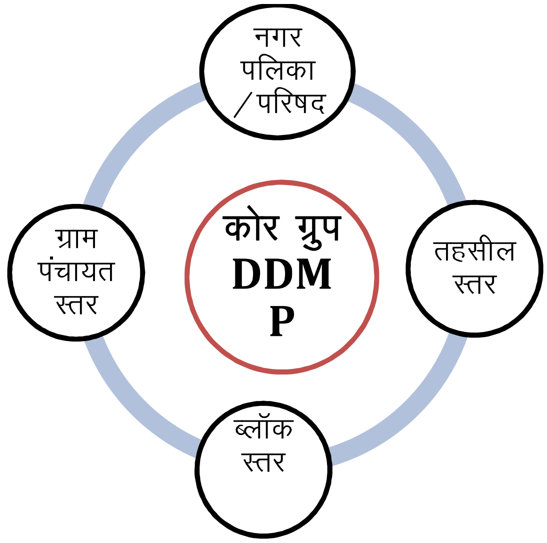

चित्र 10.1 . DDMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण का चतुर्स्तरीय तंत्र

जिला स्तर पर निर्मित कोर गुप के समान ही नगर पालिका, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार की कोर कमेटियॉ बनाई जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्तर की प्रत्येक कमेटियॉ क्क्डच में दिये गये अपने उद्देश्यों को पहचान कर तद्नुरूप कार्य करेगी। प्रत्येक स्तर की कमेटी वर्ष भर अपने अपने क्षेत्र की आपदओं, उनके प्रभाव, उपलब्ध वित्तीय तथा अन्य संसाधनो, राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आवश्यकताओं, उनके द्वारा किये गये सर्वोतम प्रयोगों को अभिलेखित करेगी। यह रिर्पोट वर्ष के अन्त में अथवा आवश्यकता या मॉंगें जाने पर जिला कोर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिसके माध्यम से कमेटी क्क्डच में आवश्यक आधुनिकीकरण करेगी।

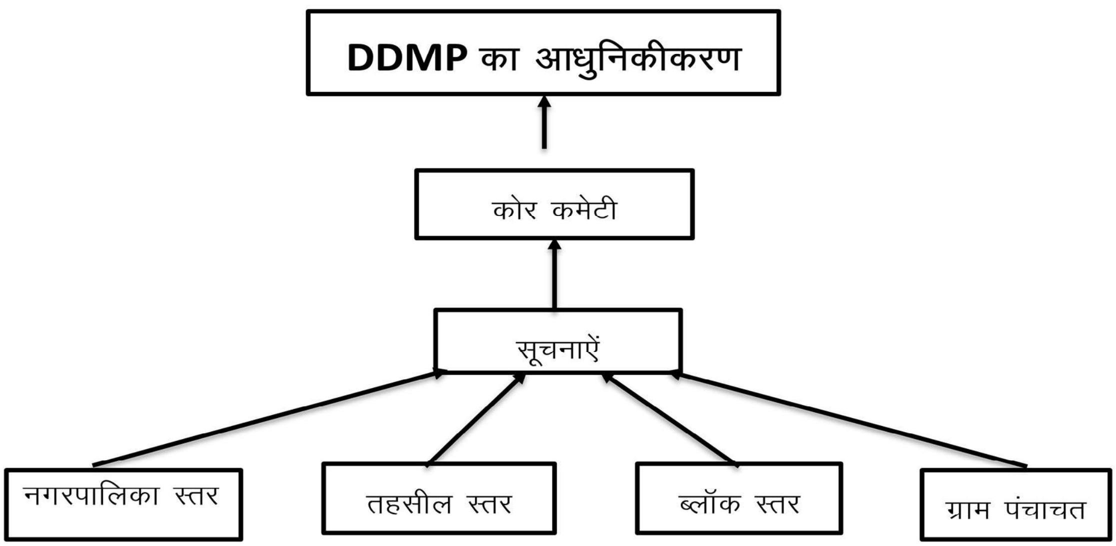

चित्र– 10º2 क्क्डच के निरीक्षण व आधुनिकीकरण हेतु सूचना प्राप्ति

इस प्रकार इस चरणबद्व प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशासन इकाई तथा विभाग को अपना दायित्व ज्ञात होगा तथा वे वर्षभर आपदा से संबंधित सूचनाओं से अद्यतन रहेगें। जिसका सीधा लाभ क्क्डच के निरीक्षण व आधुनिकीकरण हेतु निर्मित जिला कोर कमेटी को मिलेगा।

विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली इस रिपोर्ट में आपदा शमन के सभी चरणों में (आपदा पूर्व, दौरान व बाद) प्रयोग में लाई गई मानव शक्ति, व्यय, प्रशिक्षण, अन्य क्षमतावर्धक कार्यक्रम, तकनीकी व आपदा तैयारी व शमन के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनो का विस्तृत विवरण दिया जावेगा। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर/इकाइयों तथा विभाग का एक नोडल अधिकारी होगा जो इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगा। ये अधिकारी अपने स्तर पर भी सालाना इस योजना की समीक्षा कर सुझाव दे सकेंगे।

10.3 आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया–

आपदायें हमेशा अप्रत्याशित होती है। प्रत्येक आपदा में जान–माल का भारी नुकसान होता है और प्रत्येक आपदा कुछ अन्तराल के बाद पुनः घटित होती है। किसी आपदा से मिली सीख से हमे किसी दूसरी संभावित आपदा के शमन की योजना तैयार करने में मदद मिलती है।

जिले में क्क्डच का मूल्यांकन, यहाँ घटित होने वाली प्रत्येक आपदा से सन्दर्भ में भी किया जायेगा। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में घटित होने वाली आपदा के शमन, तैयारी, रिस्पॉस, समुत्थान व पुनर्वास हेतु किये गये उपाय, आपदा का प्रभाव, नुकसान, पुनरावृति आदि से संबंधित प्रलेख तैयार किया जायेगा। यह प्रलेख प्रत्येक आपदा के सन्दर्भ में एक नया अद्यतन दस्तावेज होगा जो क्क्डच मे उस आपदा से संबंधित जानकारी का आधुनिकीकरण का माध्यम होगा। ऐसे दस्तावेज प्रत्येक छः माह पश्चात सभी प्रशासनिक इकाइयों तथा विभागो द्वारा जिला कोरग्रुप को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

10.4 योजना निरीक्षण की समय सारणी–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 (5) के अनुसार क्क्डच की सालाना समीक्षा व आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इसी की अनुपालना में क्क्डच के प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा व आधुनिकीकरण प्रत्येक वर्ष में की जावेगी। जबकि योजना में व्यापक संशोधन पाँच साल में एक बार किया जायेगा। जिला स्तर पर प्रमुख विभागों के कर्मचारियों के बार–बार तबादलों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है, कि प्रमुख विभागों के सम्पर्क अधिकारियों के बारे में मासिक अपडेट्स को योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जायेगा। इसी तरह उपकरणों की सूची के तिमाही अपडेट्स क्क्डच का अभिन्न हिस्सा होगा।

क्र.सं.	कार्य	अपडेट्स की अवधि
1	अधिकारी कर्मचारी के नाम व दूरभाष	प्रत्येक माह
2	एच.आर.वी. मूल्यांकन व आपदोत्तर अपडेट	प्रत्येक तिमाही
3	उपकरणों व उपलब्ध संसाधनो का अपडेट्	प्रत्येक तिमाही
4	प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा व आधुनिकीकरण	प्रत्येक वर्ष
5	DDMP में व्यापक संशोधन	पांच वर्ष में एक बार

तालिका –10.1 विभिन्न कार्य तथा अपडेट्स की समय सारणी

प्रस्तावित योजना से स्पष्ट है कि क्कड्च के किसी न किसी भाग का मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण सतत् चलता रहेगा।

कार्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम् वर्ष
क्कड्च को अन्तिम रूप देने के लिए सभी विभागों प्रशासन के साथ परामर्श					
जिला स्तर पर एच.आर.वी. मूल्यांकन					
सभी स्तरो पर सभी विभागों और प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन स्टेटस रिर्पोट तैयार किया जाना।					
समीक्षा व निगरानी प्रगति					
क्कड्च में व्यापक संशोधन व आधुनीकीकरण					

तालिका 10.2 DDMP की समीक्षा व आधुनिकीकरण की समयावधि

10.5 DDMP का ऑन लाईन अपडेट–

आज का युग तकनीकी युग है। दूरसंचार क्रांति के कारण सूचनाओं की पहुँच आम आदमी तक हो गयी है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट हो जिस पर क्कड्च प्लान से लेकर अन्य सभी सूचनाएँ अद्यतन हो। आपदा प्रबंधन हेतु राज्य व केन्द्र की वेबसाईटें पहले से ही कार्यरत है। क्कड्च में जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट के निर्माण का प्रस्ताव भी होगा। चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट बनने के पश्चात जिले में आपदा व उसके प्रबंधन से जुडी समस्त सूचनाए इस पर अपलोड की जायेगी तथा समय समय पर उन्हे अद्यतन किया जायेगा। राज्य स्तर पर निर्मित राज्य आपदा प्रबंधन की वेबसाईट ***www.dmrelief.rajasthan.gov.in*** पर भी सूचनाएं जो जिले से जुडी है का अद्यतन नियत कालिक किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिला **NIC** नोडल विभाग होगा। वेबसाईट के अतिरिक्त आकाशवाणी, स्थानीय केबल नेटर्वक द्वारा भी आपदा व उससे जुडी सूचनाएँ जन सामान्य तक पहुँचायी जायेगी।

10.6 मॉकड्रिल हेतु उत्तर दायी संस्थाये व संसाधन –

मॉक ड्रिल एक अनुरूपण अभ्यास है जो आपदा के पूर्व तैयारी का जायजा लेने तथा कमियों को समझने में सहायक होता है। क्कड्च में वर्णित कार्य योजना अनुरूप सभी प्रशासनिक स्तरों व विभागों को तैयार करने हेतु मॉक ड्रिल आवश्यक है। मॉक ड्रिल का विस्तृत विवरण अध्याय ''क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण'' में दिया गया है। सूखा, बाढ़, अग्नि, ओलावृष्टि, सड़क दुर्घटना आदि चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख आपदाएँ है। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर तथा संबंधित विभाग के लिए ये आवश्यक होगा कि ये वर्ष में कम से कम एक बार उक्त आपदाओं से संबंधित मॉक ड्रिल अवश्य करें।

जिला स्तर पर मॉक ड्रिल हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी नोडल अधिकारी होगा जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार मॉक ड्रिल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। क्षेत्रवार तथा प्रशासनिक इकाई वार बार–बार आने वाली तथा सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं हेतु गहन मॉक ड्रिल अभ्यास में लाया जावेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों के मॉक ड्रिल हेतु उनके कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी होगें। चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा मॉक ड्रिल समय सारणी निम्न प्रकार होगी–

	समय											
संभवित आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टू.	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़		✓	✓									
सूखा											✓	✓
भूकम्प			✓	✓	✓							
अग्नि					✓			✓				✓
सडक दुर्घटना			✓							✓		
औद्योगिक / रसायनिक दुर्घटना	✓	✓										
महामारी / मौसमी बीमारी	✓								✓			
दंगे		✓							✓	✓		

तालिका 10.3 मॉक ड्रिल की प्रस्तावित समय सारणी

मॉक ड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाऐं निम्न होंगी–

- वे संस्थाऐं जो उस आपदा से जुडी है, जिनकी मॉक ड्रिल की जा रही है। जैसे अग्निकांड की मॉकड्रिल हेतु नगरपरिषद् व अग्नि शमन दल।
- उस क्षेत्र का प्रशासन जहॉं पर मॉक ड्रिल की जा रही है। जैसे चित्तौड़गढ़ में मॉक ड्रिल की जानी है तो चित्तौड़गढ़ स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी संस्था होगा।

इस प्रकार आपदा विशेष तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी संस्था बनाने से मॉक ड्रिल अधिक यथार्थ प्रभावी हो सकेगी। मॉक ड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाऐ आवश्यक संसाधन जुटाने का कार्य करेगी। जबकि वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन तथा राज्य आपदा प्रबंधन कोष से प्राप्त किये जायेंगे। आपदा प्रभावित गाँवों की सूची परिशिष्ट संख्या 36 पर संलग्न है।

उपखण्ड / तहसील	आपदा							
	बाढ़	सूखा	भूकम्प	अग्नि	सडक दुर्घटना	औद्योगिक / रासायनिक दुर्घटना	महामारी / मौसमी बीमारी	दंगें

बेगूं	✓	✓			✓		✓	✓
रावतभाटा	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
गंगरार	✓	✓		✓	✓		✓	✓
कपासन		✓			✓		✓	✓
भोपाल सागर	✓	✓				✓	✓	✓
चित्तौड़गढ़	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
निम्बाहेडा	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
बडीसादडी		✓		✓			✓	
राशमी	✓	✓					✓	
डूंगला		✓					✓	
भदेसर		✓			✓			

तालिका 10.4 उपखण्ड व तहसील अनुसार प्रस्तावित मॉकड्रिल

मॉकड्रिल में सम्मिलित सभी विभागों व संस्थाओं के प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति का इसमें शामिल होना जरूरी हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपदा के समय प्रत्येक व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा।

अद्यतन क्क्ड्च को प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुँचाया जायेगा जो कि मॉक ड्रिल से सम्बन्धित होगा। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि मॉक ड्रिल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित व अद्यतन हो तथा आपदा विशेष की मॉक ड्रिल की आधुनिकतम पद्धति को जानता है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय–6 में दिया गया है।

10.7 सारांश–

आपदाएँ गतिक होती है, अतः आपदा राहत व प्रत्याक्रमण उपाय भी गतिक होने चाहिए। क्क्ड्च एक गतिक लेखा है, जो समय तथा आपदा घटित होने के साथ साथ अद्यतन होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ क्क्ड्च का आधुनिकीकरण का कार्य जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यह कमेटी समय समय पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारीयों तथा स्थानीय प्रशासनिक प्रभारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्क्ड्च के आधुनिकरण का कार्य करेगी। इस कमेटी द्वारा क्क्ड्च का आधुनिकीकरण का कार्य त्रैमासिक, वार्षिक तथा प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल में किया जावेगा।

विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के पते व फोन नम्बर प्रत्येक तिमाही पर अद्यतन किये जायेगें। इसी प्रकार उपलब्ध उपकरण, संसाधन, प्रत्येक आपदा उपरान्त तैयारी में संशोधन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। आपदा प्रबंधन योजना में व्यापक संशोधन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जायेगा।

अध्याय–11

Coordination Mechanism for Implementation of DDMP

DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र

विषय वस्तु

11.1 आवश्यकता व महत्त्व

11.2 राज्य व केन्द्र के साथ समन्वय

11.3 जिला स्तर पर समन्वय

11.4 स्थानीय स्तर पर समन्वय

11.5 समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय

11.6 पड़ोसी जिलों से समन्वय

11.7 राज्य SDMP से समन्वय

11.8 सारांश

11.1 आवश्यकता व महत्व

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ है। ये सभी संस्थाऐं परस्पर समन्वय से आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य करने के लिए उत्तरादायी है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबन्धन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रेस्पाँस किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते है। इस काम में अन्य कई एजेन्सियॉ तथा संस्थाऐं भी शामिल होती है।

आपात सेवाऐं सदैव तैयार अवस्था में रहती है, जिससे वह तुरन्त रिस्पांड कर सके तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सके। विभिन्न आपात सेवाऐं अनिवार्य होती है किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती है। ये सब संस्थाऐं अलग है इनकी ऑथोरिटी अलग है, पदानुक्रम अलग–अलग है। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देने है तो इन सभी विभागों तथा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरे की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक है।

चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा के समय सभी विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है। क्क्ड्च के समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है–

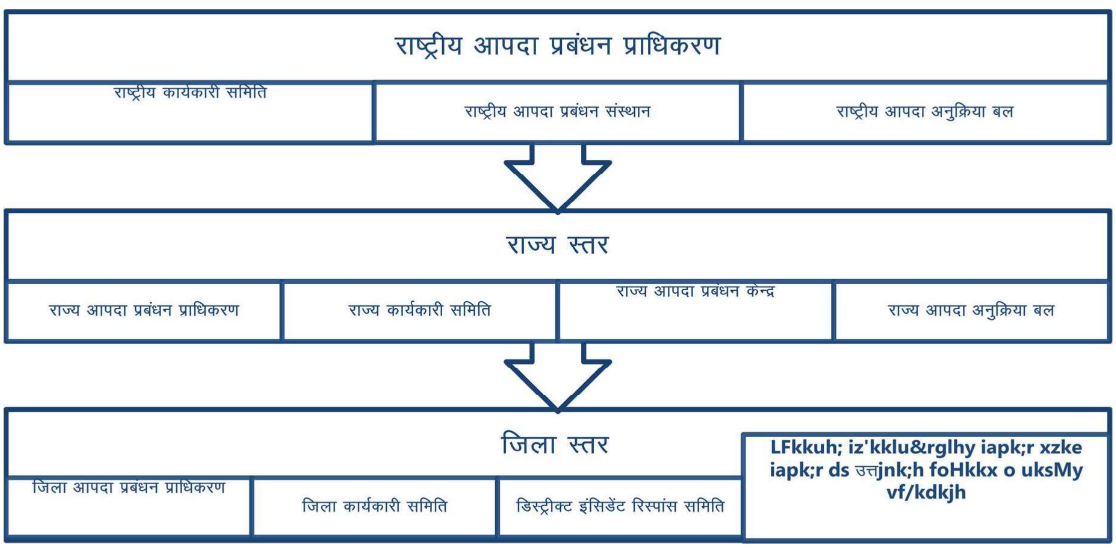

चित्र 11.1: क्क्ड्च क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

11.2.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण –

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन हेतु देश का शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियॉ, योजनाऐं और दिशा–निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित ''राष्ट्रीय कार्यकारी समिति'' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और उसके अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) -

आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन के लिए '' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान'' शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबन्धन से समन्धित अध्ययन, भाोध एवं प्रका ान का कार्य भी करती है।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF)-

किसी चुनौती पूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में बुलाये जाने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

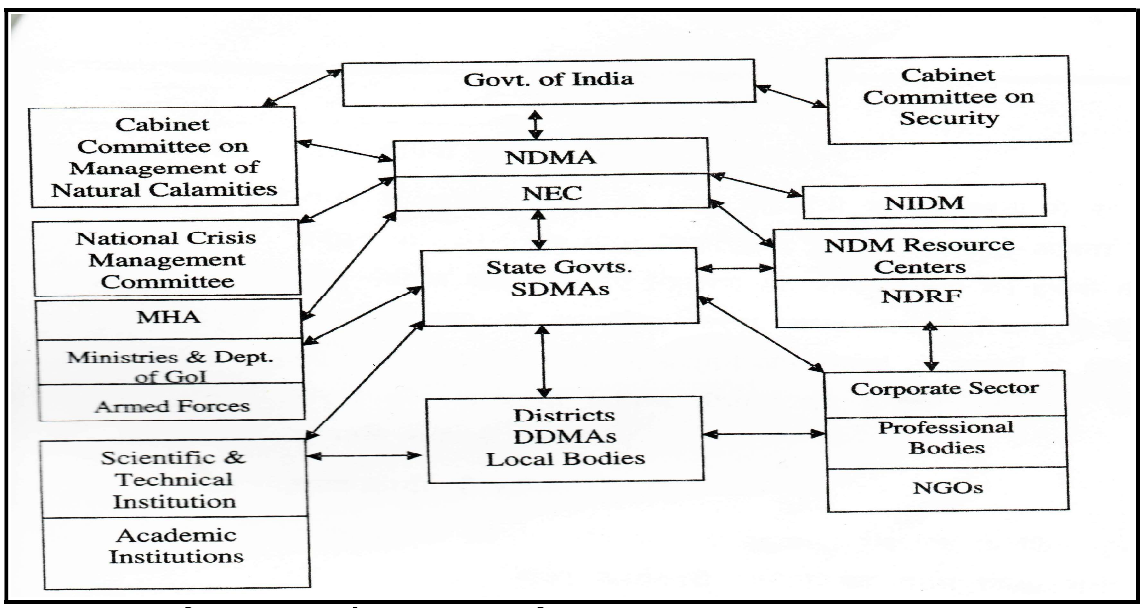

चित्र 11.2 राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित तंत्र

11.2.2 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) :-

राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँ और योजनाऐं निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इसके कार्य राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के क्रियान्वयन का समन्वयन करना, निवारण, प्रशमन, तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बधी निगरानी करना है।

राज्य कार्यकारी समिति (SEC)

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) –

प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए योजना बनायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, प्रशमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाये।

राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) –

केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, रासायनिक एवं आणविक जैसी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जायेंगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा शनैः शनै इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जायेगा।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने के उद्देश्य से 'एच.सी. एम.रीपा' जयपुर में आपदा प्रबंधन केन्द्र कार्यरत है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे–धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित है जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

नोडल विभाग –

राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित कर दिये है। इसमें राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय–समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण, उपशमन एवं तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाऐं। नोडल विभागों की सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

11.3 जिला स्तर पर समन्वय –

आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉडर स्थानीय प्रशासन व लोग होते है। उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायित्व लेना होता है। जिले में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसके बाद जिले का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलेक्टर होगा। इसके प चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया सचिव या कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एसडीएम अथवा तहसीलदार

(संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा। इसके पश्चात् दल तीन भागों में बंट जायेगा। (1) सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया (2) एसडीआरएफ के लीडर (3) रसद प्रमुख। यह समन्वित ढांचा निम्न प्रकार होगा –

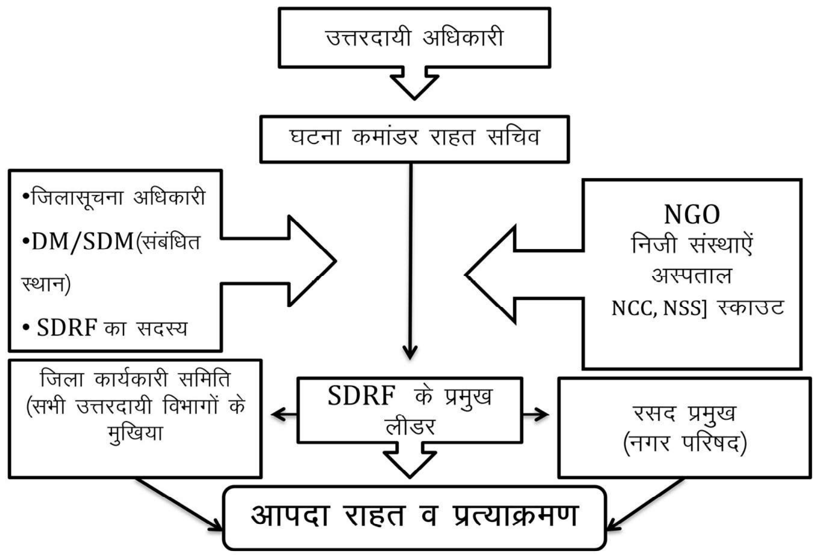

चित्र 11.3 जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब सम्बन्ध के साथ समन्वित तंत्र

11.4 स्थानीय स्तर पर समन्वय–

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते है। आपदा का प्रथम प्रभाव भी उन्हें ही झेलना पड़ता है तथा प्रथम प्रत्याक्रमण भी उन्हें ही करना पडता है। अतः स्थानीय प्रशासन, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख अनुक्रिया कारक होते है। इस दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जायेगा तथा आपदा संभावित गांवों में प्रशिक्षण व आव यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु स क्त बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जायेगा। इसमें सरपंच, पटवारी, सचिव, गिरदावर, चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत, पेयजल) तथा गांव के समाजसेवी लोग सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार निकटस्थ तहसील, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत भी आपदा के समान फर्स्ट रिस्पाँडर के समान ही उपयोगी हो सकते है। स्थानीय स्तर पर पटवारी, सचिव तथा गिरदावर महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये व्यक्ति सम्पूर्ण तंत्र के आधार है, जो आपदा के समय कार्य करता है। आपदा के समय दूरस्थ स्थानों की जानकारी, सूचनाओं का सम्प्रेषण, आपदा के स्तर का आंकलन, आपदा की क्षति का सर्वेक्षण आदि कार्यों की सही जानकारी स्थानीय स्तर के लोग/कर्मचारी ही दे सकते है।

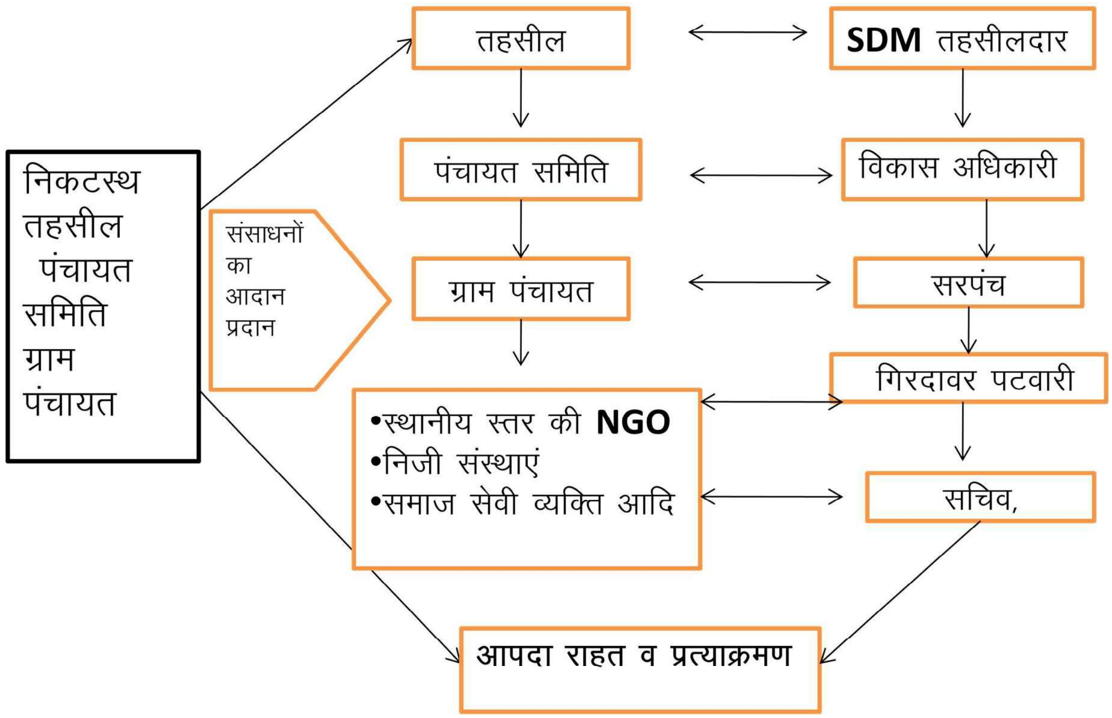

चित्र 11.4 स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

11.5 समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय –

विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा समाज सेवी संस्थाऐं ऐसे कारक है जो आपदा के समय प्रशासन के समान ही प्रभावी ढंग से कार्य करते है। चित्तौड़गढ़ में संचालित एनजीओ जैसे प्रयास, कट्स, ओरेंज आदि ऐसे संस्थान है जो लम्बे समय के इस क्षेत्र में कार्य कर रहे है। ये आपदा के समय प्रभावशाली तरीके से कार्य करते है। इसी प्रकार निजी विद्यालय, निजी अस्पताल भी आपदा के समय समन्वित तंत्र का अहम हिस्सा होते है। चित्तौड़गढ़ जिले के सभी निजी विद्यालयों को आश्रय स्थल तथा निजी अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद किया जा सकता है।

11.6 निकट के जिलों के साथ समन्वय –

प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन के सन्दर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमता वाला नहीं होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिला विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। उदाहरण के लिए रावतभाटा, कनेराघाटा आदि क्षेत्र ऐसे है जहाँ आपदा घटित होने पर जिला मुख्यालय की अपेक्षा पड़ोसी तहसील, गांव अथवा जिले से सहायता तुरन्त पहुंच सकती है। उदाहरण–रावतभाटा में आण्विक संयंत्र में कोई आपदा होने अथवा आग की दशा में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की अपेक्षा कोटा जिला मुख्यालय से राहत तुरन्त पहुंच जायेगी। इसी प्रकार कनेराघाटा क्षेत्र में भी निम्बाहेडा व नीमच से राहत तुरन्त पहुंचायी जा सकती है। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहां ऐसे जिलों व राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ है तथा आपदा के समय सहायता तुरन्त ली जा सकती है।

क्षेत्र	निकटस्थ तहसील, जिला व राज्य क्षेत्र
रावतभाटा	कोटा, बेगूँ, मध्यप्रदेश
बेगूँ	कोटा, चित्तौड़गढ़, माण्डलगढ़, रावतभाटा
निम्बाहेडा	मध्यप्रदेश, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़	तहसील मुख्यालय, उदयपुर, कोटा, मध्यप्रदेश, भीलवाड़ा
कपासन	उदयपुर, चित्तौड़गढ़
राशमी	भीलवाडा, कपासन, राजसमन्द, उदयपुर
भदेसर	चित्तौड़गढ़, उदयपुर
बड़ीसादड़ी	प्रतापगढ, निम्बाहेडा, उदयपुर, बाँसवाड़ा

तालिका 11.1 तहसील अनुसार निकटस्थ जिल एवं राज्य जहां से सहायता ली जा सकती है।

11.7 राज्य SDMP से समन्वय –

राज्य ैक्डच सभी जिलों के लिए आदर्श स्तर एवं मानक होगी। सभी जिले राज्य ैक्डच के अनुसार अपने–अपने क्रियान्वयन तंत्रों व समन्वय तंत्रों में सुधार करेंगे। चित्तौड़गढ़ क्क्डच के क्रियान्वयन में भी कोई समस्या या शंका उपस्थित होने पर SDMP का अनुसरण किया जायेगा।

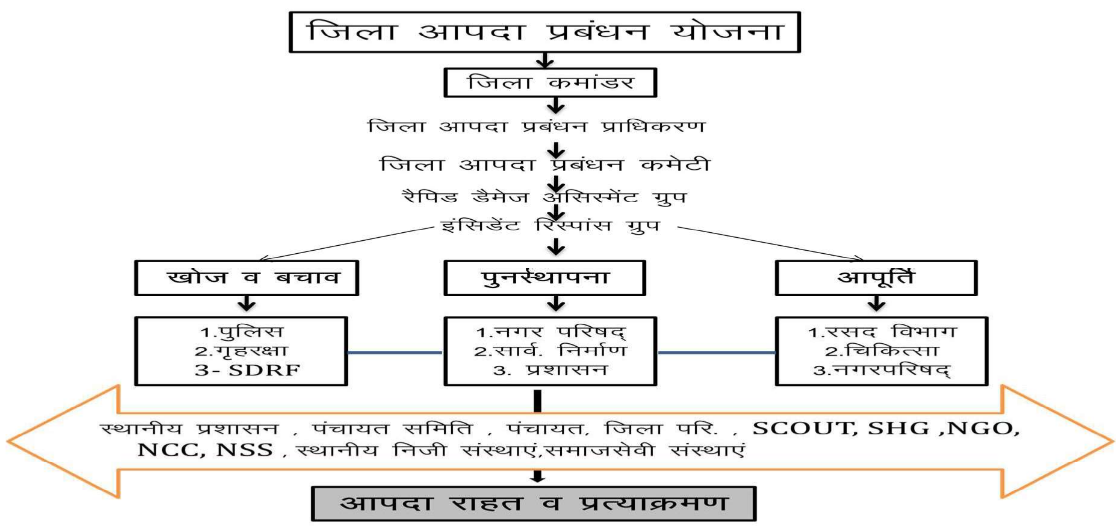

चित्र 115. जिला आपदा प्रबंधन योजना

11.8 सारांश–

DDMP के क्रियान्वयन हेतु एक समन्वित जिला तंत्र की आवश्यकता है, जो आपदा आने पर क्क्डच का अनुसरण करते हुए तुरन्त सक्रिय हो जाये। केन्द्र व राज्य स्तर पर राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान तथा NDRF/SDRF मिलकर एक समन्वित तंत्र बनाते है। जिला प्रशासन को आपदा के दौरान इसी तंत्र से समन्वय बनाते हुए कार्य करना होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला कलक्टर DDMP मुखिया होगा तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी राहत सचिव होगा। इनके निर्देश पर जिला कार्यकारी समिति क्रियाशील होगी जो इंसिडेंट रिस्पाँस ग्रुप (आई.आर.जी.) को निर्देश देगी। इस ग्रुप में क्रिया ीील होने पर सभी प्रमुख विभाग व उनके नोडल अधिकारी कार्यभार संभाल लेगें। स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी होगें जो जिला स्तर पर समन्वय बनाये रखेंगे।

अध्याय–12

Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist

मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट

विषय वस्तु

12.1 आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण

12.2 आपदा की चेतावनी पर संक्रिया

12.3 वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना

12.4 विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व

12.5 सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन

12.6 विभिन्न संचार माध्यमों का प्रबंधन

12.7 राज्य/केन्द्र सरकार से सहायता

12.8 राहत व पुनर्वास के मापदंड

12.9 मानवीय राहत व सहायता

12.10 सारांश

12.1 आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण

आपदाएँ प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है और वर्षों से किए गये विकास कार्यों के प्रयासों को निरर्थक करके देश को कई दशक पीछे धकेल देती है। समुत्थान के सन्दर्भ में आपदाओं का प्रभाव विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमतावर्धन, बेहतर जानकारी, प्रभावी जबाब प्रणाली, प्रबन्धन व पुनर्निर्माण से जान व माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

आपदा एक मानव या प्रकृति प्रेरित घटना है। जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति होती है। इसके साथ एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका व सम्पति की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को दुःख व कष्ट झेलने पड़ते है। आपदा वह अवस्था है जिसमें स्थानीय प्रशासन असहज महसूस करता है तथा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है। कोई भी संकट आपदा की श्रेणी में निम्न दशाओं में गिना जायेगा–

1. जन–धन की व्यापक हानि।

2. सम्पति व आजीविका की व्यापक क्षति।

3. स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर की दशा।

4. प्रारम्भिक सूचनाओं के आधार पर जिले के लिए विषम परिस्थिति।

आपदा के विरूद्ध राहत व प्रत्याक्रमण आपदा के स्तर से निर्धारित किया जायेगा, जो स्थानीय प्रशासन से मिली प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय –7 में दिया गया है।

12.2 आपदा की चेतावनी पर संक्रिया–

जिले में आपदा चेतावनी की प्राप्ति का दायित्व सूचना व जनसम्पर्क विभाग के पास होगा। सूचना/चेतावनी स्थानीय स्तर से प्राप्त होगी तथा निर्धारित स्त्रोतों से होकर जिला स्तर पर पहुंचेगी। चेतावनी का प्रसारण आकाशवाणी, जिला केबल, प्रिंट मीडिया तथा माईक आदि के माध्यम से किया जावेगा। जिला कलक्टर के निर्देश पर आपदा प्रबधंन प्राधिकरण तथा प्रभारी तुरंत सक्रीय होगें, जो जिला कार्यकारी समिति तथा इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को सक्रीय करेगें। इस प्रकार यह सक्रीयता पदानुक्रमानुसार क्रियान्वित होगी। (विस्तृत विवरण अध्याय 11 में दिया गया है)

12.3 वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना–

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थानों का विवरण अध्याय 9 में दिया गया है। इंसिडेंट रिस्पांस हेतु वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन की आपदानिधि तथा जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण से प्राप्त होंगे। जन सहयोग तथा दानदाता तात्कालिक वित्तीय सहायता का प्रमुख स्त्रोत हो सकेंगे। आपदा राहत हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है। इस हेतु दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा–

उपकरण	विभाग / स्त्रोत
1. जे.सी.बी.	नगरपरिषद / निजी संस्थान
2. बिल्डिंग कटर	नगरपरिषद / निजी संस्थान
3. ट्रेक्टर ट्रॉली	नगर परिषद / निजी संस्थान
4. फावड़े, गेंती, तगारी आदि	नगर परिषद / प्रशासन
5. नावें / गोताखोर	सिंचाई विभाग / नगर परिषद
6. मेडिकल वाहन	चिकित्सा विभाग / प्रशासन
7. चिकित्सा उपकरण	चिकित्सा विभाग
8. अस्थाई टेंट	प्रशासन / नगर परिषद
9. अस्थाई विद्युत व्यवस्था	नगर परिषद् / प्रशासन
10. अस्थाई संचार व्यवस्था	पुलिस / दूरसंचार विभाग
11. परिवहन	प्रशासन / परिवहन विभाग

तालिका 12.1 त्वरित आवश्यक उपकरण व सम्बन्धित विभाग

12.4 विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व–

आपदा राहत व प्रत्यक्रमण में सभी विभागों की समन्वित भूमिका होती है। सभी इकाइयों व विभागों में सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही योजना की उचित क्रियान्विति संभव है। उक्त सूची के अनुसार चित्तौड़गढ़ के विभिन्न विभाग नोडल विभाग के रूप में सम्बन्धित आपदा का कार्यभार ग्रहण करेगें।

क्र.सं.	नोडल विभाग	सबंधित आपदा
1	आपदा प्रबंधन वसहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2	उर्जा	विद्युत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, सबंधी आपदा
3	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड़, सड़क, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ़, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माणविभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना
6	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्योगिक आपदा, तेल फैलना
8	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9	राजस्व	गॉव की आग, नाव पलटना
10	वन	वनों में आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13	पशुपालन	पशुमहामारी

तालिका 12.2 विभिन्न आपदाएँ व जिला नोडल विभाग

12.5 सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन–

आपदा के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। आपदा स्थल से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताऐं तथा आपातकालीन सूचनाओं का जिला स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण आपदा स्थल तक होता रहता है। इन सभी के लिए उचित

संचार प्रणाली आवश्यकता है। जिला सूचना व जनसम्पर्क विभाग इस हेतु नोडल विभाग तथा जिला सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी होगा।

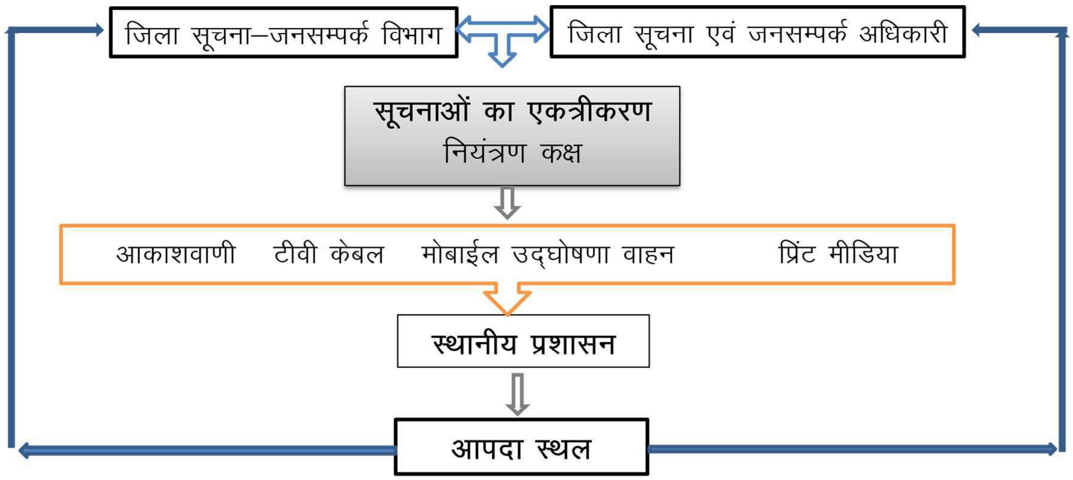

मीडिया मैनेजमेंट–

विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम जैसे अखबार, मैगजीन, टी.वी., आकाशवाणी आदि आपदा के समय प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगर संचार माध्यम प्रभावी हों तो सूचनाऐं तुरन्त आम जन तक पहुँचायी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले में मीडिया मैंनेजमेंट हेतु विभिन्न प्रयास प्रस्तावित है। विभिन्न संचार माध्यमों के कार्यालयों में पते तथा उनके फोन नम्बर नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होंगे जिससे आवश्यकता होने पर तुरंत सम्पर्क कर सूचनाऐं प्रदान की जा सकें।

ये संचार माध्यम आपदा से पूर्व आपदा से बचाव व जोखिम कम करने हेतु आमजन भागीदारी तथा जन चेतना का कार्य करेंगे। अनावश्यक सूचनाओं तथा अफवाहों में जन सामान्य तक पहुँचाने पर रोक होगी। व्हाट्सअप तथा फेसबुक जैसे माध्यमों का प्रयोग भी सूचनाओं व चेतावनी सम्प्रेषण हेतु किया जायेगा। व्हाट्सअप ग्रुप तथा फेसबुक पर अफवाहों के फैलने की दशा में इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

12.6 केन्द्र व राज्य सरकार से सहायता–

आपदाएँ कभी–कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। तथा स्थानीय व जिला प्रशासन के नियंत्रण से स्थिति बाहर हो जाती है। उस अवस्था में केन्द्र तथा राज्य से सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन किस दशा में सहायता लेनी है यह आपदा से हुई क्षति के आंकलन से ही होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाहरी सहायता प्राप्त करने की अवस्था का निर्धारण आपदा के स्तर से होगा। जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति आपदा स्थल पर जाकर आपदा स्तर का आंकलन करेगी। यदि आपदा स्तर नियंत्रण में है, तो जिला प्रशासन से और यदि आपदा स्तर नियंत्रण से बाहर है तो राज्य व केन्द्र से सहायता मांगी जायेगी। आपदा स्तर आंकलन की विस्तृत क्रिया विधि अध्याय – 7 में दी गई है।

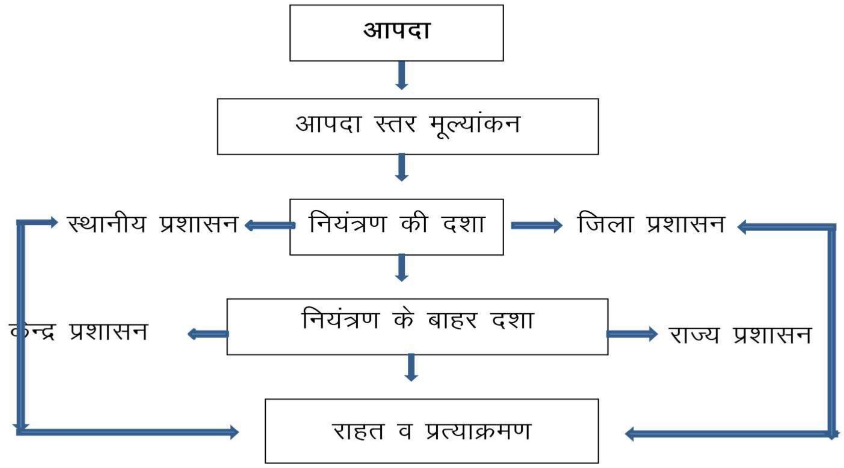

12.8 राहत व पुनर्वास के मानदंड–

आपदा राहत योजना के क्रियान्वयन में राहत व पुनर्वास प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों का मानक स्तर आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार होगा–

क्र. सं.	कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पुनर्वास
1	खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन)	पुलिस,नगर परिषद्	1.जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। 2.व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। 3.विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना।
2	खोज व बचाव	पुलिस, छळव्ेएस्काउट, छैएछब्ब्ैक्त्थ्ए गृहरक्षा	1.संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। 2. संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। 3. गुमशुदा व्यक्तियों की खोज। 4. सूचना देने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
3	प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा घेरा	पुलिस,गृहरक्षा,ैक्त्थ्	1.प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा घेरा ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके। 2.आग, भूकम्प, इमारतों का ढहना, रासायनिक, औद्योगिक दुर्घटनाओं में भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखना आवश्यक है।
4	यातायात नियंत्रण	पुलिस, यातायात पुलिस, छळ्व्े	1. प्रभावित स्थल के आस–पास वाहनों को न आने देना। 2.राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। 3.आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था।
5	कानून व्यवस्था	पुलिस, गृहरक्षा,ैक्त्थ्	1. आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। 2. अफवाहों को रोकना। 3. दंगें तथा लूटपाट को रोकना। 4. प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा।
6	मृत देहों का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पुलिस, नगर परिषद्	1. महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का तुरंत विस्थापन। 2. मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था। 3. रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था। 4. मृत लोगों के सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों को सूचना।

7	मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगरपरिषद्, प्रशासन,ैक्त्थ	1. अतिआवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। 2. मलबे के उचित स्थान पर डालना। 3. मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो

तालिका 12.3 जिला चित्तौड़गढ़ : राहत व पुनर्वास के मानक स्तर

12.9 मानवीय आवश्यकताऐं व राहत–

राहत व पुनर्वास के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताऐं आती है, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक होती है जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे–

क्र.सं.	अत्यावश्यक मानवीय सुविधाऐं	मानक स्तर के कार्य
1	भोजन	1.दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण चित्तौड़गढ़ डेयरी के माध्यम से। 2.भोजन के पैकेट दानदाताओं से, घर से एकत्रित करके, रसद विभाग। 3.फल इत्यादि का वितरण।
2	पेयजल	1.नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टेंकर उपलब्ध करवाना। 2.जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल। 3.पूर्व में विद्यमान जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरीन डलवाना। 4.पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना।
3	दवाइयॉ	1.सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं–बुखार, दस्त उल्टी आदि की दवाओं का वितरण। 2.दवा व्यावसायियों के पास पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।
4	वस्त्र	1.जिला प्रशासन व दानदाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण 2.छळव्ेएछैए छब्ध्ए द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व जरूरत मंदो में वितरण।
5	ट्रोमा केयर	1.सरकारी अस्पताल की आपातकालिन सेवाऐं 2. अन्य ट्रोमा सेंटर– अक्षर ट्रोमा, सागर हॉस्पीटल आदि बड़े निजी अस्पतालों की सेवाऐं। 3. त्वरित चिकित्सा हेतु एंबुलेंस
6	अस्थायी आवास	1.अस्थायी आवास (स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन) की व्यवस्था। 2. बारिश से बचाव हेतु तिरपाल वितरण 3. अस्थायी टेंट
7	हेल्प लाईन	1.आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 2.आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर तुरंत हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना।
8	वीआईपी भ्रमण	1.नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था। 2.परिवहन तथा भीड़ का नियंत्रण।
9	निजी संस्थाओं का सहयोग	1.निजी विद्यालय –अस्थायी आवास के रूप में 2. निजी अस्पतालों के संसाधनों का प्रयोग 3. निजी बिल्डरों से जेसीबी, टैक्ट्रर ट्रॉली, डम्पर आदि की सहायता लेना।

तालिका 12.4 आवश्यक मानवीय आवश्यकताऐं व मानक राहत स्तर

12.10 सारांश

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP(Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा।

आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाऐं भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

जिला प्रशासन–जिला चित्तौड़गढ़

नाम अधिकारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान	दूरभाष नम्बर			
			कोड नं	कार्यालय	निवास	मोबाईल
डॉ. मंजू बाघमार राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग	OIC Minister prof.manjubaghmar@gmail.com	जयपुर	0141	2227563	88900-88600 99837-31111 75682-11111 94140-47758	Rajendr K Daga, SA Virendra Rohila,osd Raghvenrda Rathor SO Vijai Sharma,PA
श्री भानू प्रकाष एटूरू शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी विभाग, राज. जयपुर	OIC Secretary chairmandiscoms@rajasthan.gov.in	जयपुर	0141 2227304	0141 2227304	96723-99320	Dr Ranjeet Budhaniya PS secretaryhte@gmail.in
कुमारी प्रज्ञा केवलरमानी,	Divi.Comm.	उदयपुर	0294	2420064 F-2420237	2420065 2420238	98292-80567 divcomm-udai-rj@nic.in
श्री छोगाराम देवासी	Adl.Divi.Com.	उदयपुर	0294	2424750 F-2526918	2490727	98288-44404
श्री आलोक रंजन	Collector & DM	चित्तौड़गढ़	01472 47001	240001 F- 240293	240002	
श्रीमती प्रभा गौतम	**ADM (Adm.) Dy. DEO ele.**	चित्तौड़गढ़	**01472**	**240944 241636**	**241289**	**9pwd1666-94433**
श्री रामचन्द्र खटीक	ADM (LA)	चित्तौड़गढ़	01472	241119	81077-56851	94148-33055
श्री विनोद मल्होत्रा	ADM	रावतभाटा	01475	299217		99280-80992
श्री विनय पाठक	**CEO, ZP**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**241265**	**241072**	**96027-23366**
श्री राकेश पुरोहित	ACEO, RD ZP	चित्तौड़गढ़	01472	240952		94608-07384
श्री	ACEO, PR ZP	चित्तौड़गढ़	01472	240952	240949 248108	
श्री सुरेश कुमार खटीक	RAA	चित्तौड़गढ़	01472	243040		94607-26872
श्री कैलाश चन्द गुर्जर	Secy UIT	चित्तौड़गढ़	01472	251055		94685-86014
श्री	AD PS	चित्तौड़गढ़				
श्री हितेश जोशी	DSO	चित्तौड़गढ़	01472	240951	240650	95880-12817
श्री बंसत चौधरी	Manager, FCSC	चित्तौड़गढ़	01472	244822		94603-72435
श्री दिग्विजय सिंह झाला	**TO**	चित्तौड़गढ़	01472	241097	249557	87698-71122
श्रीमती हंसा राजपुरोहित	**Adll.TO**	चित्तौड़गढ़	01472			94144-97780
श्री सत्यप्रकाश चिमनानी	Adll.TO	चित्तौड़गढ़	01472	248850		80038-43211
श्री राघव शर्मा	Sr.AO Coll.	चित्तौड़गढ़	01472	247997		87641-61333
श्री अरविन्द जोशी	AD GPF &SI	चित्तौड़गढ़	01472	241001		94618-47528
श्री बद्री लाल जाट	SE Watershed	चित्तौड़गढ़	01472	294376		85598-51129
श्रीमती निर्लेप सक्सेना श्रीमती विनीता सौलंकी	DD P	चित्तौड़गढ़	01472	243200	94689-55188 94147-80557	94606-06689 63766-08155
श्री अशोक लोढ़ा	DIO NIC	चित्तौड़गढ़	01472	241706 247739	241727	99289-36368
श्री इन्द्र प्रकाश झा श्री प्रवीण जैन	JD DOIT DD DOIT	चित्तौड़गढ़	01472	240158		94146-43976 94147-35053
श्री	PM SCDC	चित्तौड़गढ़	01472	241704		
श्री धन्ना राम मण्डार श्रीमती कृष्णा उपाध्याय	CPO	चित्तौड़गढ़	01472	241379		98290-53593 94625-85886
श्रीमती शबनम खोरवाल	DD Statistics	चित्तौड़गढ़	01472	241212		99504-16855
श्री जतिन कुमार गांधी	Asstt.Comm. Devsthan	उदयपुर	0294	2420546		94136-64373
उपखण्ड अधिकारी						
श्रीमती बीनू देवल	SDM	चित्तौड़गढ़	01472	241111	240905	80035-66844
श्री विकास पंचोली	SDM	निम्बाहेडा	01477	220002	220026	98879-23285
श्री रिषि सुधांशु पाण्डे	SDM	भदेसर	01470	243760	243761	98714-51811
श्री प्रवीण कुमार मीणा	SDM	बड़ीसादडी	01473	264339	264399	90011-38248
श्री ईश्वर लाल खटीक	SDM	डूंगला	01470	247631	247632	96499-11225
श्री राजेश सुवालका	SDM	कपासन	01476	230244	230222	75030-63728
सुश्री अंजु शर्मा	SDM	राशमी	01471	226700	226701	94133-40281
श्री	SDM	भूपालसागर	01476	224111		
श्री पंकज बडगुर्जर	SDM	गंगरार	01471	220789	220112	94149-93084
श्रीमती मनस्वी नरेश	SDM	बेगूं	01474	230150	230103	63782-23315
श्री महेश गागोरिया	SDM	रावतभाटा	01475	294181	230532	87644-22244

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदारगण

श्री राहुल धाकड़, NT श्री श्यामलाल पुरोहित, NT	TDR	चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़	01472	241387		80786-28697 094147-33553
श्री गजराज मीणा NT	TDR	बस्सी				94148-89838
श्री मोहम्मद नासिर बेग मिर्जा श्री कमलेशकुमार कुलदीप NT	TDR	कपासन	01476	230223		94146-85486 97840-69400
श्री बेणी प्रसाद सरसरा श्री हेमराज मीणा	TDR	राशमी	01471	226327	95303-11653	97999-12868 80032-70585
श्री पुष्पेन्द सिंह राजावत श्री राम प्रसाद खटीक NT	TDR	गंगरार साडास	01471	294229		88902-60040 97728-05908
श्री पंकज कुमार श्री शंकर लाल भाम्बी, NT श्री मदन लाल सालवी NT	TDR NT NT	बड़ीसादड़ी बड़ीसादड़ी निकुम्भ	01473	264240	99836-49763	99836-49763 00 96361-13220
श्री गुणवन्त लाल माली श्री अरविन्द पोरवाल NT श्री भूपेन्द्र वसी NT	TDR NT NT	डूंगला डूंगला मंगलवाड	01470	247222	95303-11659	94146-18804 94132-74528 99509-94438
श्री गोपाल जीनगर श्री घनश्याम जरवार NT श्री दिव्येशकांत परमार NT श्री नंद लाल सुथार NT	TDR SR NT NT	निम्बाहेड़ा निम्बाहेड़ा निम्बाहेड़ा कनेरा	01477	221543	00	97859-65112 80585-98090 94130-48294 77428-05233
श्री शिव सिंह शेखावत श्री NT श्री शिवशंकर पारीक NT	TDR NT NT	भदेसर भदेसर भादसोड़ा	01470	243222	00 00	94142-87503 00 81071-18222
श्री श्री विष्णु यादव NT श्री जब्बार सिंह चारण, NT	TDR	बेगूं बेगूं पारसोली	01474	230135	00 00 78770-86995	00 00 94143-86099
श्री विवेक गरासिया श्री NT श्री नाना लाल धाकड़ NT	TDR	रावतभाटा रावतभाटा जावदा	01475	234035	94626-92539 234033 80008-15971	95405-52788 00 99839-25519
श्री अपूर्व गौतम श्री रामचन्द्र वैष्णव NT	TDR	भूपालसागर	01476	224130	00	98873-44923 94147-34626
श्रीमती सुनीता सांखला	SR	चित्तौड़गढ़	01472	240700		95291-42116 70141-93164
श्री	Election	चित्तौड़गढ़	01472	240945		
श्री	NT LR	चित्तौड़गढ़	01472			

विकास अधिकारी, पंचायत समिति

श्री समुन्द्रसिंह	BDO	चित्तौड़गढ़	01472	241028	245114	82096-06799
श्री लक्ष्मण लाल खटीक श्री अनिल जैन, एईएन	BDO	निम्बाहेड़ा	01477	220021 221140	221205	99504-99677 98871-51488
श्री अभिषेक शर्मा श्री अनिल कुमार टेलर	BDO	भदेसर	01470	243223	243900	96808-99977 98750-39323
श्री लक्ष्मण लाल मीणा	BDO	बड़ीसादड़ी	01473	264231	264472	95713-11373
श्री दुर्गा प्रसाद कुमावत	BDO	डूंगला	01470	247225	247704	98287-70860
श्री मुकेश पोरवल, अ.का.	BDO	कपासन	01476	230225	230887	94142-57652
श्री ओमप्रकाश विजयवर्गीय,अ.का.	BDO	राशमी	01471	226421	226329	98287-62324
श्री मुकेश पोरवल, अ.का.	BDO	भूपालसागर	01476	224229	224429	94142-57652
श्री देवी लाल बलाई	BDO	गंगरार	01471	220246	220851	70737-10543
श्री सुरेश पुरी गोस्वामी	BDO	बेगूं	01474	230104	231032	98282-73047
श्री ग्यारसीलाल मीणा श्री सत्येन्द्र सिसोदिया	BDO	भैंसरोड़गढ़	01475	232247	232002	63500-09781 76656-94242

Scanned with OKEN Scanner

पुलिस अधिकारीगण

श्री राजेश मीणा	IG	उदयपुर	0294	2410816 5102782	2433333 F-2411246	94140-41619
श्री सुधीर जोशी	SP	चित्तौडगढ	01472	240006 295797	240003 297017	98292-50727
श्रीमती सरिता सिंह	Add.SP	चित्तौडगढ	01472	242603	294701	96361-35844
श्री भगवत सिंह	Add.SP	रावतभाटा	01475	235703	235700	98292-50751
श्री मुकेश साखला	Addl.SP SIUCAW महिला अपराध अनुसंधान सेल	चित्तौडगढ	01472			99297-55888
श्री विक्रम सिंह	ASP. ACB	चित्तौडगढ	01472	241164		94146-18501
श्री रामेश्वर लाल	Dy.SP. Traffic	चित्तौडगढ	01472			94144-71903
श्रीमती शिवन्या सिंह	DY.SP. SCST	चित्तौडगढ	01472	244885		88900-70016
श्री	Dy.SP Cyber	चित्तौडगढ				
श्री विनय चौधरी	Dy.SP	चित्तौडगढ	01472	241057	244877	79765-54783
श्री शिव प्रकाश	Dy.SP Rural	चित्तौडगढ	01472			94144-71345
श्री प्रभू लाल कुमावत	Dy.SP	गंगरार	01472	255157	256157	93141-58046
श्री हरजीलाल यादव	Dy.SP	कपासन	01476	230260	230860	78914-71158
सुश्री अंजली सिंह	Dy.SP	बेगूं	01474	294100	230129	7976706956
श्री कमल प्रसाद मीणा	Dy.SP	रावतभाटा	01475	235701		94130-36101
श्री बद्री लाल	Dy.SP	निम्बाहेड़ा	01477	221593	221539	98291-32897
श्री देशराज कुलदीप	Dy.SP	बडीसादडी	01473	264040		99292-58585
श्री अनिल कुमार शर्मा	Dy.SP	भदेसर	01470	248227		94143-24822
श्री रवि सिंह	DySP Home Gaurd	चित्तौड़गढ	01472	245227		96725-96765
श्री अशोक पारीक श्री योगेश तेजी	Dy. Jailar Jailar	चित्तौड़गढ	01472	240052	00 94145-69183	94608-02521 95211-46183
श्री अनिल पण्डेय, पु.नि.	संचित निरीक्षक	चित्तौडगढ	01472	295005		98297-59411
श्री गजेन्द सिंह, पु.नि.	अपराध सहायक					93025-88888
श्री गोवर्धन सिंह, पु.नि.	प्रभारी, डीएसटी	चित्तौड़गढ				77424-55505
	Control Room	चित्तौड़गढ	01472	240088	100, 249090	95304-42700

जिला स्तरीय अधिकारीगण

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया	DJ	चित्तौड़गढ	01472	294081	244022	80033-95839
श्री एस.आर. मीना श्री आसिफ ईकबाल पीए	TDM BSNL BSNL	चित्तौड़गढ	01472	244122	244133	94133-94325 94600-57910
श्री तुलसी राम कण्डारा श्री	**PRO APRO**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**240900 294144**		**96369-19730**
श्री आर.के. मेहता	**Comm. N.P.**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**245104 240463**	**240363**	**95303-04636**
श्री जितेन्द्र मीणा	EE NP	चित्तौडगढ	01472	245104		94601-33581
श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई	AEN NP	चित्तौडगढ	01472	245104		94134-34758
श्री	EO NP	निम्बाहेड़ा	01477	220042 220435	220642	
श्री मुकेश मोहिल	EO NP	बडीसादडी	01473	264252		63503-24928
श्री ललित सिंह देथा	EO NP	कपासन	01476	230257		94610-13820
श्री ललित सिंह देथा	EO NP	आकोला	01476			94610-13820
श्री	EO NP	बेगूं	01474	230110		
श्री मुकेश नागर	EO NP	रावतभाटा	01475	233363 230255		96493-74757
श्री सत्यनारायण वर्मा श्री मनीष अरोड़ा	EE RUIDP-iv SE RUIDP-iv	निम्बाहेडा राजसमन्द	01478			90243-61801 80033-77650
श्री श्री ललित कुमार	EE. UIT JEN UIT	चित्तौडगढ	01472	251055		00 99294-60279
श्री अरविन्द सिंह कानावत	STP	उदयपुर	0294	2418225		82095-67220
श्रीमती अपूर्वा पारासर	DTP	उदयपुर	0294	2418225		
श्री वीरेन्द्र सिंह	DTP	उदयपुर	0294	2418225		94131-66696
श्री	DTP UIT	चित्तौडगढ	01472			
श्री नेमी चन्द पारीक	**RTO**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**241292**	**240661**	**99297-34569**
श्री ओ.पी. बैरवा	ARTO	चित्तौडगढ	01472	244555	248771	85609-77111
श्री दया शंकर गुप्ता	DTO	चित्तौडगढ	01472	248598		81078-91400
श्री राकेश सारस्वत श्री	CM Roadways Man.(Transport)	चित्तौडगढ	01472	297099 241177	63502-51085	95496-53319 95496-53320
डॉ. तारा चन्द गुप्ता	**CM&HO**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**245813,**		**80034-11264**

Scanned with OKEN Scanner

				247136		90019-90600
डॉ. घनश्याम चावला	ACM&HO (FW)	चित्तौड़गढ़	01472	241114		98295-08745
डॉ. प्रियंका वर्मा	DyCM&HO	चित्तौड़गढ़	01472	240948	90019-90209	78500-90780
डॉ. हरि शंकर खेड़िया	**BCMO**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**249029**	**241104**	82908-45681
डॉ.	RCHO	चित्तौड़गढ़	01472	247286		
डॉ. प्रमोद तिवारी	PP Med College	चित्तौड़गढ़				98290-86988
डॉ. दिनेश वैष्णव	**PMO**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**240744**	**241761**	**94147-34977**
डॉ. जयसिंह मीणा	Incharge, W&C	चित्तौड़गढ़	01472	240744		94130-26250
डॉ. कमलेश बाबेल **डॉ. मंसूर अहमद खान**	**PMO** **BCMP**	निम्बाहेड़ा	**01477**	**223137**		**94141-09093** **94147-77788**
श्री फूल सिंह मीणा श्री जगदीश शर्मा	EE NHM AEN NHM	चित्तौड़गढ़	01472			94143-69983 94142-63357
डॉ. तरूण कुमार प्रमाणिक डॉ. लवकुश पारासर	उप निदेशक,आयुर्वेद सहा.निदेशक,आयुर्वेद	चित्तौड़गढ़	01472	240657	83288-32319	94602-25820
श्री मोहित सिंह शेखावत **श्री हरिश चौधरी**	**GM, DIC**	चित्तौड़गढ़	**01472**	**256073**		**98376-22446** **96360-62906**
श्री पी.आर. मीणा श्री संदीप पंवार	Sr.RIICO RM RIICO	भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़	01482 01472	260083 256183		94140-49472 82900-95596
श्री एन.एल. बाहेती nlbayeti@rfc.rajasthan.gov.in	Manager RFC	भीलवाड़ा	01482	220712		94140-97663
श्री नीरज शर्मा	CTO	चित्तौड़गढ़	01472	240995		94605-01918
श्री विजय कुमार **सुश्री रूचि भुकल**	**DD, ICDS** **CDPO**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**256674**	**00** **88240-15010**	**91662-26307** **73407-29441**
श्री राकेश कुमार तंवर	**उप निदेशक** **महिला अधिकारिता**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**256674**		**98879-14009**
श्री जितेन्द्र गढ़वाल श्री विकास खटीक	**DD, SJE** **PO SJE**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**241083**	89498-11033 74258-08892	94686-88011 96644-85407
श्री ओम प्रकाश तोषनीवाल श्री चन्द्र प्रकाश जीनगर	सहायक निदेशक, जिला बाल सरक्षण इकाई अधीक्षक, राज.संप्रेक्षण एवं किशोर गृह	चित्तौड़गढ़	01472	244083		**94140-21710** 94147-15842
श्री ऋषभ बागडी	D.Mi.O	चित्तौड़गढ़	01472	294667		**98376-22446**
श्री मोहित सिंह शेखावत, अति.	D.Employ.O.	चित्तौड़गढ़	01472	241053		
श्री सीएम राज माथुर	ACE PWD	उदयपुर	0294	2420547		94140-54009
श्री बालेन्द्रप्रताप सिंह श्री पवन सेठिया	SE, PWD TA to SE, PWD	चित्तौड़गढ़	01472	248500		94140-55775 94603-62072
श्री नवीन अग्रवाल	**Ex.En., PWD**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**241215**		**94601-15476**
श्री वीरेन्द्र नायक EE श्री रामकेश मीणा, Aen., श्री उदयभान सिंह, Aen.,	Ex.En., PWD	बेगूं बेगूं रावतभाटा	01474	231010		**94146-17405** 98879-97067 94685-85324
श्री नमो नारायण रायल **श्री दिगम्बर सिंह** **श्री**	**Ex.En., PWD**	**निम्बाहेड़ा**	**01477**	**221899**		**94147-65161** **94138-67396**
श्री	Ex.En. PWD (QC)	चित्तौड़गढ़	01472			
श्री वी.के. शाह	EE., PWD(NH)	बांसवाड़ा	02962		82904-21599	94142-67599
श्री	AEN., PWD(NH)	बांसवाड़ा	02962			
श्री प्रशान्त मीणा	EE PWD (ele)	बांसवाड़ा			eeelectbanswara@gmail.com;	96499-56873
श्री प्रशान्त मीणा श्री सुनील कटारा	AEN PWD (ele) JEN PWD (ele)	प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़				96499-56873 97723-33645
श्री अनिल चौधरी	**PD NHAI**	**उदयपुर**	**0294**	**2980801** **2980802**	**81300-06147**	**99712-59111**
श्री नवनीत कुमार	Manager, NHAI-	उदयपुर	0294	2412566	**COR-UDR 48**	73406-85122
श्री विजय कुमार	Manager, **NHAI-**	चित्तौड़गढ़	**01472** **01482**	**246474** **230611**	**Cor-Bhil-48** **COR – Kota-27**	**98706-78144**
श्री उदय भान सिंह (टोल/रोड)	PM, NH 27	**चित्तौड़गढ़**				**70156-13030**
श्री एस.के. कौशिक	Mana. NHAI-48	चित्तौड़गढ़	01472	246474	Cor-Bhil	96020-38596
श्री लाल चन्द वर्मा pdrsrdcudaipur@gmail.com श्री शशांक शर्मा श्री सुनील मीणा	PD, RSRDC (SH-9) PD, RSRDC AEN, RSRDC	उदयपुर चित्तौड़गढ़	0294	2412371	CMR Mathur DGM JPR 94140-54009	95492-35818 70737-36432 94602-36432 81046-85859
श्री एम.के. जैन श्री	E.En. Housing Bo. AEn. Housing Bo	चित्तौड़गढ़	01472	241163	240639	76654-30304
श्री अरविन्द माथुर rmudpr@gmail.com	RM, RUIDICO	उदयपुर			98282-33362	94143-43362
श्री सुनित गुप्ता	**SE, PHED**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**240918**	**241170**	**94140-55129**
श्री	EE TA-SE PHED	चित्तौड़गढ़	01472	240918		94144-23953

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमती ऋतु कुमारी कुमावत	Aen TA-SE PHED	चित्तौड़गढ़	01472	240918		97845-23781
श्री अशोक कुमार मीना	Ex.En. PHED	चित्तौड़गढ़	01472	241135	245940	98294-87961
श्री राजेश आगड़ी	Ex.En. PHED	निम्बाहेड़ा	01477	220070	82791-01244	95212-28640
श्री अशोक कुमार मीना	Ex.En. PHED	बेगूं	01474	230026	82791-01250	98294-87961
श्री विनोद नायक	Ex.En. PHED (project divi)	बेगूं	01474	230026	82791-01250	97837-66888
श्री विनोद नायक	EE PHED (Mon.)	चित्तौड़गढ़	01472	240918		97837-66888
श्री महावीर प्रसाद मीणा	EE PHED (Chambal-Bhil)	रावतभाटा				94143-28677
श्री हनुमान प्रसाद मीणा	EE PHED (Project divi)	चित्तौड़गढ़				91433-60995
श्री श्री शुभेन्दपाल सिंह	वरि. भूजल वैज्ञानिक क. भूजल वैज्ञानिक	चित्तौड़गढ़	01472	294575		00 94142-86009
श्री सुमन्त शर्मा	AEN GW	चित्तौड़गढ़	01472			75971-74929
श्री सतपाल मीणा	SE Irr.	भीलवाड़ा	01482	226540		94146-77470
श्री राजकुमार शर्मा	EE Irr.	चित्तौड़गढ़	01472	241069		94141-66398
श्री बी.पी. सिंह	EE Irr.	चित्तौड़गढ़	01472	241069	241094	97171-28564
श्री अख्तर जमील	EE Irr.	प्रतापगढ़	01478	220073		94146-77303
श्री मान सिंह मीणा	Aen Irr.	डूंगला				97182-65066
श्री हरिश तिवाड़ी श्रीमती अंशुल राठौड़	EE RPS	रावतभाटा	01475	233068		94131-51184 95093-94702
श्री राम सिंह यादव	**SE, AVVNL**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**255188**	255606	**94140-04084**
श्री भरत नामा	TA to SE AVVNL	चित्तौड़गढ़	01472	255611		94133-91919
श्री ऋषभ भार्गव	EE AVVNL	चित्तौड़गढ़	01472	255305	256355	94133-91915
श्री प्रेम चन्द बैरवा	EE AVVNL	निम्बाहेड़ा	01477	220583		94133-91916
श्री बी.एल. मेघवाल	EE AVVNL	कपासन	01476	230432		94133-91917
श्री खुश प्रताप सिंह	EE AVVNL	बेगूं	01474			94133-28409
श्री डी.एस. मीणा श्री हेमन्त टोटावत	SE, RVPN EE, RVPN	मांदलदा	01472			94140-61327 97726-37678
श्री आशीष जैन	EE पन बिजली घर राज.रा.वि.उत्पा.नि.	रावतभाटा	01475	233235 236272		94133-49870
श्री राहुल झाझड़िया श्री	DFO ACF	चित्तौड़गढ़	01472	241049	241984	94686-15807 00
श्रीमती सोनल जोरिहार श्री	DFO (WL) ACF	चित्तौड़गढ़	01472	244915	244916	87694-27177 00
श्री मूथू सर	DCF (Mukundra Hills)	कोटा	0744			95663-99871
श्री बीजो जॉय श्री अनुराग भटनागर	DCF (WL) ACF	कोटा रावतभाटा	0744			00 94133-52070
डॉ. चम्पालाल मीणा डॉ. जयदीप भार्गव	**Jt.D. Animal Hus.**	**चित्तौड़गढ़**	**01472**	**240125**		94149-58333 75979-01267
डॉ. मगेश जोशी डॉ.	DD. Animal Hus.	चित्तौड़गढ़	01472	240908	88907-76606 Dr. Sumersingh	98295-01177
श्रीमती दीपिका पालीवाल श्री मनीष गोस्वामी	मत्स्य विकास अधि. क.लिपिक	चित्तौड़गढ़	01472	294895	fdochittorgarh @gmail.com	63771-96140 82904-35765
श्री दिनेश कुमार जागा	JD Agr.	चित्तौड़गढ़	01472	240982	94689-47374	80056-37768
डॉ. शंकर लाल जाट डॉ. प्रकाश चन्द्र खटीक	DD Hort. AO	चित्तौड़गढ़	01472	241491		94149-32974 88903-37753
डॉ. राजेन्द्र कुमार सामोता	PD ATMA	चित्तौड़गढ़	01472	240133		94145-92962
श्री राकेश व्यास	DD Ag.(ATC)	चित्तौड़गढ़	01472	241319		94142-88882
डॉ. रतन लाल खटीक	PC. KVK	चित्तौड़गढ़	01472	241248		80786-02130
श्री रामेश्वर लाल जाट	संयंत्र प्रबंधक, राज. रा.बीज निगम	चित्तौड़गढ़	01472	241012		98293-73111
श्री श्री नारायण लाल जाट	क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय रा.बीज नि.	चित्तौड़गढ़	01472	235035		98875-21221
श्री युवराज सिंह श्री संतोष कुमार मोदी	**Secy. KUM Secy. KUM**	**चित्तौड़गढ़ निम्बाहेडा**	**01472**	**241270**		**91662-42509 94135-24844**
श्री हेमेन्द्र नाथ व्यास श्री दीपक पंचोली	PP. PG College	चित्तौड़गढ़	01472	241041	241241	94147-40195
श्री जी.के. कुकड़ा	PP. Girls College	चित्तौड़गढ़	01472	251301	240673	94147-35009
श्रीमती मनीषा बटवाल	PP Girls College	बस्सी				94142-02333
श्री हेमेन्द्र नाथ व्यास	PP GC	घोसुण्डा				94147-40195
श्री आशुतोष व्यास	PP GC	निम्बाहेड़ा	01477	221559		94147-34724
श्री कौशल कुमार जैन	PP GC	कपासन	01476	230241		94602-81902
डॉ.	PP GC	मण्डफिया	01470	242700		94600-57949
श्रीमती रजनी मीणा	PP GC	रावतभाटा	01475			87643-37444
श्री रमेश मीणा	PP GC	बेगूं	01474	230062		96675-86813
श्री अशीष सेहरा	PP GC	बड़ीसादड़ी				75039-50506

Scanned with OKEN Scanner

श्री हेमेन्द्र नाथ व्यास	PP GC	गंगरार				94147-40195
श्री प्रदीप चौधरी	PP Pol. College	चित्तौडगढ	01472	240992		95211-73255
श्री रवि शर्मा श्री अशोक जी	ग्रुप अनुदेशक, आईटीआई	चित्तौडगढ	01472	251076		86968-66555 94609-09511
श्री	CDEO	चित्तौडगढ	01472	247059		
श्री	AD. CDEO	चित्तौडगढ	01472	247059		
श्री प्रमोद कुमार दशोरा	ADPC SAMSA	चित्तौडगढ	01472	247059		98872-10841
श्री शम्भूलाल सोमानी	Asst. PC SAMSA	चित्तौडगढ	01472	247059		94147-34337
श्रीमती लीला चतुर्वेदी	Asst. PC SSA	चित्तौडगढ	01472	247059		98290-29763
श्रीमती कल्पना शर्मा	DEO (S)	चित्तौड़गढ़	01472	241059, 245059	73573-52111	90248-83456
श्रीमती प्रियदर्शनी शर्मा	ADEO (S)	चित्तौडगढ	01472	241059, 245059		99828-12033
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अ.का.	DEO (E)	चित्तौड़गढ़	01472	240649,	244949	94139-78500
श्री ओम प्रकाश मेनारिया	ADEO (E)	चित्तौडगढ	01472	240649		99293-14615
श्री	TLC	चित्तौडगढ	01472	242775		
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा,अ.का.	PP. DIET	चित्तौडगढ	01472	241013		94139-78500
कर्नल ए.डी.एस. जसरोटिया	PP SS	चित्तौडगढ	01472	295322		94069-44542
श्री गिरधारी सिंह श्री राम रतन गुर्जर	जि.खेल अधि.	चित्तौड़गढ़	01472	246416	90790-93830	94137-52861 96361-53053
श्रीमती संतोष चौहान	जिला युवा अधिकारी नेयुके	चित्तौड़गढ़	01472	294452		79767-02282
श्रीमती प्रमोद चारण श्री यू.सी. व्यास	MD Dairy	चित्तौड़गढ़	01472	249444	248333	73000-73799 99281-45698
श्री गजेन राजपुरोहित श्री धनेश प्रसाद खटीक	D.Ex.O.	चित्तौड़गढ़	01472	294875	95303-96052	74270-08335 94141-09183
श्री धीरज पवार श्री हिम्मत सिंह भाटी, स.प्र.अ.	S.I., F&B	चित्तौड़गढ़	01472	241213		96024-06090 94132-44714
श्री कुलदीप सिंह श्री मुकेश कुमार बुनकर	Dy.L.C., Labour Lab.Ins	चित्तौड़गढ़	01472	240307	78914-51333	80790-55893 76782-39932
श्री एहतेशाम सिद्दीकी	ME	चित्तौड़गढ़	01472	251870		72318-93898
श्री	AME	चित्तौड़गढ़	01472	251870	250056	
श्री रंजीत मीण	AME	निम्बाहेडा	01477	220259		94619-55507
श्री रवि मीणा श्री मनोज सालवी	Sr.Geologist M&G Geologist M&G	चित्तौड़गढ़	01472	251870		96368-03274 89557-77335
श्री आशिष कुमार श्री	RO Pul. CB	चित्तौड़गढ़	01472	294158		70738-75444 98285-73672
श्री परेश काराभाई टांक श्री सचिन सक्सेना	LDM ALDM	चित्तौड़गढ़	01472	241158	90045-12296	88750-06626 89050-41449
श्री महेन्द्र डूडी	DGM Nabard	चित्तौडगढ	01472	246801	78780-41527	95870-83385
श्री संजय शर्मा श्री अरूणसिंह शेखावत	DR Coop AR Coop	चित्तौड़गढ़	01472	294272		97823-34111 81309-95741
श्री नाना लाल चावला श्री सुनील कुमार जागेटिया	MD CKSB EO CKSB	चित्तौडगढ	01472	241401 246031		94143-95985 94139-00371
श्री	GM ICDP	चित्तौडगढ	01472	245125		
श्री सुनील कुमार व्यास	Secy PLDB	चित्तौडगढ	01472	241196	244143	97990-65789
श्री गुलाब चन्द बुनकर श्री सी.पी. शर्मा, से.नि.	Mana., Circut II.	चित्तौड़गढ़	01472	240977 250245	241187	94688-69251 98298-27383
श्री रवि चतुर्वेदी	Manager, RTDC	चित्तौड़गढ़	01472	241238	248516	94137-77900
श्री विवेक जोशी	AD Tourist	चित्तौडगढ	01472	241089		94141-56081
श्री बिडी सिंह	अधीक्षक, भा.पुरा.वि.	जोधपुर	0291	2750029 2750030		094571-06200
श्री प्रेम शर्मा श्री उदयलाल शर्मा	संरक्षक सहा,भा.पु.वि. फोरमेन, भा.पु.वि.	दुर्गचित्तौड	01742	245937	-	94616-38200 94605-35154
श्री हिमांशु सिंह	संग्रहाध्यक्ष, राज.संग्रहालय	दुर्गचित्तौड	01742	244192		076108-16987 98299-16334
डॉ. रमेश चन्द्र धाकड, अति.चार्ज श्री	DPM RAGVKA DM RAGVKA	चित्तौड़गढ़	01472	246344		96100-36394 00
श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति	DSC, RSLDC	चित्तौडगढ	01472			96808-57729
श्री	DPM SBM	चित्तौडगढ	01472	244466		
श्री मुकेश ईनाणी oscolcor@gmail.com श्री विवेक व्यास	कार्यालय अधीक्षक बाढ़ कन्ट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट निर्वाचन शाखा,	चित्तौड़गढ़	01472	P/Fax- 247997 240945	Toll Free No. 1077	9413045301 95303-11638 98283-03235
	जिला नियंत्रण कक्ष			244923		

Scanned with OKEN Scanner